खण्ड-167, अंक-1
सोमवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(5 मार्च, 1956 ई0)

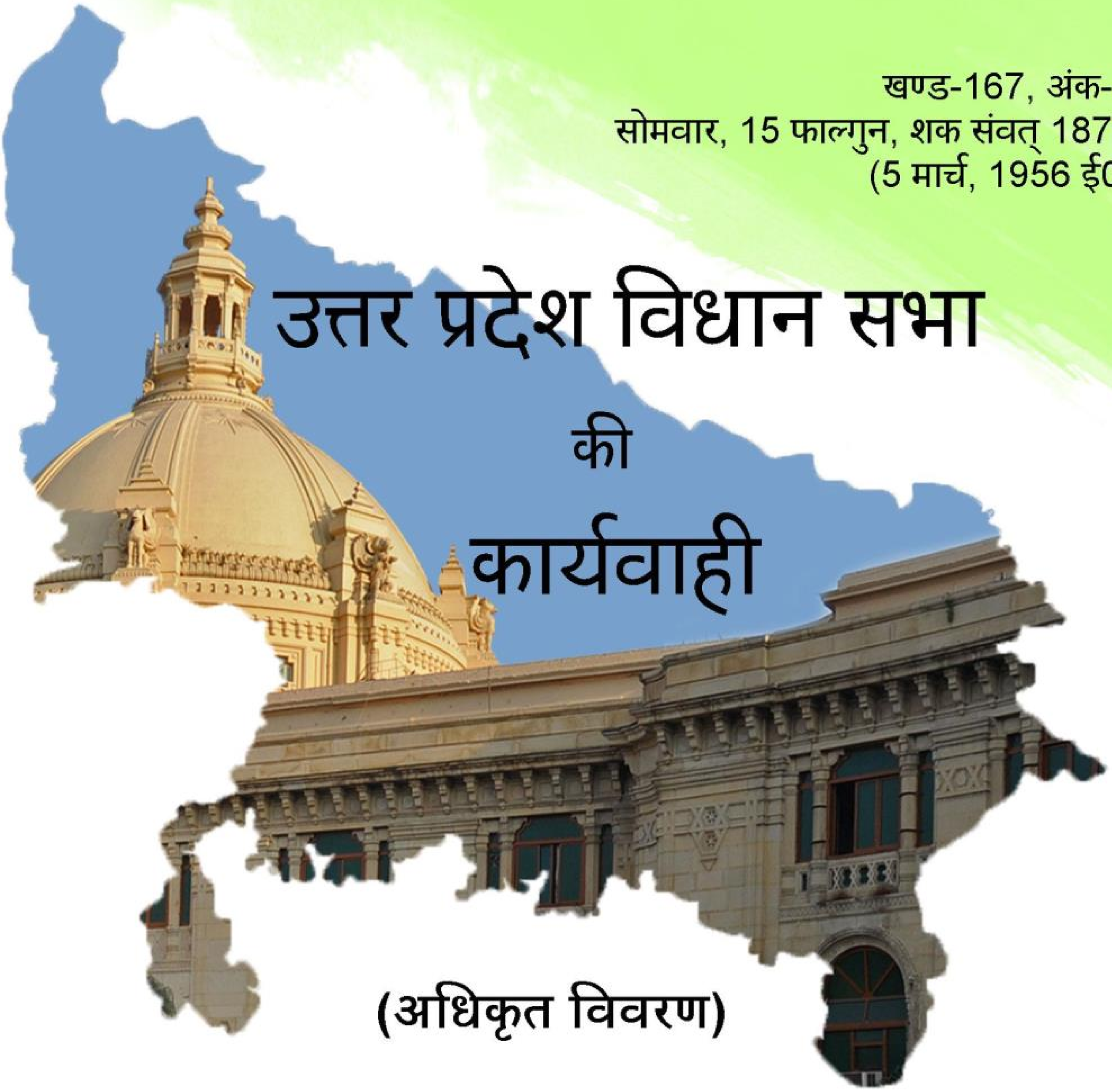

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 167 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

---o---

सोमवार, ५ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टाकाराम, श्री (बदायूं)
टाकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री

मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नालाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महालाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नान्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगावार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखोराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ५ मार्च, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ व बलिया जिले के नये मार्गों पर बस-सर्विस में विलम्ब

१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या परिवहन मंत्री २२ दिसम्बर सन् १९५५ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि बलिया और आजमगढ़ जिले के नये मार्गों पर फरवरी सन् १९५६ से सरकारी बसों के चलाने का जो आयोजन था उसे कुछ महीनों के लिये स्थगित कर दिया गया है ?

उत्तर प्रदेश संसदीय विधान सभा

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--इसका प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अभी बोर्ड ने आपत्तियों पर अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

२--श्री रामसुन्दर पांडेय**--यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो अब तक बसों के चलाने के लिये कौन सा कार्य किया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--नये मार्गों पर सरकारी बसें चलाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही पथ-परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है। बोर्ड का फैसला प्राप्त होने पर ही सरकारी बसें चालू की जा सकती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि २२ दिसम्बर सन् ५५ को यह जवाब दिया गया था कि फरवरी सन् ५६ से इन मार्गों पर नई बसेज चालू कर दी जायंगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा जरूर था, लेकिन जबतक प्राइवेट आपरेटर्स से अंतिम फैसला बोर्ड का नहीं होता तब तक नई बसेज चालू नहीं होंगी, वह हो जायगा तभी चालू की जायंगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि आजमगढ़ बलिया जिले के प्राइवेट आपरेटर्स जनवरी सन् ५६ में माननीय मंत्री महोदय से मिले थे और उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि इन मार्गों पर बसेज न चलाई जायं?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--ठीक तो मुझे याद नहीं, बहुत बार बहुत से लोग मिल चुके हैं अपनी अपनी सड़कों और जिलों के बारे में, मुमकिन है माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि बोर्ड की बैठक समाप्त हो गई है और क्या इस संबंध में कोई निर्णय हुआ है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बोर्ड की बैठक २५ फरवरी को थी लेकिन अभी सरकार के पास उसका फैसला नहीं आया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्राइवेट आपरेटर्स ने बोर्ड के सामने कौन-कौन सी आपत्तियां की हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस की अभी कोई सूचना नहीं है, वह बोर्ड को मालूम होगा।

इलाहाबाद जिले में कथित मिट्टी के तेल का सोता

३--श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में किसी गांव में कोई मिट्टी के तेल का सोता निकला है?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जी नहीं।

४--श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसके उपयोग के विषय में वह क्या कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिले में बिजली प्रसार का कार्य

५--श्री रामस्वरूप गुप्त** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में बिजली प्रसार का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा और किन-किन स्थानों पर कब तक बिजली पहुंच जायगी?

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ५ श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा ने पूछा।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--कार्य प्रारम्भ हो गया है। महराजपुर, अकबरपुर, पुखरायां और धौसगंज कस्बों में जितनी जल्द से जल्द मुमकिन है बिजली पहुंचा दी जायगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस काम को अंजाम देने के लिये कोई बिजली का डिवीजन कायम किया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं नहीं कह सकता। वहां काम तो हो रहा है। मुमकिन है काम नया हो।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार को मालूम है कि इस काम का प्रारम्भ कानपुर की कैसा द्वारा किया गया और वह काम उससे निकाल कर दूसरों के हाथ में दिया गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह बात जरूर सही होगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार कैसा द्वारा की गई सर्वे इत्यादि की जो सहूलियतें हैं उनको काम में ला कर इस काम को जल्दी अन्जाम देने की कोशिश करेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--काम जो है कैसा के द्वारा नहीं कराना है। हमारा जो बिजली डिपार्टमेंट है उसके जरिये से काम हो रहा है।

अल्मोड़ा जिले में अन्न संकट

६--श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को इस बात का पता है कि पिछली खरीफ की फसल खराब होने तथा १९५५ के पूर्व लगातार ४,५ साल तक दुर्भिक्ष रहने के कारण अल्मोड़ा जिला के निवासियों को अन्न संकट का सामना करना पड़ रहा है?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--कुछ समय से खाद्यान्नों के मूल्यों में साधारणतया महंगाई आ गई है। अल्मोड़ा जिले के उन स्थानों में जहां यातायात की कठिनाई है उसका विशेष प्रभाव पड़ा और वहां अन्न की कमी हो गई है।

७--श्री गोवर्धन तिवारी**--जिले के खाद्य स्थिति के संबंध में सरकार के पास क्या जिलाधीश, अल्मोड़ा की कोई रिपोर्ट आयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य--उपरोक्त विषय में जिलाधीश, अल्मोड़ा की रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि पिथौरागढ़ सब-डिवीजन की तल्ला, मल्ला, बड़ाव पट्टियों तथा पुगरांव पट्टी के कुछ भाग में, बेल और मेरग तथा मल्ला जोहर, चौदास और तल्ला दाड़मां पट्टियों में अन्नाभाव की स्थिति है।

८--श्री गोवर्धन तिवारी**--क्या सरकार वहां की यातायात की कठिनाई तथा जनता की क्रय शक्ति के ह्रास को ध्यान में रखते हुये ऐसी व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे सुदूर स्थित अभाव-ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को भी अन्न सस्ते भाव पर मिल सकें?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इन क्षेत्रों में प्रायः अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा प्रति वर्ष सरकार को खाद्यान्न भेजने का प्रबन्ध करना पड़ता है। इस वर्ष भी उन स्थानों में खाद्यान्नों के परिवहन के लिये ६,५०० रु० की आर्थिक सहायता (subsidy) तथा २,५०० रु० की निःशुल्क आर्थिक सहायता (gratuitous relief) की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में सस्ते मूल्य पर गेहूं बेचने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सरकार के पास सालम, उच्यूर, बिसौर, लखनपुर और अल्मोड़ा नगर में भी अन्न संकट की शिकायत मिली थी, यदि हां, तो जिलाधीश ने क्या रिपोर्ट दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिपोर्ट मिली थी और जिलाधीश ने भी लिखा था कि वहां अन्न की कमी है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या जिलाधीश ने पनवानाला, लपगढ़ा तथा अल्मोड़ा आदि स्थानों के लिए भी सस्ते अन्न की व्यवस्था करने की सिफारिश की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, कुछ इन स्थानों के लिए भी सिफारिश की है जिन का जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कब तक इस पर फैसला करेगी कि वहां पर सस्ता अनाज पहुंचाया जाय इलाके में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सस्ता अनाज उन क्षेत्रों में भेजने के आदेश जारी हो गये हैं और गल्ला मूव करने के आदेश भी चले गये हैं। कहां-कहां गोदाम खुलें वह आदेश आज या कल में जानेवाले हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार इन अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में कोई टेस्ट वर्क जारी करने का भी विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी ऐसी सिफारिश कोई नहीं आयी है। वैसे इस वर्ष भी १ लाख १५ हजार रुपये टेस्ट वर्क्स के लिए दिये गये हैं।

३१ मार्च, १९५६ को तोड़े जाने वाले सामुदायिक विकास क्षेत्र

९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन सामुदायिक विकास क्षेत्र तोड़े जा रहे हैं तथा कौन-कौन औद्योगिक सघन क्षेत्र एवं वेलफेयर सघन क्षेत्र में परिवर्तित किये जा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—३१ मार्च सन् १९५६ को जिन सामुदायिक विकास क्षेत्रों की अवधि समाप्त हो रही है उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है। इनमें कोई ब्लाक भी औद्योगिक सघन एवं वेलफेयर सघन क्षेत्र में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७० पर)

१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "घोसी, जिला आजमगढ़ के सामुदायिक विकास क्षेत्र" को औद्योगिक एवं वेलफेयर सघन क्षेत्र ग में परिवर्तित कर देने के लिये फरवरी के प्रथम सप्ताह में कोई आवेदन-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

११—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—क्योंकि कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र औद्योगिक सघन के ढंग एवं वेलफेयर सघन क्षेत्र में परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिये घोसी ब्लाक को भी किसी ऐसे क्षेत्र में परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवबन्द, सहारनपुर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र रहा है, यदि हां, तो क्या वह औद्योगिक सघन क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—देवबन्द का सामुदायिक विकास क्षेत्र चल रहा है यह सही है। लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर न में है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि देवबन्द, सहारनपुर जो सामुदायिक विकास क्षेत्र रहा है वह औद्योगिक सघन क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वहां एक पायलट प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज का चलने वाला है। उस का कार्य आरम्भ किया गया है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी जो सामुदायिक विकास योजना केन्द्र चलाये जा रहे हैं, वह तालिका पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—गरुड़ बैजनाथ, जिला अल्मोड़ा, कपकोट, जिला अल्मोड़ा, बेनौली (बराली), जिला गढ़वाल, सुल्तानगंज, जिला मैनपुरी, अलीगंज, जिला एटा, मुहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद, मोठ, जिला झांसी, गुरसराय, जिला झांसी, मऊरानीपुर, जिला झांसी, बोकापुर, जिला फैजाबाद, कुरेमार, जिला सुल्तानपुर, जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर, मटट, जिला गोरखपुर, कसिया, जिला देवरिया, बलीमपुर, जिला देवरिया, घोसी, जिला आजमगढ़, कासिमाबाद, जिला गाजीपुर, रतनपुर, जिला बलिया।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कब स्थापित हुए थे और इसके तोड़ने का क्या कारण था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सामुदायिक विकास क्षेत्रों की अवधि तीन वर्ष की थी और तीन वर्ष ३१ मार्च को खत्म हो जायंगे, इसलिए उस अवधि के बाद वे खत्म किये जायंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन ऐसे सामुदायिक क्षेत्र हैं जो औद्योगिक और वेलफेयर क्षेत्रों में परिवर्तित किये जाने वाले हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सामुदायिक विकास केन्द्रों के उद्योग धंधों के विषय में मुझे यह उत्तर देना है कि जितने सामुदायिक विकास केन्द्र हैं और यदि उन सामुदायिक विकास केन्द्रों में कोई प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर इत्यादि चल रहे हैं, तो वे उद्योग विभाग की तहत में संचालित किये जाएंगे और वे तोड़े नहीं जायेंगे।

आजमगढ़ जिले के बरोहा और गोइडल्ला ग्राम निवासियों के गांव ऊंचे करने के संबंध में आवेदन-पत्र

****१२—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माल विभाग के सचिव एवं जिलाधीश, आजमगढ़ के पास जनवरी, सन् ५६ में परगना नत्थूपुर के ग्राम बरोहा और गोइडल्ला के निवासियों का आवेदन-पत्र इस आशय का आया है कि हम लोगों के बसने के लिये गाजियापुर और कुंवर पुरवा में नया मजरूआ खेत एक्वायर न किया जाय, बल्कि पुराने गांव को ही ऊंचा कर दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, माल सचिव के पास ऐसे-ऐसे प्रार्थना-पत्र आये थे।

****१३—श्री रामसुन्दर पांडेय**—यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इन प्रार्थना-पत्रों को जिलाधीश, आजमगढ़ के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश ने प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं आया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों का अन्तिम निर्णय जिलाधीश करेंगे या सरकार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो उचित कार्यवाही करने के लिये उन्हीं के पास भेज दिये गये हैं और जिलाधीश ही इसको करेंगे और माननीय सदस्य भी इसे जानते हैं ।

[२७ फरवरी, १९५६ के लिये निर्धारित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

विदेशों से प्राप्त अन्न तथा औषधि का गाजीपुर जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में वितरण

*१--**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को बाहरी देशों से सहायता मिली है ? यदि हां, तो उसमें से गाजीपुर को कौन-कौन सी सहायता, कितनी-कितनी मिली है और क्या उसमें से पीड़ित जनता में वितरण हुआ है ? यदि नहीं, तो कब तक वितरण होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां । बाहरी देशों से प्राप्त हुई सहायता में से गाजीपुर जिले को निम्न सहायताएं दी गईं :--

६० टन गेहूं } स्टाक गाजीपुर पहुंच चुका है और वितरण का आयोजन किया
६० टन चावल } जा रहा है ।

		सिविल सर्जन	जिला स्वास्थ्य अधिकारी
१--सल्फागुनाडीन टिकिया	..	२०,०००	१५,०००
२--पेनसिलीन (प्रोकेन) ४ लाख इकाई	..	५० सी० सी०	..
३--पैल्यूड्रीन टिकिया	..	४००	४,५००
४--इन्ट्रावाया फार्म	..	१,०००	१,०००
५--सल्फाडाइयाजीन	..	६,०००	..

इसके अतिरिक्त ३,००० पौ० स्किम दूध (Skimmed milk) भी यूनीसेफ से जिला स्वास्थ अधिकारी को सीधे वहीं से प्राप्त हुआ है । उपरोक्त सभी वस्तुएं बाढ़ पीड़ित जनता में यथायोग्य वितरित की जा चुकी है तथापि जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास के सल्फागुनाडीन और इन्ट्रावाइयाफार्म (Entervio form) टिकिया अभी वितरित नहीं हुई हैं ।

श्री शिवपूजन राय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गेहूं, चावल अभी तक नहीं बंटा उसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आयोजन किया जा रहा है। इसकी जांच करा ली जायगी अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो।

गाजीपुर जिले में माल विभाग के हरिजन कर्मचारी

*२—**श्री शिवपूजन राय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के माल विभाग में कुल कितने हरिजन कर्मचारी हैं तथा उनके पद व वेतन क्या हैं?

श्री चरणसिंह—इस समय गाजीपुर जिले के माल विभाग में ६ हरिजन कर्मचारी हैं। इनके पद व वेतन निम्नलिखित हैं:—

१—कोषागार लिपिक	६०
२—माल लिपिक, तहसील मोहम्मदाबाद	८५
३—न्यायालय लिपिक, परगनाधीश सदर	९०
४—प्रतिलिपि लिपिक, तहसील जमनियां	७२
५—चपरासी माल, तहसील गाजीपुर	६०
६—चपरासी माल, तहसील गाजीपुर	३१
	३२

गाजीपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों को नावें देना

*३—**श्री शिवपूजन राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के किन-किन गांवों के बाढ़ पीड़ित के रक्षार्थ नावें प्रदान की गई हैं?

श्री चरणसिंह—गाजीपुर जिले की ५ गांव सभाओं को जिनके नाम निम्नलिखित हैं, बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये नावें दी गई हैं—

नाम गांव सभा

कमसड़ी

शेरपुर

परमेठ

रेवतीपुर

जलालपुर

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप के कार्य तथा कर्मचारी

*४—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या यातायात मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप में मरम्मत का कार्य करने वाले कितने कर्मचारी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप में मरम्मत का कार्य करने के लिये ५१ कर्मचारी हैं।

*५—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त वर्कशाप में मरम्मत, निर्माण तथा पुनर्नवीकरण कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त वर्कशाप में मरम्मत, निर्माण तथा पुनर्नवीकरण के लिये कर्मचारियों की कुल संख्या ६२९ है।

*६—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अप्रैल, १९५४ से लेकर सितम्बर, १९५४ तक उक्त वर्कशाप में कितने इंजनों की मरम्मत हुई और अन्य क्या-क्या निर्माणादि कार्य हुये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अप्रैल, सन् १९५४ से सितम्बर, १९५४ तक ७६२ इंजनों की मरम्मत हुई, ७४६ नई बैटरी बनी, ३८५ बैटरी रिकन्डीशन की गई, १२० नई गाड़ियों की बाडी बनी, इसके अतिरिक्त और छोटे-मोटे कल पुर्जे तथा अन्य सम्बन्धित वस्तुओं का निर्माण तथा मरम्मत हुई ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल ६२९ कर्मचारियों में कितने स्थायी हैं और कितने अस्थाई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि इंजिन बनाने की जो संख्या दी है वह अप्रैल, १९५४ से सितम्बर, १९५४ तक की है या सितम्बर, १९५५ तक की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह संख्या तो अप्रैल, १९५४ से सितम्बर, १९५४ तक की ही है ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि ५१ कर्मचारी ४ महीने के अन्दर ७६२ इंजन बना सकते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष—यह तो मरम्मत के बारे में है, बनाने का सवाल नहीं है । आप अपना सवाल ठीक से करें ।

श्री देवदत्त मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब मरम्मत से ही है कि क्या इतने आदमी ४ महीने में ७६२ इंजनों की मरम्मत कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—जवाब में तो बता दिया गया है मरम्मत की गई । अब आप राय पूछ रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस सेन्ट्रल वर्कशाप में प्राइवेट व्यक्तियों के इंजनों की भी मरम्मत होती है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जब सरकारी काम से फुर्सत होती है तो प्राइवेट लोगों का भी काम कर दिया जाता है ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंजनों की जो मरम्मत हुई है यह किस किस्म की हुई है । उसमें इंजन की बोरिंग वगैरह भी शामिल है ? क्या वे तफसील दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—७६२ इंजनों की मरम्मत हुई है । वे अलग-अलग कैसे बता सकते हैं ।

श्री भगवान सहाय—पहला सवाल यह भी तो है कि मरम्मत किस किस्म की हुई इंजनों की ?

श्री अध्यक्ष—कौन से प्रश्न से सम्बन्धित है । आप पहले प्रश्न पढ़ लें, तब प्रश्न करें तो अच्छा हो ।

आजमगढ़ जिले में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा २३२ के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमे

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में धारा २३२ जमींदारी विनाश अधिनियम के अनुसार कितने शिकमी किसानों ने खेतों की वापसी के लिये अदालतों में आवेदन-पत्र दिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ जिले में धारा २३२ जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत १,१६४ आवेदन-पत्र अदालतों में दिये गये ।

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने मुकदमों का निर्णय शिकमीदार किसानों के पक्ष में हुये और कितने भू-स्वामी के पक्ष में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इनमें से ३२८ का निर्णय शिकमीदार किसानों के पक्ष में हुआ और ७८५ मुकदमों का निर्णय भूस्वामियों के पक्ष में हुआ । बाकी ५१ मुकदमों में से ३ मुकदमें अदालत की आज्ञा से स्थगित हैं और ४८ आवेदन-पत्रों का निर्णय अभी होना बाकी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, क्या यह सही है कि ३२८ मुकदमें जो शिकमी किसानों के पक्ष में निर्णीत हुए थे, उनमें से अधिकतर मुकदमे कमिश्नरी से किसानों के विरुद्ध फैसले हुए हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह कमिश्नरी का तो सवाल नहीं था । इसके लिए तो नोटिस की जरूरत होगी कि कमिश्नरियों में क्या हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री इसका पता लगाएंगे कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में शिकमी किसानों के विरुद्ध फैसले हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । अदालती फैसलों के ऊपर आप कोई जांच नहीं कर सकते ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह तीन मुकदमें जो स्थगित हैं, ये अदालत में कब दाखिल हुए थे और स्थगित होने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नोटिस की जरूरत होगी ।

आजमगढ़ जिले के टेस्ट वर्क्स

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कहां टेस्ट वर्क हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित टेस्ट वर्क पर इस समय कार्य हो रहा है:—

नाम तहसील	नाम टेस्ट वर्क्स	
१—लालगंज ..	.. मेहनगर	कोटा
	लालगंज	कोटा
	मेहनाजपुर	तरवा
	कम्हरिया	चन्डेसर
२—फूलपुर ..	.. सिकरौर	मारटिनगंज
	दीदारगंज	अम्बारी

नाम तहसील	नाम टेस्ट वर्क्स	
३--सदर	निजामाबाद	फूलपुर
	गम्भोरपुर	गोसरो
	मदुरी	निजामाबाद
४--मुहम्मदाबाद	चिरडयाकोट	बांसगांव
	मऊ	काझा
५--सगड़ी	जीयनपुर अमुनवारो	नरायनपुर
	भुवना	दिलसादपुर
	बखालिस	बाजार गोसाई

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील में टेस्ट वर्क न होने क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वहां जरूरत नहीं होगी । मजदूर नहीं मिले होंगे क्योंकि तादाद मुकर्रर है कि इतनी तादाद उनकी होनी चाहिये तब टेस्ट वर्क होता है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय माल मंत्री को ज्ञात है कि और जगहों से भी आवेदन-पत्र आये थे टेस्ट वर्क खोलने के लिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह कलेक्टर के पास आये होंगे । लेकिन वहां पर और भी बहुत काम हो रहे हैं और उनमें जरा ज्यादा मजदूरी मिलती है, तो अक्सर जो और काम होते हैं उनमें मजदूर जाते हैं और टेस्ट वर्क के लिए लोग कम आते हैं ।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेस्ट वर्क का काम कितने दिनों तक चालू रखने का विचार है, सरकार का ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जब तक फसल न आ जाय और जब तक मजदूरों की संख्या पर्याप्त मिलती रहे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय टेस्ट वर्क में मजदूरी का रेट क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वह चार आने, पांच आने, छः आने के हिसाब से दी जाती है ।

जौनपुर जिले के माल व फौजदारी मुहाफिजखानों में दरख्वास्तों का बकाया

*१०--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के मुहाफिजखाना माल तथा मुहाफिजखाना फौजदारी में सितम्बर, १५ और सितम्बर ३०, सन् १९५५ ई० को जरूरी तथा साधारण दरख्वास्तों का बकाया कितना था तथा उनमें से सब से पुरानी किन-किन तारीखों की थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इन दो तारीखों को मुहाफिजखाना फौजदारी में कोई भी दरख्वास्त बकाया में नहीं थी । मुहाफिजखाना माल में १५ सितम्बर को ६ जरूरी तथा ५५ साधारण और ३० सितम्बर को ३ जरूरी तथा ५४ साधारण दरख्वास्तें बकाया में थीं । १५ सितम्बर को जो दरख्वास्तें बकाया में थीं उनमें सबसे पुरानी जरूरी दरख्वास्त २२-२-५५ की थी और सबसे पुरानी साधारण दरख्वास्त २ सितम्बर, १९५५ की थी । ३० सितम्बर को जो दरख्वास्तें बकाया में थी उनमें सबसे पुरानी जरूरी दरख्वास्त २२-२-५५ की थी और सबसे पुरानी साधारण दरख्वास्त ५ सितम्बर, सन् १९५५ की थी ।

*११--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार सितम्बर महीने की पाक्षिक रिपोर्ट के आधार पर माल तथा फौजदारी की जरूरी तथा साधारण दरख्वास्तों का जौनपुर जिले में प्रतिशत बताने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माल की जरूरी दरख्वास्तें १९ प्रतिशत तथा साधारण दरख्वास्तें ८१ प्रतिशत और फौजदारी की जरूरी दरख्वास्तें ६१ प्रतिशत तथा साधारण दरख्वास्तें ३९ प्रतिशत।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माल की जरूरी दरख्वास्त जो २२ फरवरी, ५५ को थी उसकी ३० सितम्बर, ५५ तक नकल तैयार नहीं हुई इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कारण यह हुआ कि वह मिसिल मिल नहीं रही थी जिसकी वजह से देरी हुई।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह मिसिल मिली या नहीं और गायब हुई थी तो फिर कहां से मिली ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वह मिसिल रेकार्डस् में थी और मिल गयी है।

जौनपुर जिले में मुख्य मंत्री सहायता कोष से बाढ़ पीड़ितों की सहायता

*१२—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मुख्य मन्त्री के सहायता कोष से नियत की गई धनराशि की १०,००० रु० की रकम बाढ़ ग्रस्तों की सहायता के लिये किस के द्वारा, किस रूप में खर्च की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुख्य मंत्री जी के विपत्ति सहायता कोष से नियत की गई १०,००० रु० की धनराशि से जौनपुर के बाढ़ पीड़ितों के लिये ऊनी कपड़ा रक्षा विभाग से मंगाया गया है और उसको गैरसरकारी सज्जनों के सहयोग से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में वितरित किया जा रहा है।

पुलमैन बसों के संबंध में पूछताछ

*१३—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व ट्रांसपोर्ट (यातायात) विभाग ने सिटी बस सर्विस के लिये कुछ पुलमैन बसें खरीदी थीं ? यदि हां, तो कितनी और किस लागत पर ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सिटी बस सर्विस के लिये कोई पुलमैन बसें नहीं खरीदी गई थीं।

*१४—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन बसों का सिटी बस सर्विस में प्रयोग क्यों नहीं होता ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि शहर में सिटी बस सर्विस स्थापित करने के बाद कुछ दिनों के लिये पुलमैन बसें चलायी गयी थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—एक्सपेरीमेंट के लिये कुछ दिनों चलायी गयी थीं, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, इसलिये वे दूसरी जगह भेज दी गयीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतायेगी कि ये पुलमैन बसें अगर ट्रांसपोर्ट विभाग ने नहीं खरीदीं थीं तो कहां से आयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—खरीदी तो गयी थीं, पहाड़ के लिये खरीदी गयी थीं, लेकिन उनसे लोगों को उतना फायदा नहीं हुआ, लोगों ने नहीं पसन्द किया क्योंकि वे मेल की तरह से चलती थीं, इसलिये सवारियां कम मिलीं। इसलिये उनको बन्द कर दिया गया।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--श्रीमान् जी, जो उत्तर दिया गया है उसमें यह है कि नहीं खरीदी गयीं।

श्री अध्यक्ष--वह तो कहते हैं कि सिटी बस सर्विस के लिये नहीं खरीदी गयीं, पहाड़ के लिये खरीदी गयीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि बाद में वह पुलमैन बसें पुलिस विभाग को बेंच दी गयीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, सही है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बतायेगी कि वे कितने लागत में बेंची गयीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--१६,१२७ रुपये ६ आने ९ पाई में।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेगे कि पुलमैन बसें सिटीज में असफल क्यों हुईं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैंने बतलाया कि उनका किराया ज्यादा पड़ता था और उन पर सवारियां नहीं आती थीं।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पुलमैन बसेज वही हैं, जो कानपुर में वनवे ट्रैफिक कर देती हैं?

श्री अध्यक्ष--आप सीधा सवाल करें तो मैं इजाजत दे दूंगा। यह तो आयरोनिकली सवाल कर रहे हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--अध्यक्ष महोदय, कुछ बसेज़ कानपुर में ऐसी चली हैं कि उस ब्रिज पर एक समय में एक ही बस पास हो सकती है जिसकी वजह से वनवे ट्रैफिक हो गया है और उसमें २०-२५ मिनट लग जाते हैं।

श्री चरणसिंह--चली हैं नहीं, चली थीं, कानपुर में ऐसी पांच बसेंज चला कर देखी थीं, वह नाकामयाब रहीं। इसलिये वह पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी गईं, क्योंकि वह उनके काम की थीं।

तराई-भावर खाम स्टेट समाप्त होने पर प्रशासकीय प्रबन्ध

*१५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि सरकार ने तराई-भावर खाम इस्टेट को भंग करने का निश्चय कर लिया है? अगर हां, तो उक्त क्षेत्र के प्रशासकीय प्रबन्ध की क्या व्यवस्था सरकार ने की है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। जब कभी ऐसा निर्णय कर लिया जायगा और उसे कार्यान्वित किया जायगा तो इस क्षेत्र का शासन भूमि व्यवस्था कमिश्नर द्वारा नहीं होगा बल्कि जिस प्रकार सरकार के विभिन्न विभाग दूसरे क्षेत्रों का काम करते हैं उसी प्रकार यहां भी करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार यह निर्णय केवल तराई-भावर के लिये ले रही है या सभी स्टेट के लिये ले रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी तो सवाल तराई भावर का ही था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या खाम स्टेट के विलीनीकरण होने पर वहां के काश्तकारों को वही सुविधायें मिलती रहेंगी, जो उनको मिलती रही हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जो कानून होगा, उसी तरह से लागू होगा और नकी सुविधाओं का ख्याल रखा जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि तराई और काशीपुर कोलोनाइजेशन इसी में मिलाया जाने वाला है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

महोबा-छतरपुर सड़क पर रोडवेज की बसें चलाने का विचार

*१६—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि रोडवेज के पास अभी जो सड़कें हैं उनके अलावा और नई सड़कें लेने का वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद यानी सम्भवतः मार्च, १९५६ से।

*१७—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या यह सत्य है कि महोबा-छतरपुर रोडवेज पर उत्तर-प्रदेश रोडवेज की बसें और विन्ध्यप्रदेश की प्राइवेट बसें दोनों चलेंगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आशा की जाती है कि केवल रोडवेज की ही बसें चलेंगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां ट्रांसपोर्ट ऐक्ट कब से लागू हो जायगा और बसेज कब तक चलने लगेंगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने लिखा है, सम्भवतः मार्च, १९५६ से, वह जवाब में आ गया है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन रूट्स में बसेज चलाने की जरूरत है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सवाल तो छतरपुर का था और वह लिस्ट निकल चुकी है जिन रूट्स को लिया गया है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यहां पर यू० पी० रोडवेज की बसेज चलेंगी या विन्ध्यप्रदेश की भी चलेंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—विन्ध्यप्रदेश सरकार से कहा गया है और उम्मीद है कि वह प्राइवेट बसेज का चलना वहां बन्द कर देंगे। बहरहाल, वहां यू० पी० रोडवेज की बसेज चलेंगी ही।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि विन्ध्यप्रदेश राजी नहीं हुआ कि वह प्राइवेट बसेज का चलना बन्द कर देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तक तो ऐसा कोई जवाब नहीं आया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कमेटी की बैठक हुई थी उसमें फैसला हुआ है कि रेसीप्रोकल अरेंजमेंट के बीच में क्या होगा ?

श्री चरणसिंह—ट्रांसपोर्ट कौंसिल में फैसले नहीं होते हैं। वह कौंसिल एडवाइज देती है स्टेट को और हमारे जो फैसले राजस्थान गवर्नमेंट से हुए हैं, उसके लिये जब आप सवाल करेंगे और उसके लिये जब नोटिस मिलेगा, तब उसका जवाब दिया जा सकेगा। अभी सब फैसले नहीं हुए हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अलग-अलग स्टेट्स से अलग-अलग फैसले होने वाले हैं या सबसे करीब-करीब एक ही फैसले होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो इस सवाल से संबंधित नहीं है, लेकिन जिस स्टेट से जैसा तय हो जायगा वैसा किया जायेगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महोबा छतरपुर रोड पर चलने के लिये यहां से क्या सुझाव विन्ध्यप्रदेश सरकार को भेजे गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गवर्नमेंट की तरफ से यह सुझाव है कि वहां पर यू० पी० गवर्नमेंट की रोडवेज ही चलें। विन्ध्यप्रदेश के पास बसें हैं भी नहीं ? वह सरकार खुद भी चाहती है कि वहां पर यू० पी० की रोडवेज ही चलाई जायं।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में लेख पालों से खसरा या खतौनी की मुफ्त नकल न मिलने की शिकायत

१—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में लेखपालों की जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की नियमावली के नियम ११५ (आई) का ज्ञान न होने के कारण वे गांव-सभा के कार्य के लिये खसरा तथा खतौनी की मुफ्त नकल नहीं देते ? यदि हां, तो क्या उनको इसका ज्ञान कराया जायगा ?

श्री चरणसिंह—यह सही नहीं है कि नियम ११५ (आई) का ज्ञान जिले के लेखपालों को नहीं है और न यह सही है कि वे इस नियम के अनुसार खसरा और खतौनी की गांव सभा के कार्य के लिये मुफ्त नकल नहीं देते हैं अतः दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

[सोमवार, ५ मार्च, १९५६ के लिये रखे गये प्रश्न।]

तारांकित प्रश्न

मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर के सरकारी बीज गोदाम से बीज का वितरण

*१—**श्री शिवपूजन राय**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर के सरकारी बीज गोदाम से सन् १९५३–५४ व १९५४–५५ में कितना बीज किसानों को दिया गया है ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)— सन् १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में जिला गाजीपुर के मुहम्मदाबाद बीज भंडार से निम्नलिखित रबी और खरीफ का बीज किसानों को दिया गया था :—

सन्		रबी (मनों में)	खरीफ (मनों में)
१९५३–५४	..	.. ३,८६०–१९–१२	८२८–२६–८
१९५४–५५	..	.. २,७५०–१४–१२	३८३–३३–६

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ किसानों को जरूरत से अधिक बीज दे दिया गया और कुछ ने पाया ही नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—ऐसा तो नहीं हुआ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो बीज उन बीज गोदामों से दिया गया उन पर सूद के तौर पर कुछ वसूली की गई ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

श्री हुकुमसिंह—वह तो सवाई के हिसाब से वसूल होती है।

*२-३—**श्री देवदत्त मिश्र**—[२ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन के लिए सहायता

*४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटाव से कटे हुये परिवारों को अब तक घर बनाने के लिये कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा— जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

*५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री को यह ज्ञात है कि गाजियाबाद, कुंवरपुरवा, खैरा और धर्मपुर देवारे में घाघरा नदी के कटाव से कटे हुये गांवों के आदमी आकर बसे हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा— जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिये अधिक से अधिक कितनी सहायता दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोई रकम तो फिक्स नहीं है लेकिन जितना जरूरी समझा जाता है वहां के अधिकारी लोग उसे तय करते हैं, वही दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इसका पता लगायेगी कि प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिये अधिक से अधिक बीस रुपया प्रदान किया गया है जिससे एक छप्पर भी बन नहीं सका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो सही नहीं है कि उनके पास छप्पर बनाने के लिये भी रुपया नहीं है। लेकिन यह सही है कि उन्हें कम दिया गया है अभी।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार के आदेश जिला अधिकारियों को दिये गये हैं कि वह आर्थिक सहायता बीस रुपये से अधिक उन परिवारों को न दें जिनके कि घर गिर गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यदि ऐसा है तो ऐसा होगा कि जिन लोगों को अहेतुक सहायता दी गयी है उनको बीस रुपये से अधिक नहीं मिला होगा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले में जो परिवार कटाव के कारण बर्बाद हो गये हैं उन परिवारों को किसानों के घर बनाने के लिये पैसा दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, दिया गया है।

आजमगढ़ जिले में मछुओं की रक्षार्थ समितियों के निर्माण में असफलता

*६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आदेश-पत्र संख्या ९१०/१२-एफ-३८-१९५२, दिनांक ११-११-५२ के अनुसार आजमगढ़ जिले में मछुओं की रक्षा हेतु सहकारी समितियां बनाई गईं थीं? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कितनी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आजमगढ़ जिले में अभी तक मछुओं की कोई सहकारी समिति नहीं बन सकी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति न बनने का क्या कारण हैं?

श्री हुकुमसिंह—इसके मुख्य कारण दो हैं। एक तो ठेकेदार के जेरेअसर अभी तक मछुवे बहुत हैं उनसे अलग होकर कुछ करना नहीं चाहते हैं। दूसरे उनके पास धनाभाव का भी एक कारण है।

जौनपुर जिले में १९५३ की बाढ़ संबंधी, कमिश्नर, बनारस की, जांच

*७—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की सन् १९५३ ई० की बाढ़ के सम्बन्ध में कमिश्नर, बनारस को कोई जांच सुपुर्द हुई थी? यदि हां, तो कब और वह कब तक समाप्त होगी।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, कमिश्नर बनारस को जांच, १७ दिसम्बर, १९५४ को सुपुर्द की गई थी और वह समाप्त हो गई है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जांच का नतीजा क्या निकला?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जांच में कुछ कर्मचारी दोषी पाये गये और उनको सजा दी गयी।

जौनपुर जिले में बाढ़ ग्रस्त ग्रामों को ऊंची भूमि पर बसाने का प्रबन्ध

*८—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में बाढ़ से ध्वस्त कौन-कौन से गांव ऊंची भूमि पर बसाये जा रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जौनपुर जिले में बाढ़ से ध्वस्त निम्नलिखित गांवों को ऊंची भूमि पर बसाने का प्रबन्ध किया जा रहा है :—

जौनपुर तहसील में ग्राम पोखरियापुर का पुरवा मलहौटी, तथा ग्राम कुद्धपुर का पुरवा रसैना, एवं तहसील मछलीशहर में ग्राम कुशमौल की हरिजन बस्ती।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या यह सही है कि जौनपुर में २५० गांवों को ऊंचा उठाने के लिये सरकार ने स्वीकृति दी है? अगर हां तो फिर यह तीन पुरवे ही क्यों उठाये जा रहे हैं, और मडियाहूं तहसील में कोई गांव ऊंचा क्यों नहीं उठाया जा रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा— जी हां, स्वीकृति है, लेकिन वह सब धीरे-धीरे उठायेंगे और जहां से मांग आयेगी तो उनको भी उठाया जायेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह कितने दिनों में २५० गांव उठाये जायंगे। इसका क्या प्रोग्राम है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसी वर्ष यह काम करने को है।

नैनीताल तराई में राजकीय उपनिवेश के मैनेजर श्री राजेन्द्रपाल सिंह के रिश्तेदारों को भूमि मिलने पर आपत्ति

*९—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार को जौनपुर के साप्ताहिक समाचार पत्र, दिनांक २९ सितम्बर, १९५५ ई० के मुख्य पृष्ठ पर छपे इस आरोप का पता है कि नैनीताल तराई में वहां के राजकीय उपनिवेश के अधिकारी मैनेजर राजेन्द्रपाल सिंह ने ८९९ एकड़ सरकारी भूमि अपने रिश्तेदारों के नाम पट्टा कर दिया है, जिसमें से २७५ एकड़ उनके मामा के नाम, १७० एकड़ मामी के नाम, ७५ एकड़ मां के नाम, १०० एकड़ भाई के नाम, १०० एकड़ स्त्री के नाम, १०० एकड़ साली के नाम, ७५ एकड़ साले के नाम, ४० एकड़ एक दोस्त के नाम तथा ३० एकड़ एक ऐसे व्यक्ति के नाम पट्टा किया है जो २० साल पहले मर चुका था ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने से यह विदित हुआ है कि श्री राजेन्द्रपाल सिंह, जो कि तराई क्षेत्र जिला नैनीताल में सहायक उपनिवेशन अधिकारी के स्थान पर नियुक्त थे, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को जमींन प्रदिष्ट नहीं की। यह भी गलत है कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को जो २० वर्ष पहले मर चुका था, जमीन दी। उक्त अधिकारी के रिश्तेदारों को जमींन, सुपरिन्टेन्डेट तराई भावर स्टेट ने दी है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुपरिन्टेंडेंट तराई भावर ने श्री राजेन्द्रपाल सिंह के मामा, मामी, भाई, स्त्री, साली, इन सब रिश्तेदार लोगों को किस आधार पर यह इतनी एकड़ जमींन दे दी थी ?

श्री चरणसिंह—सुपरिन्टेन्डेन्ट तराई भावर को अख्तियार था कि १०० एकड़ तक वह जमींन किसी भी प्रार्थी को दे दें। सन् १९४९ में उनको यह अख्तियार दिया गया था। इससे पहले तो कोई सीमा उनके अधिकार की नहीं थी। अक्तूबर, सन् ४९ में यह सीमा रखी गयी थी कि १०० एकड़ तक वह अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक दे सकते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजेन्द्रपाल सिंह के रिश्तेदारों को जमींनें पोलीटिकल सफरर होने की हैसियत से या शरणार्थी होने की हैसियत से या लैण्डलेस की हैसियत से, किस कैटेगरी में दी गई ?

श्री चरणसिंह—मेरे माननीय मित्र को कुछ भ्रम है और वह यह है कि गवर्नमेंट स्टेट में जमींन किसी खास कैटेगरी को दी जाती है। ऐसा नहीं है। उपनिवेशन में पोलीटिकल सफरर, रिफ्यूजी, एक्स-सर्विसमैन, ऐसे लोगों को दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट स्टेट के इलाके में किसी आदमी को दी जा सकती थी और उसे खुद जमींन तोड़नी पड़ती थी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—जब सुपरिन्टेंडेंट को केवल १०० एकड़ जमींन तक देने का अधिकार था तो उसने १०० एकड़ से अधिक क्यों दी ?

श्री चरणसिंह—१०० एकड़ से ज्यादा किसी व्यक्ति को उन्होंने नहीं दी, बल्कि ७५ और ५० एकड़ अलग-अलग दी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जिस समय यह भूमि राजेन्द्र पाल सिंह जी के रिश्तेदारों को दी गई उस समय बहुत से भूमिहीनों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे और उनको जमीन नहीं दी गई ?

श्री चरणसिंह—ऐसा सरकार को मालूम नहीं है। जमीन वहां बहुत दिनों से पड़ी थी और किसी की वहां जाकर रुपया लगाने की और आबाद होने की हिम्मत नहीं पड़ती थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्री राजेन्द्रपाल सिंह कब से वहां मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और क्या उन्हें वह जमीन तभी दी गई जब कि वह वहां अधिकारी नियुक्त थे ?

श्री चरणसिंह—सन् १९४९-५० और ५१ में उन्होंने असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की हैसियत से काम किया। ये जमीनें १९५१-५२ में दी गईं गवर्नमेंट एस्टेट्स में, न कि उपनिवेशन में।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ये जमीनें अलग-अलग तारीखों में दी गई हैं या एक ही में ? यदि अलग-अलग तो किन-किन तारीखों में ?

श्री चरणसिंह—तारीखों की सारी विस्तारपूर्वक इत्तला मेरे पास है। अगर माननीय मित्र चाहेंगे तो मैं अपने आफिस में उन्हें बतला दूंगा। इस समय आपकी इजाजत से मैं यह कहना चाहता हूं कि सुपरिन्टेन्डेंट खास को यह इल्म था या नहीं कि एक ही खान्दान के लोग हैं, इसकी तहकीकात की जा रही है, और खुद मेरी तसल्ली नहीं है कि उसने काम ठीक किया है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—यह जमीन एक चक है या छुटपुट है ?

श्री चरणसिंह—गालिबन एक चक है।

रहीमाबाद, लखनऊ ट्रैक्टर्स वर्कशाप के कार्यों पर व्यय

*१०—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रहीमाबाद, लखनऊ में कृषि विभाग के अन्तर्गत कोई वर्कशाप है ? यदि हां, तो इसमें हर वर्ष लगभग कितने ट्रैक्टरों की मरम्मत होती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, भूमि संरक्षण योजनाओं से सम्बन्धित २४ ट्रैक्टर्स (Tractors) और कुछ कृषि यंत्र हैं जिनकी स्थानीय मरम्मत करने का प्रबन्ध इस वर्कशाप में है।

*११—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्कशाप पर वार्षिक कितना व्यय होता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी— इस वर्कशाप पर औसत वार्षिक व्यय लगभग १,०९,८७५ रु० पड़ता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रहीमाबाद वर्कशाप में छोटे-मोटे ट्रैक्टरों की मरम्मत के अलावा हैवी मरम्मत भी होती है ?

श्री हुकुमसिंह—छोटी मोटी मरम्मत होती है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या इस वर्कशाप में प्राइवेट ट्रैक्टरों की भी मरम्मत की जाती है ?

श्री हुकुमसिंह—ऐसा काम तो अभी तक नहीं किया है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—यह २४ ट्रैक्टरों की मरम्मत अथवा कृषि यंत्रों की मरम्मत हुई है, उनकी खरीद के दाम क्या थे?

श्री हुकुमसिंह—नोटिस की जरूरत है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब लखनऊ का वर्कशाप रहीमाबाद से इतना नजदीक है तो दो वर्कशाप खोलने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री हुकुमसिंह—वहां से लाने ले जाने में जो खर्चा पड़ेगा वह मामूली मरम्मत से अधिक होगा।

*१२-१३—**श्री जोरावर वर्मा**—[९ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

पटवारी, कानूनगो तथा नायब तहसीलदारों की स्थानापन्न नियुक्ति

*१४—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कितने लेखपाल कानूनगो का काम, कितने कानूनगो नायब तहसीलदार का काम, तथा कितने नायब तहसीलदार तहसीलदार का काम कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—(अ) राज्य में ४६१ लेखपाल कानूनगो का काम कर रहे हैं जिनका ब्योरा इस प्रकार है:

मैदानी जिलों में	.. ..	४४६
पहाड़ी जिलों में जहां लेखपाल अब भी पटवारी कहलाते हैं	..	१५
	कुल	४६१

(ब) राज्य में ३५२ कानूनगो नायब तहसीलदारी का काम कर रहे हैं। जिनका ब्योरा इस प्रकार है:

मैदानी जिलों में

रैगुलर नायब तहसीलदार ..	..	११४
जेड० ए० सी० नायब तहसीलदार	..	१७६
कलैक्शन नायब तहसीलदार ..	..	२५
ए० आई० टी० नायब तहसीलदार	..	३१
	योग ..	३४६

पहाड़ी जिलों में

रेगुलर नायब तहसीलदार ..	..	६
	कुल	३५२

(स) राज्य में १०८ नायब तहसीलदार, तहसीलदार के पद पर काम कर रहे हैं।

जमींदारों के लिये पुनर्वासन अनुदान

*१५—श्री मुहम्मदतकी हादी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि फरवरी सन् ५६ में जो रिहैबिलीटेशन ग्रांट पुराने जमींदारों को दी जा रही है वह नकद दी जायेगी या बांड में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वार्षिक वृत्तियां (Annuities) से भिन्न पुनर्वासन अनुदान (rehabilitation grant) की ५० रु० से कम की धनराशि नकद, और ५० रु० तथा उससे अधिक की धनराशि बंधों (bonds) में दी जायगी ।

*१६—श्री मुहम्मद तकी हादी—अगर बांड में दी जायेगी तो कितने साल के बांड होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बंध (bonds) २५ वर्ष की अवधि में (समान वार्षिक किस्तों में) निष्क्रीत किये जायेंगे । यह अवधि उस दिनांक से आरम्भ होगी जिस पर मध्यवर्ती (intermediary) पुनर्वासन अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र देने का अधिकारी हो । किन्तु कोई भी बंध सरकार की इच्छा पर निश्चित दिनांक से पहले भी निष्क्रीत किया जा सकता है ।

श्री मुहम्मद तकी हादी —क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने का आर्डर जारी हो गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

श्री मुहम्मद तकी हादी—जो २५ साल के बांड्स दिये जावेंगे वे क्या मय सूद के होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूद नहीं दिया जायगा ।

श्री रतनलाल जैन—ये बांड्स कितनी मुद्दत में खत्म हो जायेंगे ?

श्री चरणसिंह—रिहैबिलिटेशन ग्रांट के लिये दरख्वास्त देने की कोई मियाद नहीं है, लिहाजा बांड्स के बनने की भी कोई मियाद नहीं है

श्री देवदत्त मिश्र—क्या हमारी सरकार २५० रुपये तक वाली ग्रांट को नकद देने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । आज नहीं, कम से कम, जैसी स्थिति अपनी इस समय है ।

*१७-१९—श्री गोवर्धन तिवारी—[९ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये]

चकबन्दी कर्ता को यात्रिक भता देने पर विचार

*२०—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या राजस्व मंत्री यह कृपा कर बतायेंगे कि चकबन्दी योजना के कान्सालिडेटर्स को भी क्या माल विभाग के कानूनगो की भांति कोई यात्रे का भत्ता दिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—चकबन्दी योजना में चकबन्दी कर्त्ता (कंसालिडेटर्स) को माल विभाग के कानूनगो की भांति अभी तक तो कोई यात्रिक भत्ता नहीं दिया जाता है, किन्तु यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या कंसालिडेटर्स को कोई यात्रिक भत्ता इस समय दिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस पर विचार हो रहा है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब चकबन्दी इस प्रदेश में चार वर्ष से चल रही है, तभी से यह प्रश्न विचाराधीन है, इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—एक तो चकबन्दी चार वर्ष से चल नहीं रही है, दूसरे यह तभी से विचाराधीन भी नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसका अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—यह कहना मुश्किल है।

अधिवासी से सीरदार होने पर लगान की दर

*२१—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या राजस्व मंत्री को यह ज्ञात है कि संशोधित जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था कानून में इस बात की व्यवस्था होते हुये भी कि ऐसे अधिवासी जो सीरदार बनाये जा रहे हैं, की लगान सरकिल रेट से १३३/३ प्रतिशत से २०० प्रतिशत तक निर्धारित की जायेगी, प्रदेश भर में जो लगान का रेट लगाया जा रहा है वह सरकिल रेट से २०० प्रतिशत ही रखा जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिस व्यवस्था का हवाला प्रश्न में दिया हुआ है वह सिर्फ अधिवासियों पर लागू है। जब अधिवासी सीरदार हो जाता है तो उस पर धारा २३३ व २३३(क) लागू नहीं रहती बल्कि उनकी मालगुजारी नियम १९३ (ख) के अनुसार मुकर्रर की जाती है जिसके अनुसार ऐसे सीरदारों का लगान सरकिल रेट से निकाली हुई मालियत के दुगने के बराबर होगा।

*२२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

बांदा जिले में सीतापुर तथा चित्रकूट देवस्थानों का जमींदारी मुआवजा

*२३—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन देवस्थानों में गांव माफी व जमींदारी दोनों देवताओं के नाम थे उन्हें क्या मुआवजा दिया जाता है, या दिया जायेगा ?

श्री चरणसिंह—जिन देवस्थानों में जमींदारी तथा गांव माफी देवताओं के नाम मध्यवर्ती के रूप में अभिलिखित थे, उन्हें उनके संबंध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार निकाली गई पक्की निकासी के आठ गुना के बराबर मुआवजा देय है।

*२४—श्री जगपति सिंह (अनुपस्थित)—जिन देवस्थानों में केवल जमींदारों द्वारा दी गई मालगुजारी सरकार द्वारा बतौर माफी के दी जाती थी उन्हें अब क्या दिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—यदि देवता मध्यवर्ती नहीं है तो उक्त अधिनियम की धारा ६(ख) के अनुसार माफी का अनुदान समाप्त हो गया है जिसके संबंध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा देय नहीं है

*२५—श्री जगपति सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि बांदा जिले के सीतापुर, चित्रकूट के देवस्थानों को वह क्या मुआवजा दे रही है ?

श्री चरणसिंह—बांदा जिले के सीतापुर, चित्रकूट के देवस्थानों के जमींदारी मुआवजे की अवधारित धनराशि ३,०६,६६८ रु० १२ आना है।

जौनपुर जिले में अधिवासियों से मालगुजारी की वसूली

*२६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में अधिवासियों से मालगुजारी की वसूली कब से शुरू की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जौनपुर जिले में अधिवासियों से मालगुजारी की वसूली खरीफ १३६३ फसली की किस्त के साथ शुरू की गई है।

*२७—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मालगुजारी की वसूली जिला के प्रत्येक तहसील से की जा रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपरोक्त मालगुजारी की वसूली जिले की प्रत्येक तहसील में की जा रही है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि खरीफ १३६३ फसली की वसूली के साथ किस-किस फसली सन् की वसूली कब से की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१३६३ से ही की गयी।

श्री बाबूनन्दन—मेरे पूछने का मतलब है किस तारीख से शुरू की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जब खरीफ की फसल की देय शुरू होती है उसी तारीख से शुरू की गयी।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के देवारा खास के लोगों का बसाया जाना

*२८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वर्तमान सत्र (प्रथम सत्र १९५५) के ५ वें सोमवार के प्रश्न संख्या १९ व २० के उत्तर के अनुसार आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील से देवारा खास के अब तक कितने परिवार पुनः बसाये नहीं जा सके ? क्या सरकार इन परिवारों को अन्यत्र जमीन देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—पिछले सत्र के पांचवें सोमवार को प्रश्न संख्या १९,२० के दिये उत्तर के अनुसार आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के देवारा खास के ७२ परिवारों को बसाया जा चुका है तथा कृषि योग्य भूमि भी दी जा चुकी है। शेष परिवारों ने स्वयं अपने बसने का प्रबन्ध निकटवर्ती ग्रामों में कर लिया है। अब उनके बसने की समस्या नहीं है बल्कि उनके जीवन-निर्वाह हेतु कृषि योग्य भूमि देने की व्यवस्था करना रह गया है। भूमि उपलब्ध की जा चुकी है जो पैमाइश के बाद वितरित कर दी जायगी।

जौनपुर जिले में बस सर्विस बढ़ाने की मांग

*२९—श्री नागेश्वर द्विवेदी—(जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की किन-किन सड़कों पर सरकारी बसें चल रहीं है और उनकी संख्या कितनी-कितनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जौनपुर जिले के जिन मार्गों पर सरकारी रोडवेज की बसें चलती हैं उनका ब्योरा, मय बसों की संख्या के माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१ पर)

*३०—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार का विचार जौनपुर जिले की कुछ नई सड़कों पर सरकारी बस चलाने का है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी सड़कें हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। परन्तु जौनपुर–सिंगरामऊ मार्ग फिर से प्रकाशित किया गया है क्योंकि इस पर ओवरलेपिंग (overlapping) था।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नई सड़कों को लेने में किस प्रकार की सड़कों को प्राथमिकता देते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां जरूरी ज्यादा होता है या और कोई आवश्यकतायें होती हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे लाइनों के समानान्तर जो सड़कें जाती हैं उन पर सरकार बसें नहीं चलाना चाहती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह आम नियम तो नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या यह सच है कि नई सड़कों को लेने में प्राइवेट बस एसोसियेशन वाले विरोध किया करते हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो राय का सवाल है

बाराबंकी जिलान्तर्गत ग्राम-पंचायत चुनाव संबंधी झगड़े में एक हत्या के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसेवक यादव ने थोड़ी देर पहले अभी भेजा था। वह बाराबंकी जिले में एक ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद अभी कुछ झगड़ा हो जाने से एक गांव में कोई व्यक्ति मारा गया, उसके प्रश्न को लेकर है, लेकिन इसके साथ उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है और कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं दिया है और मैं समझता हूं कि अखबार की खबर पर ही यह आधारित है। इसलिए यह निश्चित नहीं मालूम होता। इसलिए, और दूसरे इस कारण से भी, कि कल पुलिस बजट पर विवाद होगा, उस समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है, उस समय वह बोल सकते हैं और यह विषय उस बहस में आ ही जायगा इस लिए इसकी इस समय आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इन दोनों कारणों से मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि श्री रामसेवक यादव ने जो कामरोको प्रस्ताव पेश किया है उसके सम्बन्ध में वह सचमुच घटनास्थल पर गए थे और उन्होंने ही समाचार पत्रों और पुलिस को खबर दी है...।

श्री अध्यक्ष—आप उनके वकील बनकर नहीं बोल सकते, आप उनको ही कहने दें अगर वह कहना चाहें। मैंने तो निर्णय जो देना था वह दे दिया।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आपने जो विचार प्रकट किया है मैं उससे सहमत नहीं हूं और यह.....।

श्री अध्यक्ष—आपने कोई अपनी जांच की रिपोर्ट मेरे पास भेजी?

श्री रामसेवक यादव—वह तो नहीं भेजी।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तो आपका केवल यह प्रस्ताव आया है। इसके साथ कोई जांच की रिपोर्ट नहीं आयी है। आप अगर वहां मौके पर गये थे तो जांच की रिपोर्ट मेरे पास भेजते। इस विषय में नियम यह है कि जब कभी आपको कोई ऐसी बात मालूम हो, और आप समझते हैं कि कोई विषय आपका प्रयत्क्ष रूप से देखा हुआ है, तो आपको लिख देना चाहिए कि स्वयं जांच करके इस आधार पर लिखा गया है। लेकिन आपने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी।

आपने उस कथित चीज को प्रस्ताव में व्यक्त नहीं किया और कोई आधार प्रस्ताव का नहीं दिया। इसके साथ ही जो प्रस्तावक को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, वह जिम्मेदारी उसमें प्रतीत नहीं होती। एक तो इस वजह से मैंने यह निर्णय दिया, और दूसरी चीज यह है कि अगर कोई विषय भी होता तब भी कल पुलिस बजट पर बहस होने वाली है। उस में यह सवाल या यह विषय उठाया जा सकता है और बजट कल आ रहा ही है, इस लिए यह आवश्यक भी नहीं था। इन दोनों कारणों से मैंने यह निर्णय आपके सामने रख दिया। आप कल बोलना चाहें तो कल बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी कराना चाहता था...।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १८ जनवरी, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ जनवरी, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २२ फरवरी, १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का ८ वां अधिनियम बन गया।

बाराबंकी जिलान्तर्गत हत्या संबंधी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की चर्चा

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५६-५७ ई० के लिए आय व्ययक में...।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अभी जो आप ने निर्णय दिया इस कामरोको प्रस्ताव पर, उसे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह बात जरूर है कि एक ऐसा विषय है कि जिस पर सदन को और आपको कुछ सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। बाराबंकी में दो तीन कत्ल पहले हो चुके हैं और यह चौथा कत्ल है। तो इसमें संदेह नहीं कि कल पुलिस का बजट...।

श्री अध्यक्ष—लेकिन मैंने उसके कारण तो बता दिये। अब अगर आपको बोलना है....।

श्री गेंदासिंह—मैं थोड़े में आपसे निवेदन कर दूं कि मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पुलिस वाले बजट पर कल हम वाद-विवाद अवश्य करेंगे, लेकिन पुलिस के बजट पर सारे सूबे की हालत पर विचार करेंगे। बाराबंकी में एक विशेष परिस्थिति हो गयी है जिस पर मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर विचार करने के लिए सदन को मौका देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—आप उसके लिए एक विशेष कटौती का प्रस्ताव दे सकते हैं, बाराबंकी के लिए। कटमोशन दे कर एक व्यक्ति उस पर ज्यादा बोल सकता है। यह चीज हो ही नहीं सकती कि आप पुलिस बजट में उस पर बोल ही न सकें। घंटे या आध घंटे उस पर चर्चा हो ही सकती है, कटौती के प्रस्ताव में। और कामरोको प्रस्ताव में भी घंटे या दो घंटे बोल सकते हैं, कुल सदस्यों को मिला कर। इसमें दिन भर आप पुलिस के बजट पर विचार करेंगे तो २५ सदस्य बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें, यदि वह ऐसी महत्व की बात है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसलिए कि आप यह कहते हैं कि कल पुलिस का अनुदान आ रहा है उस पर विवाद हो सकता है, मगर जो परिस्थिति बाराबंकी की है उसमें ऐसी सम्भावना हो सकती है कि विवाद में जो भाग लेने वाले हों, वह आज ही खत्म कर दिये जायं, वहां सौ दो सौ गुंडे बराबर.....।

श्री अध्यक्ष--सवाल तो यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति थी तो उसके लिए आपको खास तौर से लिखना चाहिए था, कि आप ने इन्क्वायरी की.....।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने आपको दो बार फोन किया बताने के लिए, लेकिन आपका फोन खराब था।

श्री अध्यक्ष--इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आप इसके पहले इतने कामरोको प्रस्ताव ले चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--लेकिन वह तो खत्म हो चुका, उसके लिए.....।

श्री राजनारायण--हमको इतना ही कहना है कि जब सदन को मौका नहीं दिया जा रहा है, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर वाद विवाद करने का, और इस तरह से आर्गेनाइज्ड हत्याएं होती चली जायं...।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके.....।

श्री राजनारायण--तो आपकी व्यवस्था के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें, एक चीज सुनें जरा। आप स्वयं दोष करें और फिर गुस्सा करें, उसके लिए लाचारी है। नियम आपको मालूम है कि जो कामरोको प्रस्ताव आता है उसका नियम क्या है। जब बहुत महत्व का विषय था तो आपको सोच लेना चाहिए था कि नियम का पूरा परिपालन करें। अगर आप वहां गये थे तो आप लिख देते कि मैं वहां गया था और मैंने यह इनक्वायरी की, महत्व उसका बढ़ जाता। यह सब गलती आप करते चले गये और उस गलती से आपको जो परिणाम मिला उसपर गुस्सा होना अनुचित सा है। आप इस पर पुनर्विचार कर लें। आपके उक्त सूचना न देने के कारण यह बात हुई। मैं अब लौट करके उस प्रश्न पर नहीं जा सकता हूं क्योंकि नयी परिस्थिति आपने पैदा करदी। इसलिए कामरोको प्रस्ताव पर फैसला लौटा लें, यह कोई कारण नहीं है।

श्री राजनारायण--यह आपने कई बार पहले भी किया है कि कामरोको प्रस्ताव पर उस समय व्यवस्था न दे कर उसी विषय पर.....।

श्री अध्यक्ष--मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन आपने इनको मौका भी नहीं दिया, पूछने का आप ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं तो मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आप जा सकते हैं।

(इसके उपरान्त श्री राजनारायण अपने साथियों सहित सभा से उठ कर चले गये)

१९५६–५७ के आय व्ययक के विभिन्न अनुदानों पर विवादार्थ समय विभाजन

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं समय का निर्णय चाहता हूं, और आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१ और ४४ दोनों एक साथ ले ली जायं क्योंकि ये ऐग्रीकल्चर से सम्बिन्धित हैं, और इन दोनों के लिए सवा दो घंटा रख दिया जाय।

और अनुदान संख्या २३ के लिये १ घंटा। बाकी समय अनुदान संख्या ३८ के लिये।

१९५६–५७ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, इंजीनियरिंग और खोज तथा अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

कृषि मन्त्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज, (लेखा शीर्षक ४०—कृषि) के अन्तर्गत २, ९३, ८४, ५०० रु० की धनराशि स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत ३, ७०, २५, ००० रु० की धनराशि स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, जैसा कि हमारे सदन के सभी सदस्यों को मालूम है खेती हमारे सूबे के लिये एक बहुत महत्व की वस्तु है। हमारे सूबे में अधिकांश लोग खेती से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं जिनकी संख्या लगभग ८० से ८५ फीसदी के दर्मियान में हैं। स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश में खाद्यान्न की काफी कमी थी और खाने-पीने की वस्तुओं की कमी की वजह से एक जटिल परिस्थिति उपस्थित हो चुकी थी। कन्ट्रोल का दौर दौरा था। लोगों को हर तरह से परेशानियां उठानी पड़ती थीं और उन परेशानियों को दूर करने के लिये काफी तादाद में विदेशों से गल्ला मंगाना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप हमारे देश के ऐक्सचेंकर पर इतना बुरा असर पड़ता था कि हमारे विकास के और कामों में पैसे की कमी पड़ जाया करती थी। इसलिये सरकार ने यह सोचा कि किसी तरह से इस समस्या का हल किया जाय और हमारे देश में खुद इतना गल्ला पैदा होने लगे कि हमको बाहर से मंगाने की जरूरत बाकी न रहे और दूसरे देशों पर मोहताज न रहें। इसी वजह से प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कायम की गई उसमें हमारे लिये एक टार्गेट रखा गया। जहां तक मेरा खयाल है यू० पी० के लिये ९.८३ लाख टन का टार्गेट रखा गया था। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उस टार्गेट की पूर्ति के लिए हर तरह के प्रयास किये और दो ढंग से प्रयास किये गये। एक ढंग तो यह था कि जो नयी काबिल काश्त जमीन हो—(अध्यक्ष महोदय, बहुत शोर हो रहा है।) उसको अजसरे नौ उस पर काश्त की जाय तो इस तरह से काफी रकबा जेरेकाश्त लाया गया और उसमें पैदावार की गई। दूसरा तरीका यह अख्तियार किया गया कि जो रकबा जेरेकाश्त पहले से था उसमें जरा तरद्दुद करके उसकी उपज में इजाफा किया जाय, और उपज में इजाफा करने के साधन उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाय। सिंचाई के साधनों में भी इजाफा किया गया,

[श्री हुकुमसिंह]

काफी लम्बी नहरें खुदवाई गईं, मशीनरी वेल खुदवाये गए, ट्यूबवेल भी खुदवाये गए और तालाबों को गहरा करके उसमें पानी इकट्ठा करने का इन्तजाम किया गया जिसके फलस्वरूप सिंचाई में काफी वृद्धि हुई। उसके साथ-साथ खाद का इन्तजाम किया गया। फर्टिलाइजर काफी तादाद में बांटा गया। ग्रीन मैन्योरिंग करने के लिये सीड भी काफी तादाद में बांटे गये तमाम सूबे में, और इस तरह से खाद की तरफ तवज्जह लोगों की दिलाई गई कि वह अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा मिकदार में खाद का प्रयोग करें जिससे कि जमीन की पैदावार की शक्ति में इजाफा हो, और ऐसा लोगों ने किया। उसके साथ-साथ नये ढंग के औजारों का भी प्रबन्ध किया गया। ट्रैक्टर भी लोगों ने अपने काम में लाने शुरू किये और नये ढंग के हल और दीगर औजार भी काफी तादाद में लोगों ने इस्तेमाल किये। इन सब उपायों के करने के बाद मैं यह कह सकता हूं, और यह केवल मेरे कहने की बात नहीं हमारे देश में खाद्यान्न की पैदावार में काफी इजाफा हुआ और अगर मैं यह कहूं तो कोई अत्युक्ति न होगी कि जो टार्गेट मुकर्रर किया गया था उससे हम आगे चले गए हैं और जिसके फलस्वरूप अब हम विदेशों के मोहताज नहीं कि हम वहां से गल्ला मंगायें तब हमारे देश की खाद्य समस्या हल हो।

सेल्फ सफिशियेंसी के स्टेज तक हम पहुंच अवश्य गये हैं लेकिन फिर भी मैं इस सदन के सामने यह कह देना उचित समझता हूं कि अभी इस स्टेज पर हम पहुंचे हैं कि हमको शिथिल नहीं हो जाना है, अपने प्रयास को बदस्तूर कायम रखना है। और उसका मुख्य कारण यह है कि जो खाने वालों की तादाद है वह रोजमर्रा बढ़ती ही रहती है, उसमें कमी नहीं होती। तो यदि हम अपने प्रयास में शिथिल हो गये तो सम्भव है कि वैसी ही जटिल समस्या फिर हमारे सूबे और हमारे देश के सामने उत्पन्न हो जाय। जहां तक मुझे याद है हमारे सूबे में दो हजार आदमी रोज पैदा होते हैं, और अगर हिसाब लगाया जाय तो एक घंटे में ८० की पैदावार होती है और अगर मिनट तक चला जाय तो एक मिनट में एक से अधिक पैदा होते हैं। रफ्तार तेज है लिहाजा हमको आपको गफलत नहीं करना है। खाद्यान्न के पैदा करने में भी हमारी रफ्तार बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। इन सब बातों को मद्देनजर रख कर आपकी सरकार इस खेती के काम को उन्नत करने के लिये बहुत सी योजनायें कार्यान्वित करने की सोच रही है और कुछ पर पहले से काम करती चली आ रही है। जो मुकम्मल नहीं हुई उनको जारी रखना है, और उनके अलावा और नयी स्कीमें जारी करना है। अभी तक हमारे देश में एक पुराने ढंग की खेती हुआ करती थी, जबकि तमाम विदेशों में वैज्ञानिक ढंग से खेती होती है और उनके यहां काफी गल्ला पैदा होता है। हम भी अगर उन सब का मुकाबला करना चाहते हैं तो अपनी खेती के तरीके में तब्दीली लाना और उसको एक वैज्ञानिक ढंग का रूप देना चाहिये, और यह तभी हो सकता है जब कि हमारे देश में कुछ लोग खेती के विज्ञान को ठीक तौर से पढ़ें और उसमें जानकारी हासिल करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आपकी सरकार कानपुर में एक ऐग्रीकल्चरल कालेज चला रही है, उसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बैंडरी की शिक्षा दी जा रही है, और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज एम० एस-सी० और पी० एच०डी० की भी शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा सूबे में गोरखपुर, बुलन्दशहर और झांसी के जिले में चिरगांव में भी एक-एक ऐग्रीकल्चरल स्कूल खोल रखे हैं जिनमें लोगों को एग्रीकल्चर की शिक्षा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यकता है कि हम गेहूं, चना, जौ, धान इत्यादि की नयी वेराइटियां दरियाफ्त करें जिनकी पैदावार काफी होती हो, और जो गेरुई और दीगर मर्जों को रेजिस्ट कर सकते

हों। ऐसी-ऐसी फस्लों के लिये रिसर्च स्टेशन्स भी खोल रखे हैं और कानपुर कालेज में भी रिसर्च का बड़ा काम हो रहा है और सूबे में भी मुख्तलिफ जगहों पर रीजनल रिसर्च स्टेशन्स खोल रखे हैं ताकि हर जगह की स्वायल और क्लाइमेटिक कन्डीशन्स को देखते हुये खोज निकालें कि कहां पर किस किस्म की फस्ल, किस नम्बर का गेहूं, किस नम्बर का धान, किस नम्बर का मटर वगैरह सरसब्ज हो सकता है। इसलिये इस तरफ भी आपकी सरकार पूरे तौर से प्रयत्नशील है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––बाकी बाद को कह लीजियेगा।

श्री हुकुमसिंह––अगर दस मिनट का वक्त होता तो मैं कतई न बोलता, चूंकि वक्त काफी है इसलिये बोलने में कोई हर्ज नहीं समझता। और अगर आप कहें तो मैं खत्म कर दूं। इसके साथ-साथ आपकी सरकार की यह भी स्कीम है कि हमारे देश में उन्नतशील बीजों का इस्तेमाल हो जिससे पैदावार में काफी वृद्धि हो। इसके लिये हमने काफी रकम रखी है और प्रयास इस बात का होगा कि हमारे प्रदेश से उन्नतशील बीज के अलावा सेकेंन्ड और थर्ड ग्रेड का बीज ही न रह जाय। तभी हमारे देश की पैदावार में तरक्की हो सकती है। हमने और बहुत सी योजनायें इस संबंध में बना रखी हैं। मेरी इच्छा थी कि संक्षेप में सभी के बारे में कुछ कहूं। लेकिन हमारे मित्र उपाध्याय जी की यह इच्छा है कि मैं ज्यादा वक्त न लूं और मैं वह वक्त अपने मित्रों को दे दूंगा ताकि उनकी बात सुनने का अवकाश मुझे मिले। मैं भी चाहता हूं और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरा तो हमेशा ही यह खयाल रहता था और इस चेतावनी के बाद मेरी याददाश्त ताजी हो गई कि हमारे मित्रों को काफी वक्त मिलना चाहिये और उनकी बातों को मैं सुनूं। मेरा ऐसा कयास है कि उनके कांस्ट्रक्टिव सजेशन्स होंगे, इसलिये उनके सुनने का मुझे जरूर मौका मिलना चाहिये और मैं उनसे फायदा उठाऊं, और उनके आधार पर मैं इस विभाग को चलाने का ठीक तरह से प्रयास करूं। इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि यह सदन इस धनराशि को स्वीकार करे।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)––श्रीमान, क्या समय है १० मिनट और सात सात मिनट ?

श्री अध्यक्ष––कटौती प्रस्तावक को १५ मिनट और बाकी लोगों को ७-७ मिनट।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २१ और ४४ में एक-एक रुपये की कमी करने का प्रस्ताव आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं। श्रीमान, यह बात सही है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, और यहां की ८५ प्रतिशत आबादी खेती पर अवलम्बित है। जहां पर इतनी आबादी खेती पर आधारित हो, और जहां के खेतों में हर प्रकार का गल्ला पैदा हो सकता हो, वहां की सरकार खेती की उन्नति करने और खेती के सामानों की कीमत तय करने तथा गल्ले का मूल्य निर्धारण करने में शत प्रतिशत विफल हुई है।

श्रीमान् हमारे प्रदेश में कोई फसल ऐसी नहीं है जिसकी पैदावार हमारे यहां न होती हो। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर एक हिस्से में हर तरह की पैदावार होती है। खासकर हमारे प्रदेश में गन्ने की पैदावार देश की पैदावार का आधा हिस्सा होती है। लेकिन गन्ने की पैदावार बढ़ाने में सरकार से क्या

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

प्रोत्साहन मिला है और सरकार ने गन्ना उत्पन्न करने वाले किसानों को किस ढंग से उत्साहित किया है ? मैं समझता हूं कि अगर उसका सिंहावलोकन किया जाय तो उससे मालूम होगा कि हमारी सरकार बिल्कुल विफल हुई है, और श्रीमान्, मैं कहने में संकोच नहीं करता कि सरकार का काम गन्ना उत्पादकों के हक में नहीं हुआ बल्कि मिल मालिकों के हक में हुआ है ।

खेती-बाड़ी के अलावा हमारे प्रदेश में जो फल पौदे हैं उनको बढ़ाने के लिये अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? इसका बजट में थोड़ा सा सिंहावलोकन है । गन्ने की पैदावार को ही लीजिये; गतवर्ष हमारे प्रदेश में मिलों में केवल २५ करोड़ मन गन्ना लगभग ३६ करोड़ रुपये का गया, और जिस तरह से गन्ने की कीमत तय की जाती है मैं समझता हूं कि गन्ने की कीमत तय करने में मेरी सरकार किसानों के हक में तय नहीं कर पाती है बल्कि मिल मालिकों के हक में तय करती है और बिना किसानों से पूछे कि तुम्हारे गन्ने में कितनी लागत लगी है, कितनी मालगुजारी है और तुम्हें कितने प्रतिमन मिलना चाहिये, इन सब बातों के बिना किसानों से पूछे हुये सरकार गन्ने की कीमत तय कर देती है । और दिल्ली की सरकार को यह सरकार मजबूर करने में असफल होती है कि गन्ने की कीमत को ठीक तरह से तय करे । २५ करोड़ मन गन्ना पार साल पेरा गया जिसमें मिलों को सब से ज्यादा पैसा मिला और उसी हिसाब से ३ आना प्रति मन केन सेस का ४ करोड़ से अधिक रुपया सरकार को मिला होगा । लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने उस चार करोड़ रुपयों में से गन्ना उत्पादकों का, जिस से खेती में उत्साह बढ़े, उन के गुड़ और खांड सारी की कीमत ठीक तरह से तय हो, इसके लिये सरकार ने क्या प्रयास किया है ? मैं जानना चाहूंगा कि सरकार आजकल गन्ने के अच्छे बीज कितने मन गन्ना उत्पादकों को प्रदान करती है और कितने मन गन्ना किस क्षेत्र से प्रति दिन लिया जायेगा । क्या सरकार उत्पादकों के तहत में या यह काम कराने में मिल मालिकों से कामयाब हुई या नहीं ? इस बजट में यह भी कहा गया है कि गन्ने की तरक्की के लिये और प्रति एकड़ गन्ना ज्यादा पैदा हो, कुछ अनुदान दिया गया है, और मुख्य गन्ना खोज के स्टेशन और उप-स्टेशन मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और शाहजहांपुर में खोल कर उसका विकास किया जायेगा, भवन निर्माण होगें । लेकिन क्या उस बजट में यह भी कहा गया है कि वर्ष के अन्दर गन्ने के बीज के सम्बन्ध में खोज की जायेगी या गन्ने के जो बीज दिये गये वह उपयोगी हुये या अनुपयोगी हुये ? इस के बारे में कोई बात स्पष्ट की जायेगी ? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जो गन्ने के बीज हैं और जो गन्ना उत्पादकों को दिया जाता है उसमें वर्षों बीत जाते हैं और किसान बार-बार उसी गन्ने को बोता है । सरकार की ओर से और मिल मालिकों की ओर से, इस मुख्य गन्ना स्टेशन की ओर से सारे प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को यह सन्देश नहीं पहुंचाया जा सकता है कि फलां नम्बर के गन्ने को न बोओ और फलां को बोओ । अच्छे रूप में यह सलाह सरकार देने में नाकामयाब हुई, और मैं यह भी निवेदन करूं कि जो मुख्य तथा उप-गन्ना खोज स्टेशन मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर और गोरखपुर में कायम हैं उनके काम को भी बतलाना चाहिये ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में जो स्थान हैं गन्ना पैदा करने वाले, उनमें ११ मुख्य स्टेशन और उप-स्टेशन बनाये जायं, तब मैं समझता हूं कि इसमें पूरी कामयाबी हो सकती है । श्रीमान्, गन्ना उत्पादकों के लिये स्टेशनों पर और मिलों पर गन्ना ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है और खाद देने में और सिंचाई के साधन सुलभ कराने में सरकार मिलों को मजबूर नहीं कर पायी है, और खुद श्रीमान इतनी तादाद में हमारे प्रदेश में जो गन्ना बोया जाता है उसको प्रोत्साहन अच्छी तरह से नहीं मिल सका । मिल एरिया में ३ लाख एकड़ गन्ने की पैदावार होती है । सरकार की योजना है कि ११ लाख एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ाई जाय और उसके लिये २० लाख मन गन्ने के बीज सरकार बाहर से मंगाना चाहती है । सरकार को बड़े ठंडे दिल से किसानों के हक

में उन स्थानों को भी देखना चाहिये जो मिल एरिया में नहीं हैं। बाहर के स्टेशनों से गन्ना आता है, वहां पर गन्ने की हालत यह है कि गन्ना रखने को कोई स्थान नहीं है और कई दिनों तक रक्खा रहने के बाद गन्ना वापस चला जाता है। सरकार का बहुत बड़ा विभाग इसके लिये खुला हुआ है लेकिन श्रीमन्, हमने गन्ने के कई स्टेशनों को देखा है, वहां पर महीनों तक जो कांटा है गन्ना तोलने का वह टूटा पड़ा है। केन कमिश्नर को तार दिया गया, गवर्नमेंट को तार दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दो-दो, तीन-तीन महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो किसान किस तरह से गन्ने को लाकर दे सके? हमारे प्रदेश में खासकर के गन्ने से गुड़ और खांडसारी बनाने की भी योजना है। ७० प्रतिशत गन्ना गुड़ और खांडसारी में खप जाता है। लेकिन गुड़ जो पैदा होता है उसकी कीमत भी संतुलित करने में सरकार बिलकुल नाकामयाब हो जाती है।

इस बजट में कहा गया है कि २५ करोड़ मन के करीब गुड़ इस प्रदेश में पैदा होता है और उसका हिसाब लगा दिया गया है १५ रु० मन का! मैं आप के द्वारा कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि गुड़ का मूल्य इस वक्त दस रुपया मन से देहात में कहीं ज्यादा नहीं है। तो इस वक्त जो यह गुड़ की कीमत है, वह किस प्रकार से आंकी जाती है और सरकार का इससे क्या सम्बन्ध है? खांडसारी की हालत वही है। वह हमारे पश्चिमी जिलों और बरेली वगैरह की एक खास रोजगार है। लेकिन उसकी उन्नति के लिये भी सरकार ने जितनी कामयाबी हासिल की है उसे मंत्री जी ही जानते होंगे। बिहार और यू० पी० शुगर कंट्रोल बोर्ड ने एक मत से यह निश्चय किया कि हमारे प्रदेश की चीनी मिलें १५ अक्टूबर से चालू हों। लेकिन वे १५ दिसम्बर से चालू हुईं। इसका यह नतीजा हुआ कि गन्ना खेतों में बहुत बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है। बाराबंकी से लेकर दिल्ली की सरहद तक जाइये। लाखों मन गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है। मेरा खयाल है कि जितना गन्ना है उसको पेरने में मिलें नाकामयाब होंगी और जल्दी ही मिलें बन्द होने वाली हैं। इसका नतीजा यह होगा कि लाखों मन ईख खेतों में सूख जायेगी और सरकार भी कहने लगेगी कि हम क्या करें, मिलों के पास गन्ना आता नहीं! एक तरफ सरकार चाहती है कि मिलों को ज्यादा गन्ना मिले, और जितनी उनको आवश्यकता है उतना मिले। तो दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है। या तो गन्ना खेतों में है नहीं या सरकार या मिल उसको लेने में बिलकुल असमर्थ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार मिलों को ठीक-ठीक पूरा गन्ना दिलाने में नाकामयाब होती है जिससे गन्ना उत्पादकों का गन्ना सूख जाता है और सरकार कहती है कि पूरा गन्ना मिलता नहीं। इसी प्रकार की दोहाई सरकार देती है कि गन्ना मिलता नहीं है। श्रीमन्, यह कहा जाता है कि प्रदेश में उन्नत बीजों के लिये सरकार ने कुछ काम किए जो बजट में है उसके अनुसार हमारे प्रदेश में ६४ लाख मन बीज पंचवर्षीय योजना के अनुसार उन्नत बीज गोदामों में रखा जायेगा। लेकिन आज उन्नत बीजों की हालत प्रदेश में क्या है यह सरकार को मालूम नहीं। प्रदेश में जितने बड़े-बड़े जिले हैं उसमें जहां कृषि विभाग की ओर से बीज भंडार हैं वहां कुछ सहकारी विभाग की ओर से भी है। एक ही कस्बे में कृषि और सहकारी विभाग दोनों का बीज भंडार है। और दोनों श्रीमन्, किसानों को उन्नतबीज देने में नाकामयाब हो जाते हैं। इरादा केवल इरादा ही मात्र रह जाता है।

श्री हुकुमसिंह––मैं पूछना चाहूंगा श्रीमन्, कि किस मुकाम पर दोनों स्टोर हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय––अभी बता दूंगा। इसमें एक पालिसी होनी चाहिये। या तो इनको कृषि विभाग ही ले ले और या सहकारी भंडार ही उनको चलायें। दोनों स्टोर एक ही विभाग के अन्तर्गत रहने चाहिये और अलग-अलग नहीं होने चाहिये। इस तरह से बड़ी

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

दिक्कत होती है। आप ६,६ कोस तक चले जाइये, एक भी बीज भंडार नहीं मिलता। और बीज भंडारों की जो हालत है वह बहुत खराब है। इससे कोई बड़े पैमाने पर उन्नति किसानों की नहीं होने वाली है।

राजा वीरेंद्रशाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, इसके लिये तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई दूंगा कि अन्न की समस्या इस प्रांत में उन्होंने हल कर दी। जिस सफलता से और विश्वास से मंत्री जी ने यह बताया कि अन्न की समस्या हमारे प्रांत में हल हो गई उसके साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि वह बतलायें कि जो हमारी आबादी बढ़ रही है, दो हजार रोज पैदा होते हैं, उसके लिये वह क्या कर रहे हैं? इसके लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि वह चाहते हैं कि कृषि की उन्नति हो और यह समस्या भी हल हो, तो आजकल कृषकों को जो मुनाफा होता है उसकी तरफ, और जो खेती से उनका रुझान कम हो रहा है, जिसका कारण आजकल नई पैदा होती हुई दिक्कतें और मुसीबतें हैं उनकी तरफ भी उनका ध्यान देना आवश्यक है।

इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि आप कृषि आय-कर पर अपना ध्यान दें। आप देखें कि कृषि आय-कर इस समय उस ऊंची शिखा पर पहुंच गया है कि जो बड़े-बड़े फार्म होल्डर्स हैं बहुत थोड़ा सा ही फायदा होता है, जिसके लिये उन्हें इतनी जहमत उठानी पड़ती है और टैक्स आदि देना पड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि जो मुनाफा करे उससे आप टैक्स न लें, आप टैक्स जरूर लें लेकिन उसका कोई हिसाब रहना चाहिये। जब गल्ले का भाव बढ़े तो आप बढ़ा लें, लेकिन जब गल्ले का भाव घटे तो आपको टैक्स की रकम घटानी चाहिये। सरकार यह करती है कि बढ़ने के समय तो टैक्स बढ़ा देती है लेकिन भाव घटने पर कुछ नहीं होता और वह मारे-मारे घूमते हैं। हमने सरकार से तीन बार मल्टिपिल टैक्स के लिये प्रार्थना की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर भी ध्यान रखें।

दूसरे फार्म होल्डर्स को यह भी भय है कि सीलिंग होगी। हम रोजाना सुनते हैं, कभी सोशलिस्ट भाई कहते हैं और कभी कोई कि लिमिट कर दी जाय। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अभी सरकार ने इस पर कोई विचार किया है? मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।.....

श्री हुकुमसिंह--सीलिंग और एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक नहीं, रेवेन्यू से कहियेगा।

राजा वीरेन्द्रशाह--मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्न का उत्पादन करने के लिये और उसे कायम रखने के लिये, जिन लोगों ने उस रोजगार को अपनाया है, उसके लिये आप को भी यह सब देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा गल्ला पैदा हो तो आपको इसे देखना पड़ेगा। जैसी आपने इजाजत दी, उन्होंने यहां पैसा लगाया है। अब आपका काम निकल गया, अन्न की समस्या हल हो गई, तो वह चूल्हे भाड़ में जायं, यह नहीं होना चाहिये। तो यहां मैं संकेत रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चित करना चाहिये और यह सिफारिश करनी चाहिये रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से.....

श्री अध्यक्ष--आप इस तरफ ध्यान दें। सरकार एक है, लेकिन विभाग अलग-अलग हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह--मैं समझता हूं कि आपका कहना श्रीमन्, मंत्री जी अधिक सुनेंगे मेरी तो कोई सुनवाई होती नहीं। आप जिस प्रकार की मैकनाइज्ड फार्मिंग के लिये आज ३० एकड़ और ५० एकड़ रखने जा रहे हैं, इतनी जमीन पर कोई आदमी किस प्रकार से ट्रैक्टर से काम कर सकता है? जिस प्रकार से मैकनाइज्ड फार्मिंग होती है, उसी प्रकार से यह होनी चाहिये। मेरे खयाल से मैकनाइज्ड फार्मिंग के लिये २०० एकड़ जमीन होनी चाहिये।

एक ट्रैक्टर के पास कम से कम इतनी जमीन तो जरूर होनी चाहिये। जब आप मैकनाइज्ड फार्मिंग की बात करते हैं, तो उसके लिये आपको कुछ सीमा निश्चित करनी चाहिये। आप को २०० एकड़ तक तो छूना ही नहीं चाहियें। इसका संकेत सरकार की तरफ से आना चाहिये लेकिन सरकार इस विषय में कुछ नहीं कहती है। मैं केवल सरकार की सूचना के लिये यह कहना चाहता हूं कि सरकार जितने भी काम उद्योग के कर रही है, वह सब अच्छे काम हैं, और अच्छे काम कर रही है, लेकिन वह काम किसानों तक नहीं पहुंचते हैं। आपकी प्रयोगशाला से जो चीजें निकलती हैं वह आम जनता तक नहीं पहुंचती हैं। वह तो एक्सपर्ट तक ही रह जाती है। आम जनता और गरीब किसान उससे लाभ नहीं उठा पाते हैं और जितना फायदा सरकार उनको पहुंचाना चाहती है वह उनको नहीं पहुंचता है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपके जो जिले के कार्यकर्त्ता हैं, और जो आपके जिले के एग्रीकल्चर के आफिसर हैं, उनके लिये यह होना चाहिये कि जितनी चीजें आपकी प्रयोगशाला से निकलें और किसानों के फायदे की चीजें हों, वह सब किसानों तक जरूर पहुंचें। इससे उनको अधिक लाभ हो सकेगा।

जहां तक बीज गोदाम का संबंध है उसके संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इस विषय में लोग भिन्न-भिन्न राय रखते हैं। मेरी राय यह है कि दोनों बीज गोदाम रहने चाहिये। कोआपरेटिव का और एग्रीकल्चर विभाग का भी बीज गोदाम रहना चाहिये। सरकारी गोदाम इसलिये रहना चाहिये कि सरकार सहकारिता की भावना को देश में बढ़ाना चाहती है और एग्रीकल्चर विभाग का बीजगोदाम इस वजह से रहना चाहिये कि लोगों को इसकी प्योरिटी मिल सके। अगर सरकारी बीज गोदाम नहीं होगा, लोगों को यह मालूम नहीं हो सकेगा कि कौन सा बीज अच्छा है और बढ़िया है ? जब तक किसानों को अच्छा बीज के बारे में क्वालिटी मालूम न हो तब तक वह उसको बेहतर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बीज अच्छा है। इसलिये हमारा निवेदन यह है कि दोनों बीजगोदाम एक स्थान पर रहें तो बहुत अच्छा है। वितरण बीज का यदि कोआपरेटिव से कराया जाय तो ठीक है, लेकिन स्टाक सेंटर सरकार का वहां पर रखना जरूरी है वरना मैं यह समझता हूं कि वह ठीक तरह से नहीं चलेगा।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस सूबे की ८० फीसदी जनता गांव में रहती है और खेती-बाड़ी का काम करती है। इस नुक्ते निगाह से हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, सब डिपार्टमेंट के मुकाबिले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिये था। और हमको यह आशा थी कि हमारे प्रदेश में, जहां पर किसानों की इतनी बड़ी संख्या है, उनके लिये एग्रीकल्चर विभाग बहुत काम करके दिखलायेगा और उनके फायदे के लिये बहुत काम करेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम सब डिपार्टमेंट के मुकाबिले में खराब है और यह डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट में खराब डिपार्टमेंट है।

मैं इस डिपार्टमेंट के दो हिस्से करता हूं। एक हिस्सा तो गन्ने की पैदावार को बढ़ाना है और उसकी अच्छी-अच्छी वैराइटी किसानों को देकर उसकी उन्नति करना है। दूसरा हिस्सा वह है जो कि जितनी फसल होती है, उनका विकास करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर विभाग ने सिवाय मूंग नम्बर १ और २ के इन तीन चार सालों में और कोई तरक्की इस डिपार्टमेंट ने नहीं की है। गन्ने की इतनी बड़ी खेती हमारे प्रदेश में होते हुये भी गन्ने को क्रश करने के लिये देहात के लोगों के लिये कोई भी अच्छे किस्म का क्रशर आज तक इस विभाग ने जनता के सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूब सिंह]

नहीं रखा है, जिससे यह आशा की जा सकती कि इससे जल्दी काम हो जाता है। कोई चीज सामने रखी है तो एक डिबलर को सामने रखा है, एक ठप्पा को भी सामने रखा है कि इससे बढ़िया गेहूं की फसल हो जायगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस डबलर को कौन जानता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो लोग रखे गये हैं उनकी तरफ से कोई भी बेहतर नमूना आज पब्लिक के सामने नहीं आया है, जिससे अच्छे किस्म का अनाज पैदा हो सकता और जनता को उससे लाभ पहुंचता। खेती के मामले में यह विभाग फेल हुआ है। अच्छे किस्म के औजार आज तक किसानों के लिये नहीं दिये हैं और न यह विभाग उनको तैयार कर पाया है। इसके अलावा जहां तक बीज गोदामों का ताल्लुक है इस विभाग के पास बीज गोदाम भी बहुत कम है। एग्रीकल्चर विभाग के पास कहां-कहां बीजगोदाम हैं यह किसी को पता भी नहीं है। अगर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट न होता तो पब्लिक को बीज मिलना मुश्किल हो जाता। यह कहा जाता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने गन्ने की प्राब्लम को हल कर दिया है, लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि गन्ने की प्राब्लम को इस विभाग ने बिलकुल हल नहीं किया है, वह तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है कानून बनाकर, जमींदारी अबालीशन करके और किसानों को हकूक दिला कर इस प्रकार गन्ने की जो ज्यादा खेती हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वजह से बिलकुल नहीं हुई है। चूंकि मेरे पास बहुत थोड़ा समय है, इसलिये मैं इस साइड को छोड़कर पैदावार की तरफ आता हूं। जो तरक्की इस तरफ हुई है उसका श्रेय गन्ना डेवलपमेंट सोसाइटीज से है। इसके अतिरिक्त गन्ना सप्लाई का ताल्लुक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को है। इस डिपार्टमेंट का यह फर्ज अवश्य है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तवज्जुह इस ओर दिलाये कि केन कमिश्नर के आफिस के जो कायदे-कानून बने हुये हैं वे गलत हैं। केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ३ साल का औसत लेता है और उसी के हिसाब से गन्ने की सप्लाई की परचियां दी जाती हैं, यह ठीक नहीं है। यह तो केवल उन काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिये है जिनके पास बड़े-बड़े फार्म है। केन डेवलपमेंट सोसाइटीज का ताल्लुक जितने भी मिल मालिक हैं उन सबसे है, जिनके पास अच्छे अच्छे मकान हैं, जो उनकी खातिर-तवज्जुह करते हैं। ये लोग उन्हीं को ज्यादा परचियां देते हैं, और गरीब जो काश्तकार है उसकी पहले भी अवहेलना होती रही है और आगे भी ऐसी ही होती रहेगी।

इसलिये मैं यह सजेशन देना चाहता हूं कि यह जो तीन साल के औसत लगाने का तरीका है वह गलत है। उसके मुकाबिले में यह होना चाहिये कि हर साल गन्ने की पैदावार को असेस करना चाहिये और जितनी उस मिल की कैपेसिटी हो उसी हिसाब से परचियां देनी चाहिये। मेरा खयाल है उससे आगे कोई शिकायत नहीं होगी। केन डेवलपमेंट आफिस के लोग और आफिसर लोग मिल मालिकों की दावत खा खाकर उनके ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर अपनी असलियत को भूल जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि वे काश्तकारों के हितों की रक्षा करने के लिये वहां हैं, उनके सामने तो मिल मालिकों की रक्षा का सबसे पहला सवाल होता है। डिप्टी केन कमिश्नर साहब के विरुद्ध बहुत सी शुभ वाली बातें बताई गयी हैं, लेकिन वे अभी तक वहां मौजूद हैं। एक असिस्टेंट केन कमिश्नर हैं, वे वहां न जाने कहां से और कैसे आ गये हैं,? किसी नातेदारी या रिश्तेदारी के कारण आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष—किसी के व्यक्तित्व पर हमला नहीं होना चाहिये।

श्री खूबसिंह—मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं तो मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। फिर भी मैं इस अंश को छोड़ देता हूं। यदि मिल मालिकों की तरफ से किसानों को इन लोगों का रवैया नहीं बदलता है तो इस प्रकार से हम बहुत दिनों तक चलने नहीं देंगे।

मैं माननीय मंत्री जी की बेचारगी की तरफ भी कुछ दृष्टि डालना चाहता हूं। बात यह है कि उनके ऊपर दूसरे डिपार्टमेंट वाले हावी हो जाते हैं। अपनी पसंदगी के आफीसर स्वयं ले लेते हैं और बेकार के आफीसर उनके विभाग में ठूंस देते हैं और इसके कारण से माननीय मंत्री जी को, जो बहुत काम करना भी चाहते हैं, काम करने का उचित मौका नहीं मिलता। मैं आशा करूंगा कि अच्छे आफीसर उनको देकर भी सरकार के दूसरे मंत्रिगण उनको भी काम करने का मौका देंगे। अच्छे आदमियों के न होने की वजह से आज हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि कुछ चीज डिसाइड कर सकें।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)––श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले वक्ताओं ने जो बहुत सी बातें कहीं, उनमें से बहुत सी बातें इस विभाग से संबंध नहीं रखती थीं, वह उद्योग अथवा दूसरे विभागों से संबंध रखती थीं। मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने गन्ने के संबंध में जो बातें कहीं, उनमें से काश्त का जहां तक संबंध है उसी के बारे में उनको यहां इस वक्त कहना चाहिये था। हमारे इस प्रदेश में गन्ने की फसल केवल ५,६ महीने तक होती है। इसके मुकाबले में बम्बई और मदरास में गन्ने की काश्त ९ या १० महीने तक हो सकती है और यह ठीक है कि आबोहवा वहां की ऐसी है जिसकी वजह से वहां पर ९ या १० महीने फसल होती है लेकिन वहां गन्ने की फी एकड़ जो ईल्ड है वह भी यहां की ईल्ड से ज्यादा है और उस गन्ने से जो चीनी बनती है वह भी यहां के गन्ने की अपेक्षा वहां ज्यादा निकलती है। हमारे कृषि विभाग को इस बात की जांच करनी चाहिये कि हमारे प्रदेश में भी गन्ना ज्यादा महीनों तक पैदा किया जा सकता है या नहीं और अगर किया जा सकता है तो उसकी ईल्ड किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। मेरी राय में अगर हमारा कृषि विभाग इस गन्ने की समस्या को इस रूप में हल कर सके तो बहुत सी समस्यायें जो यहां उपस्थित हो जाती हैं वे नहीं रहेंगी। रह गया गन्ने का मिलों में जाना उसके संबंध में विवाद उस दिन किया जाना चाहिये जिस दिन उद्योग विभाग के संबंध में बातचीत होगी।

मंत्री महोदय ने अभी यह कहा था कि हमने अन्न के संबंध में अपने प्रदेश को स्वावलम्बी बना दिया है। ठीक है कि हमने पिछले कई सालों में नई जमीन को तोड़ कर कृषि को व्यापक किया है और उससे अन्न की समस्या को हल किया है लेकिन देखना यह है कि अगर हम जमीन को ज्यादा नहीं तोड़ते हैं तो हम अन्न की समस्या को हल कर सकते थे या नहीं। हमारे प्रदेश में किसान का औसत १ एकड़ या आधा एकड़ जमीन प्राप्त है। हमें कोशिश यह करनी चाहिये कि बजाय इसके कि हम ज्यादा जमीन तोड़ें और उसमें खेती करें हम कुछ ऐसा इन्तजाम करें कि जो जमीन हमें उपलब्ध है उसी में हम खेती कर सकें तो हम किसान को ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम नई जमीनों को तोड़ें और उनमें हल्की खेती करें। अगर हम गहरी खेती करेंगे तो हम यहां की जनता को अधिक फायदा पहुंचा सकते हैं बजाय इसके कि व्यापक खेती करें और उसमें हल्की खेती करें।

जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले में फलों की फसल अच्छी होती है और अगर उधर ज्यादा ध्यान दिया जाय तो हमारे जिले में ही नहीं बल्कि सारे प्रांत में फलों की दृष्टि से हम जनता को ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। कृषि विभाग ने पिछले कुछ सालों से सहारनपुर में जो फलों की खोज का केंद्र स्थापित किया है उसको इस बजट में और अधिक रुपया दे कर विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया है, मैं उसके लिये मंत्री महोदय को बधाई दूंगा कि उन्होंने यह समझा कि फलों की खोज न केवल इस जिले के लिये वरन सारे सूबे के लिये समान उपयोगी है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी खोज हुई है उसमें बहुत उन्नति और विकास हुआ है और जितना रुपया मिला है उससे ज्यादा रुपया मिलना चाहिये ताकि सहारनपुर में सब फलों की खोज हो सके। मुझे इस संबंध में यह भी कहना है कि यह कहा

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

जाता है कि दक्षिण के प्रांतों में ज्यादा देर तक गन्ना रह सकता है तो हमारे प्रांत में कुछ ऐसे जिले हैं जैसे देहरादून और तराई जहां कि गन्ने की फसल ९,१० महीने तक जा सकती है। लेकिन देहरादून में जो गन्ने की मिल है उसमें सप्लाई का कष्ट रहता है और सहारनपुर से वहां गन्ना जाता है। देहरादून जिसकी आबोहवा दक्षिण के जिलों से मेल खाती है वहां उस गन्ने की किस्म को पैदा किया जाय जो दक्षिण में होता है तो साल भर गन्ने की उपज हो सकती है और देहरादून की मिल को हम अधिक देर तक गन्ने की सप्लाई कर सकते हैं, और सुविधा दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सहारनपुर की ओर से लखनऊ की ओर चलें तो आप देखेंगे कि सहारनपुर से लखनऊ तक रेलवे लाइन के दोनों ओर हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो ऊसर बनी रहती है और उसमें कोई खेती नहीं हो पाती है। हमारे पश्चिमी जिलों में ऊसर जमीन कम है लेकिन राजधानी के पास के जिलों में ऊसर जमीन बहुत है। उसको ठीक करने का इन्तजाम कृषि विभाग की ओर से होना चाहिये और इस प्रकार उस जमीन को कृषि के योग्य बना लें और उपज बढ़ाये तो हम आबादी की जो समस्या है कि दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है उसको भी हल कर लेंगे। अन्त में मैं मंत्री महोदय को बधाई दूंगा कि इस मुहकमे ने जितना कि अन्न-फलों के उत्पादन के लिये और कृषि की समस्या के लिये जो प्रयत्न किया है यद्यपि आवश्यकता से कम है लेकिन उसकी सराहना करनी चाहिये और ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि प्रति वर्ष कृषि विभाग इतनी तरक्की कर सके जिससे हमारा प्रदेश कृषि की दृष्टि से अधिक से अधिक स्वावलम्बी बन सके।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पिछले जमाने, में जो खाद्य के संबंध में हमारे सूबे में तरक्की हुई है वह बहुत काफी है और हमारे यहां जो उपज पहले ८ मिलियन टन थी वह अब बढ़कर साढ़े १२ मिलियन टन के करीब हो गई है इस तरक्की के लिये मैं कृषि विभाग और सरकार को बधाई देता हूं कि उन के तरीकों से और नये-नये जंगलों को कृषि में लेने से अनाज में यह उन्नति हुई है लेकिन जो कुछ गन्ने के संबंध में कृषि विभाग ने किया है और उस के द्वारा जो उन्नति हुई है उस में एक बड़ी भारी अड़चन पड़ गई है। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में गन्ने की खास उपज होती है। हमारे बिजनौर में इतना गन्ना है जो ५ मिलों को काफी हो सकता है लेकिन वहां पर केवल ३ ही मिलें हैं। मैं जानता हूं कि वहां के गन्ना उत्पादकों को जो कष्ट हो रहा है वह विचार में भी नहीं आ सकता। वहां यह तरीका बना दिया गया है कि जितना गन्ना एक खेत में पहले होता था उससे ज्यादा मिल नहीं लेगी। एक तरफ हमारा कृषि विभाग इस चीज की कोशिश कर रहा है कि पैदावार बढ़े और खाद आदि के नये तरीकों से उन खेतों में और अधिक गन्ना पैदा हो और एक एकड़ में जितना गन्ना पहले पैदा होता था उससे ज्यादा अब पैदा होता है। मान लिया जाय कि दस एकड़ जमीन में पहले ३,००० मन गन्ना पैदा होता था तो अब यह कर दिया गया है कि सिर्फ ३,००० मन गन्ना ही मिल लेगी और मान लीजिये कि किसी किसान ने उसी खेत में ५,००० मन गन्ना पैदा कर लिया है तो उसकी यह बढ़ी हुई २,००० मन की पैदावार का गन्ना मिल नहीं लेगी। इसका नतीजा क्या होगा? इस गन्ने का क्या किया जाय मैं आपको बताऊं कि जहां गन्ने का १ रुपया ७ आने मन का भाव है वहां वह गन्ना जब मिल नहीं लेती तो जाकर क्रशर पर ७ आना और ८ आना मन जाकर बिक रहा है और किसान को भारी हानि हो रही है। इसकी जिम्मेदारी किस की है? जब सरकार ने नये तरीके बनायें हैं, नये तरीके से ज्यादा और अच्छी खाद दी है और फसल बढ़ाने के तरीके बताये हैं और फसल जब ज्यादा हुई तो उस का कोई वारिश नहीं और वह इस तरह से बरबाद होती है तो कौन जिम्मेदार है, यह तो आप कर सकते हैं कि जितने रकबे में पहले बोते थे उस से ज्यादा में गन्ना न बोया जाय लेकिन उसी रकबे में जो ज्यादा पैदा हो उस का भी इंतजाम होना चाहिये। जहां तक मैंने आंकड़े देखे हैं ७५ लाख के करीब इस विभाग पर व्यय हो रहा है। जब हमने अपने यहां गन्ने की इतनी पैदावार बढ़ा ली है तो उस को इस तरह

से खोना या ७–८ आने के भाव बिकने देना इसके लिये सरकार जिम्मेदार है और विभाग की इस संबंध में उपेक्षा की दृष्टि है। यह मैं अपने जिले के परगना अफजलगढ़ के बारे में कह रहा हूं वहां तमाम कालोनाइजेशन की स्कीमें हैं, वहां सड़कें और नहरें आदि के काम हुये हैं। वहां पर ६० लाख मन गन्ना पैदा होता है और उसमें से केवल ८–१० लाख मन गन्ना मिलों में जा पाता है और बाकी ५० लाख मन गन्ना बुरी तरह से कम कीमत पर बिक रहा है और इसी तरह से हमारे जिले के दूसरे भागों में भी गन्ना सस्ते दामों पर बिक रहा है। आप के विभाग के प्रयत्नों से जो गन्ने का उत्पादन बढ़ा है उस को मिल में ठीक तौर से पहुंचाने के लिये आप की जिम्मेदारी है और आप उसका प्रयत्न करें, या तो वहां और मिल लगाई जायं या वह मिल और ज्यादा पेरनें लगें जिससे किसानों को उन के श्रम का पूरा भाग मिलने लगे। यही मैं मान्य मंत्री जी से विशेषकर कहना चाहता था।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय––माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं इतना जबरदस्त विभाग का आलोचक न हो सकूंगा जितने कि हमारे माननीय सदस्य बिजनौर से थे। कारण यह है कि गन्ने की जो कुछ शिकायतें होंगी वह वही जान सकते हैं, हमारे और साथी लोग जहां गन्ना ज्यादा होता है वह उसके बारे में बातें कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जब किसी विभाग का बजट हमारे सामने आता है तो मैं सबसे पहली बात जो देखता हूं वह यह है कि जितना रुपया हम जिस विभाग को देते हैं उस रुपये में से कितना रुपया जनता के पास पहुंचता है और कितना रुपया सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के पास पहुंचता है। अगर हम इस अनुदान संख्या ३१ को देखें तो इसमें २ करोड़ ९३ लाख ८४ हजार ५ सौ रुपये के अनुदान की मांग हम से की गयी है। अगर हम उनके पन्नों को अलग अलग उलट कर देखें तो मालूम पड़ता है कि इसमें से २ करोड़ २५ लाख रुपया सरकारी अफसरों और उनके कर्मचारियों के खर्च में चला जाता है। सारा का सारा रुपया हमारा इम्प्लाइज में खर्च होता है और जो बाकी रुपया इसमें रह गया है, वह कंटिजेंसी के रूप में खर्च किया जायगा। जो विभाग कंटिजेंसी के रूप में रुपया मांगता है उस डिपार्टमेंट में समझ लेना चाहिए कि खुली छूट और लूट होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह फाइनेंशल इरेंगुलेरिटी क्या कहूं, लेकिन बड़ी भारी आपत्तिजनक बात है। कोई डिपार्टमेंट भी कंटिजेंसी के रूप में ज्यादा रुपया मांगें तो हमें पता नहीं चल सकता कि वह रुपया आखिर किस चीज में खर्च होगा। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि १५ हजार रुपया खर्च लिखा है और ३० हजार रुपया कंटिजेंसी लिख दिया। कंटिजेंसी के मानी हो गये कि हर चीज में खर्च हो सकता है। इस तरह से आप देखिये कि जितना बाकी रुपया दिया गया है स्कीमों वगैरह के लिए सारा कंटिजेंसी में रख दिया गया है। यह बड़ी आपत्तिजनक बात है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कंटिजेंसी में जो रुपया रखा जाता है उसका पूरा विवरण दिया जाना चाहिए कि किस काम में खर्च किया जायगा। कुछ दिक्कतें टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को हो सकती हैं, अगर टेक्निकल आफिसर को बांध देते हैं कि इस खास मद में खर्च हो तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। सब हेड्स के अन्दर एप्रोप्रिएट कराने में दिक्कत होती है। लेकिन इसके मानी यह भी नहीं हैं कि लेजिस्लेचर के सामने जिस वक्त बजट आये तो कंटिजेंसी में रुपया रख दिया और यह न मालूम हो कि किसमें कितना रुपया खर्च होगा। बिल्कुल साफ तस्वीर आनी चाहिए इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जरूर चाहूंगा कि कंटिजेंसी को हटा कर स्पष्ट रूप से मांग की जानी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

एक बात की खुशी है अवश्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह यह कि हमारे पास एक मैगजीन पशु पालन की निकलती है।

श्री हुकुम सिंह—वह ग्रान्ट नं० २३ है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—पशु-पालन की ही नहीं, सारे कृषि विभाग की ओर से एक किताब निकलती है। उसका भी खर्चा इसी में मांगा है। उसमें किसानों के सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी बातें दी गयी हैं जिनसे किसान फायदा अवश्य उठा सकते हैं और वह मोटे छापे में भी छपती हैं। उससे किसान फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वह गांव गांव में नहीं पहुंच सकी हैं। अगर वह गांव गांव में जा सके और हमारे कृषि विभाग के अफसर जो गांवों में घूमा करते हैं, या प्लानिंग विभाग के लोग, उन किताबों में जो रिसर्च की बातें निकलती हैं उनको गांव गांव तक पहुंचाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि कृषि विभाग जो रिसर्च में काम कर रहा है उसका फायदा हमारे गांव वाले भी उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में हमारे देश में काफी कहा गया है और यहां पर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए भी काफी रुपया हमारे माननीय मंत्री जी ने मांगा है। पर हम यह नहीं समझ पाये कि क्या इस प्रदेश में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तीन चार हिस्से कर दिये जायंगे? हार्टिकल्चर का सब से बड़ा हिस्सा जो है वह पर्वतीय प्रदेशों के अन्दर है। आज यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऐक्सपर्ट्स हों, जो हमारे साइन्टिस्ट हों उन लोगों का जो कुछ तजुर्बा हो इस सिलसिले में वह हमारे जो पर्वतीय प्रदेश के लोग हैं, उनको नहीं मिल सक रहा है। हम अभी तक नहीं समझ पाये हैं कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्यों अलग कर दिया गया। अब हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास चला गया और हमें बड़ी दिक्कत है। समझ में नहीं आता कि क्या ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस काबिल नहीं था कि वहां के काम को चला सकता या ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हार्टिकल्चर के बारे में जानते ही नहीं हैं। कौन सा ऐसा कारण है कि हौर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हटा दिया गया? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बतायें और मैं उनसे फिर कहूंगा कि पहाड़ों में यही हार्टिकल्चर ही एक ऐसी चीज है जो हो सकती थी। मुझे आशा है मंत्री जी अवश्य इस ओर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या कहूं हमारे माननीय मंत्री जी जरूरत से ज्यादा भले हैं किसी के काम को मना भी नहीं करते हैं और मुझे विश्वास है कि सारा डिपार्टमेंट मंत्री जी के ऊपर हावी अवश्य होगा क्योंकि उनकी शराफत का फायदा डिपार्टमेंट अवश्य उठाता होगा। तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि थोड़ा सा कंट्रोल अपने डिपार्टमेंट पर अगर रखें तो अच्छा हो। हम भी बतायेंगे और मैं यह बता सकता हूं कि जो इकोनामी कमेटी गवर्नमेंट ने स्थापित की है, सबसे ज्यादा इकोनामी इसी डिपार्टमेंट में होने वाली है क्योंकि यह इस्टैब्लिशमेंट से भरा हुआ है। अब अध्यक्ष महोदय, जो रिसर्च सेन्टर हैं, जहां देखिये रिसर्च सेन्टर, लेकिन हमें आज तक यह पता न चल सका कि पहाड़ों में खोदने के लिये भी कोई ट्रैक्टर हमें मिल सकता है। कोई ऐसी मशीन हो सकती है जिससे हम लोग अपनी खेती-बारी कर लें। तो मैं चाहूंगा कि या तो ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंन्ट पहाड़ों में बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय और अगर नहीं तो इसका फायदा हम लोगों को जो पहाड़ों में हैं उनको, हर एक को मिलना चाहिये, हमें मालूम होना चाहिये कौन से नये औजार पैदा हुए हैं, बीज का जहां तक सम्बन्ध है अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अव्वल तो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता और साथ ही अगर पहाड़ पर जाय भी तो सोने के भाव महंगा पड़ता है। उसका कारण यह है कि रेल का किराया, मोटर का किराया, घोड़े का किराया, यह सब किराये पड़ते हैं। यह भी कहा जाता है एमोनियम सल्फेट खेतों में डाली जाय तो उसका भी वही हाल कि

इतनी महंगी पड़ जाती है कि उसे कोई लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि अगर वे लोगों को खाद पहुंचाना चाहते हैं तो यह सब खर्चे सरकार को अपनी तरफ से देने चाहियें ताकि खाद सस्ते दामों में पहुंच सके।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि कृषि विभाग के द्वारा हमारे प्रान्त में कृषि की उन्नति में बहुत बड़ी सहायता मिली है और इस क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, इस विभाग से चाहे वह अच्छे बीजों की तरक्की का सवाल हो और चाहे खाद के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की बात हो या खेती में जो तरह-तरह के कीटाणु लगते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं उनके दूर करने और विनाश करने का प्रश्न हो इस दिशा में काफी प्रयत्न किया गया है। यही नहीं हमारे प्रान्त में बहुत काफी जमीन जो बेकार पड़ी हुई थी उसको तोड़ करके खेती के योग्य बनाया गया और आज उस पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आबाद हैं और खेती कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे इस प्रान्त के दक्षिणी क्षेत्र में बुन्देलखंड के हिस्से में जहां पर कांस बहुत फैली हुई थी उसके काटने का प्रबन्ध किया गया और उस कांस का उन्मूलन करके आज यहां लहलहाती हुई खेती की सुविधा प्रदान की गई और यह इसी विभाग द्वारा खाद की समस्या हमारे यहां बहुत विकट है लेकिन इस दिशा में सनई और खास तौर से मूंग नम्बर १ का प्रचार करके बहुत प्रगति की गई है। वास्तव में हम जानते हैं कि गोबर की खाद खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है लेकिन हमारे प्रान्त के अधिकांश लोग उसको जलाने के काम में अधिक ले लेते हैं जिससे खेती में खाद की उससे पूर्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए हरी खाद के हेतु सनई और मूंग नम्बर १ का अधिक प्रचार किया गया। सनई का जहां तक सम्बन्ध है, इसको किसानों ने आसानी से ग्रहण किया और यह बहुत प्रचलित हो गई। उसके बीज भी उन्होंने रखने शुरू किये लेकिन मूंग नम्बर १ जो इधर प्रचलित हुई इसने न केवल खाद की समस्या को हल किया, बहुत बड़ी मात्रा में खेती की समस्या भी इससे हल हुई। यह चीज जिस वक्त होती है उस वक्त वास्तव में चौमासे में खेत खाली रहते हैं और बेकार पड़े रहते हैं। उस वक्त मूंग नम्बर एक को बो देते हैं तो उससे खेत का कटान रुक जाता है और खाद पैदा हो जाती है और आगे चल कर उससे अन्न मिल जाता है जो दाल के काम में आता है। यही नहीं कि उसका अन्न दाल के काम में ही आता हो, और भी कई कामों में आता है। इस तरह इस दिशा में बड़ी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। यही नहीं, जगह-जगह जो भूमि का क्षरण हो रहा था उसकी तरफ इस विभाग का ध्यान गया और इसमें काफी प्रगति हुई। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी बहुत सी त्रुटियां अब भी हैं जिनकी तरफ विभाग का ध्यान जाना जरूरी है। बीज गोदामों का आज प्रबन्ध है, इसमें प्रगति तो हो रही है लेकिन कहीं-कहीं इस बात की शिकायत मिलती है कि जो बीज मिलते हैं उनमें मिलावट हो जाती है। कृषि मंत्री जी बीज चाहे बाहर से मंगाते हों चाहे किसानों के यहां से प्रयोग करवा के अच्छा अच्छा बीज संग्रह करते हों लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

गोदाम पर पहुंचने के बाद जब वह फिर किसानों को दिया जाता है तो वही बीज पता नहीं कहां से इतनी खराबी उसमें पैदा कर देते हैं कि बिल्कुल बेकार हो जाता है और वास्तव में उस बीज को लेने से बहुत से किसान मुकर जाते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि बहुत सा बीज बोने के काम में न ला करके आखिर में बीज गोदाम की तरफ से काश्तकारों को खाने के लिये दे दिया जाता है। मूंग नम्बर १ के बारे में भी कहीं कहीं इस बात की शिकायत हुई, मैं अपने ही जिले की कहूं और उदाहरण स्वरूप में अपने सचिव महोदय को रखूं कि इनको मूंग नम्बर १ दी गयी। वह असली मूंग नहीं थी और उसका बोना बेकार हुआ। हमारे यहां इस तरह की और भी बहुत सी शिकायतें हैं। यह कहां गड़बड़ी हो जाती है, किसकी वजह से असली मूंग की जगह दूसरी मूंग आ गई? इसकी सावधानी से खोज करनी चाहिये। जब सभासचिव महोदय के लिये ऐसी बात हो सकती है तो साधारण किसान तो आसानी से परेशान हो सकता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। मूग नं० १ का जिस तरह प्रचार होना चाहिये उस तरह प्रचार नहीं हो पाता है। इसका विशेष प्रचार किया जाय, इसका किसानों को बहुत लाभ मिल सकता है।

मैंने आज से दो वर्ष पहले इस विभाग का ध्यान अपने यहां की एक घोड़ा रोशन घास की तरफ दिलाया था जो कि हमारे जिले में बहुत पैदा होती है। उससे खेती का बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे कुछ क्षेत्रों में कांस अधिक हो रहा है वैसे ही घोड़ा रोशन घास खराबी कर रही है। लेकिन आज तक मालूम नहीं हुआ कि सरकार ने उसके शमन के लिये क्या कार्यवाही की। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और उसको खत्म कराने का प्रबन्ध करेंगे।

कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जमींन को समतल करने की समस्या है। काफी जमींन समतल की गयी है लेकिन अब भी बहुत जगह इतनी जमींन खाली पड़ी हुई है कि अगर उसको समतल कराने का प्रबन्ध किया जाय तो बहुत से लोग वहां बस सकते हैं।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में जो शिकायतें सदन के सामने हैं उसके अलावा एक और प्रार्थना आपकी आज्ञा से मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि कृषि की जो भी अनुसन्धानशालायें हैं उसके क्या कारण हैं उस पर तो वर्गीय अधिकारी विचार करें, पर उस कारण से उनसे जो फायदा होता है वह उनके अगल बगल के गांव वालों से यदि पूंछा जाय जो बिल्कुल निकट में हैं कि यहां तुम्हारे यहां एक अनुसन्धानशाला है, तो कहते हैं कि पता नहीं क्या वहां होता है। यों तो बड़े बड़े फार्मों में और-और जगह फायदा होता है, पर वजह क्या है कि नजदीक के लोगों में उसका प्रचार नहीं होता। मेरी समझ में तो जो वहां के अधिकारी हैं उनके रहन-सहन के वातावरण का भी कुछ ऐसा असर पड़ता है कि वे अपने को अगल बगल के लोगों से मिला नहीं पाते हैं। निकट के रहने वाले लोग यदि उन्हें देखते हैं तो उनकी भेष-भूषा के कारण एक दूसरी मेंड़ को पकड़ कर चले जाते हैं कि वह तो कृषि के साहब जा रहे हैं, हम इधर से जायंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि जितनी भी अनुसन्धानशालायें हैं उनके अधिकारियों को इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि जो भी नयी खोज वे निकालें उसको दूर नहीं तो नजदीक से नजदीक जो सटे हुये गांव हैं उनको उसकी जानकारी तो होना ही चाहिये। हमारे यहां के कृषक बड़े कंजरवेटिव हैं, यह ठीक है कि जल्दी से नये अनुसंधानों को ग्रामीण लोग पसन्द नहीं करते हैं और अपनाते भी नहीं हैं। लेकिन कोई उपाय ढूंढ़ना चाहिये कि लोग अनुसंधान की कम से कम चर्चा तो करें, यहां पर यह धान

बहुत अच्छा होता है, या इस तरह से बोना चाहिये लेकिन वह चर्चा तक नहीं करते हैं। इसके अलावा मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं और गन्ने के बारे में मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गन्ने की पर्ची के वितरण के बारे में सदा शिकायत रहा करती है कि बड़ों को पर्ची दे दी जाती है और छोटों को नहीं दी जाती है। यह गड़बड़ी है। इसलिये इस सम्बन्ध में मुझे एक प्रार्थना करनी है कि इस मसले पर भी काफी गौर करना चाहिये। मेरी तो राय यह है और यदि सरकार उचित समझे तो एक नियम बना दिया जाय कि ४/६ या १० एकड़ में गन्ना बोने वाले जो किसान हैं उनको सर्वप्रथम पर्ची दी जाय और बड़े लोगों का जैसे हिसाब चलता है चलता रहे। ऐसी सूरत में भी शिकायत का मौका तो रहेगा लेकिन वह कम जरूर हो जायेगी।

इसके बाद मैं बीज गोदामों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है और पता नहीं क्यों, बीज गोदामों से जो आशा की जाती है, और गल्ले के वितरण में जो शिकायतें हैं उनको अलग रख दीजिये, जो गल्ला मिलता है वह २ प्रतिशत भी ठीक नहीं मिलता है। इसमें कितनी ही शिकायतें हैं और इसका गिनाना ५ मिनट के समय में बड़ा मुश्किल है। इतना खराब गल्ला मिलता है कि किसान यह समझता है कि वहां चाहे अच्छा गल्ला मिलता भी हो लेकिन वह लेने नहीं जाता और समझता है कि वहां तो खराब ही गल्ला मिलता है। इसलिये विभाग को जरूरी है कि वह इधर काफी निगाह रखें। वर्ना तमाम आपकी अनुसंधानशालायें बेकार हो जायंगी क्योंकि आपके नये अनुसन्धान होंगे और बीज बटेंगे तो इन्हीं के द्वारा तो बटेंगे इसलिये सरकार को इधर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बीज गोदामों में चाहे थोड़ा ही बीज बंटे लेकिन जो बंटे वह बहुत ही बढ़िया बीज बंटना चाहिये। इसके लिये नियम बना दिया जाय कि जो किसान इतने एकड़ में खेती करता है उसी को दिया जाय और नियम काफी कड़े कर दिये जायं जिससे स्वच्छ बीज मिल सकें और गड़बड़ी न हो सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी समझ में सरकार के सारे प्रयास विफल हो जायंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि बीज गोदामों में वितरण की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये और जो बीज वितरण किया जाता है वह अच्छा वितरण किया जाय।

एक प्रार्थना यह है कि अनुसंधान का काम हर विभाग में बढ़ता चला जा रहा है इसको कुछ कम करें और जो अनुसंधान हो रहे हैं वह पुष्टिकर हों और लोगों को इसका ज्ञान कराया जाय। इस काम की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री शिवस्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रांत में कृषि की उन्नति के कारण जो सिर ऊंचा हुआ है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे मौजूदा माननीय मंत्री जी इस ओर बहुत उग्र रूप से बढ़े हुये हैं। यहां असेम्बली में जो क्वैश्चन्स होते हैं उन क्वैश्चनों के जो उत्तर आपकी तरफ से मिलते हैं उनसे सदन के हाथ पल्ले कुछ पड़े या न पड़े लेकिन कृषि की तरफ जिस तेजी से आपने उन्नति की, वह प्रशंसनीय है। किन्तु एक तरफ दो बातें अक्सर मेरे दिमाग में आती हैं। एक तो यह है कि जो गन्ना है सदन में और बाहर भी उसकी बड़ी चर्चा होती है। कभी कभी यह ख्याल होने लगता है कि गन्ना कृषि की चीज है भी या नहीं। हम लोग जिलों में जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल आफिसर का दफ्तर एक जगह है और गन्ने का दफ्तर एक जगह है। उन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है और कोई काश्तकार ऐग्रीकल्चर आफिस में पहुंच जाय और गन्ने की चर्चा करने लगे तो जवाब मिलेगा कि यह गन्ने का दफ्तर नहीं है दूसरी जगह

[श्री शिवस्वरूप सिंह]

जाओ। और अगर गन्ने के दफ्तर में गेहूं की चर्चा करने लगें तो कहा जायगा कि यहां गेहूं का काम नहीं होता, गन्ने का होता है दूसरी जगह जाओ। तो ऐसा मालूम होता है कि गन्ना खेती से पैदा नहीं किया जाता, किसी और तरीकें से कूद पड़ता है। यह गन्ना कहीं से भी आता हो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गन्ने की तरक्की उस प्रांत में बहुत तेजी के साथ हुई। यह सराहनीय है और इस वक्त गन्ने की समस्या कम से कम हमारे प्रदेश में पूरी हो चुकी है। तो यह जो गन्ना विभाग है मेरा अपना खयाल है कि इस को आनरेबिली अगर रिट्रीट कर दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि जो इसका काम था वह यह पूरा कर चुका। अब तो उसका काम केवल यह है कि मिलों के दरवाजे पर बैठ करके पर्चियों का सही या गलत तरीके से वितरण करे या न करे। तो इतने काम के लिये अगर इतनी बड़ी फौज को रखा जाय तो यह बेजा खर्चा है। कहा यह जा सकता है कि अगर इस विभाग को काश्तकार और मिल-ओनर के बीच में से निकाल दिया जाय तो मिल ओनर काश्तकार को खा जायगा। मेरा कहना यह है कि अगर खाने की बात है तो खवाई तो अब भी कम नहीं है और इस फौज पर खर्चा व्यर्थ का होता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि वह हटा करके काश्तकार और मिल ओनर को अपने अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा। वह अपने आप अपनी कमेटी बनायेंगे, चुनाव करेंगे और चुनाव करके मिल ओनर से अपना सीधे तरीके से संबंध रखेंगे। अब यह कमेटियां और डाइरेक्टर वगैरह चुन करके आते हैं, तो यह जो विभाग आपका है यह सही नुमायंदों को आने नहीं देता। नुमाइन्दे वह आते हैं जिनको वह चाहते हैं और वह चाहने वाले वह होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसलिये इस डिपार्टमेंट पर बिलकुल बेजा खर्चा हो रहा है।

गवर्नमेंट की यह नीति रही है कि एक काम के लिये एक फौज को जुटाया जाय। जब वह काम पूरा हो गया तो फौज को वापस ले लें। कंट्रोल की जब जरूरत थी तो आपने बहुत से आदमी रख रखे थे लेकिन जब उसकी जरूरत नहीं रही तो आपने उस फौज को हटा लिया है और दूसरी जगह लगा लिया तो जब गन्ने का मसला हल हो चुका है तो इस फौज को रखने की जरूरत नहीं मालूम होती और मेरा सजेशन इसके लिये यह है कि गन्ने की समस्या जिस प्रकार हल हो गयी है उस प्रकार अब गेहूं कि समस्या विशेष है। इस वक्त केन डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है बल्कि व्हीट डेवलपमेंट की जरूरत है। यह जो गन्ने को जीतकर आने वाली फौज है अगर इसको गेहूं की तरफ मोड़ दिया जाय तो यह गेहूं की तरफ भी इतनी ही कामयाबी दिखायेगी।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अभी मूंग के बारे में कहा गया। मूंग नम्बर १ के बारे में मैंने अपने जिले के एक कृषि विभाग के व्यक्ति से पूछा कि खाद आप कौन सा सजेस्ट करते हैं तो उन्होंने सनई बताई। जब मैंने पूछा कि मूंग के बारे में आपका क्या विचार है तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मूंग की हिस्ट्री यह बताई जाती है, श्रीमन्, कि किन्हीं साहब ने अपने बगीचे में १५,२० पेड़ मूंग के बोये। वह रोज सबेरे उठ कर उसकी फलियों को तोड़ लेते रहे और उनको इकट्ठा करते रहे। काफी समय बाद जब उन्होंने मैथिमेटिकली हिसाब लगाया तो वह काफी अच्छे नतीजे पर पहुंचे और वही उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया कि इतनी पैदावार होती है और गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मूंग नम्बर १ का प्रचार न किया जाय जो दाल की समस्या को हल करने के लिये किया जाता है। क्योंकि अगर उसकी फली फली बीन ली जाय तब तो ठीक है वरना अगर पेड़ काटा जाय तो दाना सब खेत में चला जायगा। कहा यह जाता है कि उसका बिया पकने के साथ ही फट जाता है और दाना खेत में बिखर जाता है। तो इसका प्रचार करके खाद्य की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। मेरा विचार है कि इसको डिस्करेज करना ही ठीक होगा।

अधिक न कह कर मैं इतना ही कहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो खाद्य की समस्या को हल किया है उसके लिये वह बधाई की पात्र है, विशेषतौर पर माननीय मंत्री जी जितनी धनराशि उन्होंने इस अनुदान में मांगी है यदि वह इससे अधिक भी मांगते तो मुझे आशा है कि उसको भी यह सदन मंजूर करता, लेकिन जिन सुझावों को और समस्याओं को मैंने आपके सामने रखा अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सारा किया कराया आपका व्यर्थ हो जायगा। गन्ने की फौज की प्रशंसा डूब जायगी और दूसरी बात यह कि अगर आप इसको रिट्रीट कर लेंगे तो उससे प्रांत की बड़ी भारी समस्या हल हो जायगी और वह यह कि प्रांत में जो रिश्वत-खोरी का बड़ा भारी चर्चा रहा है मेरा विचार है कि अगर आप यह फौज हटा लेंगे तो ५० परसेंट रिश्वत की समस्या हल हो जायगी।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय रामसुन्दर जी ने पेश किया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने कृषि के अनुदान पर जो रुपया मांगा है मेरे ख्याल से वह कम है। हमारे प्रांत की ८० फीसदी जनता कृषि पर निर्भर रहती है तो .....

एक सदस्य—८० नहीं ८५।

श्री बेचनराम गुप्त—८५ कह लीजिये। इस वास्ते कृषि पर जितना भी पैसा खर्च किया जाय कम है।

मैं मंत्री जी का ध्यान एक खास घास की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे बनारस जिले की ज्ञानपुर तहसील में बड़ा नुक्सान हो रहा है और उसका नाम है घोड़ारोशन। उसकी हालत यह है कि गर्मी के महीनों में, मई और जून में वह इस प्रकार से पनपती है कि सारे खेत में घास डट जाती है और ज्यों ही पानी पड़ता है वह घास गल जाती है। यह घास वहां बराबर बढ़ती चली जा रही है। मैंने डाइरेक्टर साहब का भी ध्यान दिलाया था। वह उस तरफ आर वाले भी थे, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती है कि वह ज्ञानपुर तहसील में तशरीफ नहीं लाये। उसकी वजह से हम लोगों का बड़ा नुक्सान हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और उनका डिपार्टमेंट इसके बारे में अनुसंधान करेगा और उसके नाश करने का कोई उपाय निकालेगा। हम लोगों ने सोचा था कि ट्रैक्टर के जरिये से जमीन को तोड़ें क्योंकि उसकी जड़ें जमीन के नीचे दूर तक चली गई हैं। पर अभाग्यवश देखा कि हमारे जिले में कोई ट्रैक्टर भी नहीं है। बहुत कोशिश की, कई साल से कोशिश करते रहे कि जिले में एक ट्रैक्टर रखा जाय जिससे काश्तकार कुछ फायदा उठावें मगर आज तक टैक्टर हमारे जिले में नहीं रखा गया।

तीसरी बात हमको देखने की यह है कि खोज के ऊपर जो रुपया रक्खा जाता है यानी अनुसंधान के लिये हम कई जगह देखते हैं कि सारा का सारा रुपया कर्मचारियों की तनख्वाह पर और कंटिंजेंसी पर खर्च हो जाता है। उससे जनता का कोई लाभ नहीं होता है। मेरे खयाल से माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, कृषि में जैसा कि माननीय सदस्यों से कहा कि बहुत अनुसंधान किया जा रहा है। उन्नत बीज सप्लाई हो रहा है। खेती के यंत्रों के लिये एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स के लिये वर्कशाप स्थापित करने की योजना है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि यह जो कुछ अनुसंधान हो रहा है उसके आसपास के जो एरिया है उन लोगों को भी उससे फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं यह कहूं कि अभी तक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो कुछ भी फायदा है पर्वतीय इलाके में बहुत कम

[श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट]

वह फायदे पहुंचे हैं। इस बीज के मामले में वहां पर सिवाय मूंग और गेहूं के और कोई बीज पर्वतीय इलाकों को नहीं दिया जाता। कोई खाद जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से वितरित होता है उनको नहीं मिल पाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गेहूं का बीज जो डिपार्टमेंट से मिलता है वह तब पहुंचता है जब फसल लोग बो देते हैं। वह बीज इतना मंहगा मिलता है कि साधारण काश्तकार उसको खरीदने से लाचार हैं। अगर आप सबसिडाइज्ड रेट पर बीज पहुंचाने का प्रबन्ध कर सके तो लोगों को लाभ हो सकता है क्योंकि यातायात की असुविधा के कारण बीज बहुत मंहगा पड़ता है। बीज देने के संबंध में कह चुका हूं कि पहाड़ों पर बहुत पीछे आप बीज देते हैं। बोने के पहले यानी अक्तूबर के पहले आपका बीज उनको मिल जाय तो लोगों को वहां पर फायदा हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि बजट में जो योजना रखी गयी है कि पर्वतीय इलाके में पर्वतीय धान का विकास अथवा सुधार किया जायगा यह बहुत अच्छी योजना है क्योंकि इस पुस्तिका यानी बजट साहित्य खंड २ में जो यह लिखा हुआ है उससे यह मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी इसको मानते हैं कि पर्वतीय इलाके में धान अच्छा होता है मगर अभी तक उन्होंने उसकी तरक्की के लिये कोई भी कार्य नहीं किया है। सिर्फ इस साल यह योजना रखी है लेकिन मुझे आशंका है कि यह जो योजना है वह शर्तिया रखी गयी है कि अगर एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट इसका आधा खर्चा बरदाश्त करे तो यह योजना चलायी जायगी। अगर एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट इसका आधा खर्चा न दे तो यह नहीं चलायी जायगी। मेरा निवेदन है कि यह जो योजना शर्त के साथ रखी गयी है इसको ऐसा न किया जाय। जो योजना रखी गयी है अगर उसको सहायता नहीं मिलती है तब भी इसको चलाया जाय। इसमें ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है।

आपकी दूसरी योजना पर्वतीय इलाकों के लिये यह है कि फसलों का क्षेत्रफल और उसकी मुख्य पैदावार का अनुमान लगाना। यह योजना वहां के आंकड़े इकट्ठा करने की है। यह योजना मुझे ज्यादा लाभदायक नहीं मालूम होती है क्योंकि इस प्रकार से अटकलबाजी लगाना ठीक नहीं है। प्रत्येक पट्टे में दो गांव सेलेक्ट करेंगे और प्रत्येक गांव में ४ समूह होंगे और प्रत्येक समूह में १० खेत। इस प्रकार से आप इसका तखमीना लगायेंगे कि वहां कितना क्षेत्रफल है और कितनी पैदावार होती है। तो यह जो है यह रेंडम सर्वे की योजना है। मैं समझता हूं यह सब फिजूल खर्चा होगा और सही सूचना नहीं प्राप्त होगी। आप अगर कोई योजना बनाते हैं तो उसको कांक्रीट शेप में रखिये। पर्वतीय इलाकों में थोड़ी थोड़ी दूर पर क्लाइमेट और स्वाइल में फर्क हो जाता है। पर्वतीय इलाकों में ऐसी भी कोई मशीनरी नहीं जिसके द्वारा आप डेटा को इकट्ठा कर सकें। इसलिये ऐसी मशीनरी भी होनी चाहिये। उपज बढ़ाने के लिये जिन औजारों की वहां पर आवश्यकता होती है उनको लखनऊ के वर्कशाप में अथवा कहीं और बनवाना चाहिये और वहां पर सप्लाई करना चाहिये। ऐसे औजार जिनकी रोजमर्रा आवश्यकता होती है उनके बारे में आप अनुसंधान करायें। इसमें मशीनरी के लिये थोड़ा पैसा रक्खा गया है लेकिन मामूली औजार जिनकी पहाड़ के किसानों को साधारण तौर पर आवश्यकता होती है, वहां पर नहीं मिल पाये हैं। ऐसे इम्प्रूव्ड और लाभदायक औजार बनने चाहिये।

भूमि संरक्षण के बारे में भी आपकी एक योजना है। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना मैं आवश्यक समझता हूं। यह बहुत ही मुफीद योजना है लेकिन तितर बितर फैली हुई है। ऐग्रीकल्चर, फारेस्ट और प्लानिंग विभाग उसको अलग अलग कर रहे हैं अगर सब मिलाकर कोआर्डीनेशन से उसको करें तो ज्यादा लाभ हो सकता है। उसके लिये पैसा बजट में हर जगह पर है लेकिन काम सुचारुरूप से नहीं हो रहा है। सायल कंजरवेशन का काम आपको पहाड़ों से शुरू कर देना चाहिये ताकि प्लेंस की दिक्कत भी दूर हो जाय।

पिछले साल से आपने पर्वतीय प्रदेश में रिसर्च स्टेशन भी खोले हैं लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं हो पाया है कि उनसे जनता को लाभ क्या हुआ। यह योजना तो अच्छी है लेकिन उसमें आप क्या काम कर रहे हैं इसकी आप जानकारी कराइये। आपकी जो पत्रिका है वह भी गांवों में पहुंच नहीं पाती है और लोगों को जानकारी नहीं हो सकती है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने जहां तक खाद्य की समस्या का संबंध है, उसको हल कर लिया है। इसमें भी शक नहीं है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वह भी बहुत सुन्दर है। बजट के अन्दर जो कुछ है वह तो पढ़ने में बहुत ही सुन्दर मालूम पड़ता है लेकिन आपकी कितनी ही अच्छी योजना क्यों न हो अगर उसका ऐक्जीक्यूशन ठीक नहीं होता है तो जिस फल की हम उससे आशा करते है वह हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मैं आपकी इत्तला के लिये दो चार बातें अर्ज कर देना चाहता हूं।

आपने फरमाया कि कानपुर कालेज में आपने एम० एस-सी० और पी० एच० डी० के क्लासेज खोल दिये हैं। अच्छी चीज है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस कालेज से ऐसे कितने विद्यार्थी निकलते हैं जो प्रेक्टिकल फार्मिंग में लगने की कोशिश करते हैं। मेरा अपना खयाल यह है कि काफी तादाद विद्यार्थियों की ऐसी है जो सरकारी नौकरियां ढूंढ़ते हैं। यह सच है कि इस प्रकार से हमें ऐक्सपर्ट्स मिल जाते हैं लेकिन उनसे जन साधारण किसान को क्या लाभ पहुंचता है? अगर हम इन ग्रेजुएट्स को इतनी जमीन दे दें जो साधारण किसान के पास होती है तो वे उतना भी पैदा करने में असमर्थ रहेंगे जितनी पैदा एक मामूली किसान को होती है।

केन डेवलपमेंट के लिये इसमें ९९,६०,००० रुपये का प्रावीजन किया गया है। उचित ही है। केन इस प्रदेश की महत्वपूर्ण क्राप है मगर मैं आंकड़ों से इतना जानना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो गन्ने का विकास हुआ उसमें शूक्रोज के कंटेन्ट्स में कितनी वृद्धि हुई, और फी एकड़ जो हमारी पैदावार है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई ताकि हम यह अन्दाज कर सकें कि जो पैसा हम खर्च करते हैं उसका खर्च करना उचित है या नहीं। एक चीज मैं यह भी देखता हूं कि जो पैसा हमको केन्द्रीय सरकार से कुछ योजनाओं के लिये मिलता है विभाग का कुछ ऐसा विचार है कि उन योजनाओं को चालू करना चाहिये चाहे वे उचित हों या न हों, चाहे वे फायदेमन्द हों या न हों। यह मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण ज्यादा उचित नहीं है; चाहे पैसा केन्द्रीय सरकार से मिले या प्रान्तीय सरकार से वह पैसा देश का पैसा है। उसका उचित उपयोग होना चाहिये। मिसाल के तौर पर विजिटेबिल फार्म्स की बात है। हमारे यहां आलमबाग में बिजीटेबिल फार्म खोला गया था। उसमें अनुसंधान किया गया और शायद उसको अब कल्याणपुर भेज दिया है। मेरा खयाल है कि जितना पैसा खर्च किया गया उससे उतना फायदा नहीं पहुंचा। इसमें कोई शक नहीं कि हमको खेती पर पैसा खर्च करना चाहिये लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जितना पैसा खर्च करें उतना फल भी प्राप्त होना चाहिये।

गवर्नमेंट फार्म्स के मुताल्लिक इतना कहूंगा कि आपके फार्म्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको उनसे ए क्लास सीड प्राप्त होता है जो कि बाटने को चाहिये लेकिन जैसी कि हमारी फीलिंग है बहुत से फार्म्स ऐसे हैं जो लगातार घाटे पर चल रहे हैं। अगर उनमें से मंत्री जी कुछ छांट लें और जो बहुत ज्यादा खराब हालत में हैं

[श्री नवल किशोर]

उनको खत्म कर दें और कंसंट्रेट किया जाय उन फार्म्स के ऊपर जो आन दी एवरेज घाटे या मुनाफे के हों, हालांकि फायदे में कोई फार्म नहीं है। जो फार्म्स हैं उनकी रजिस्टर्ड सोसाइटीज बनें तो उससे भी काफी फायदा होगा। तराई फार्म आपका एशिया में सबसे बड़ा फार्म है और यह इस प्रदेश के लिये बड़े गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश में ऐसा फार्म है लेकिन वह भी डेफिसिट की तरफ ही चल रहा है। तो आपको इस तरफ भी ध्यान देना है कि क्या वजूहात हैं कि हमारा जो मुनाफा है वह दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। डेरी की बात यहां कहने की बात नहीं है। डेरी वहां आज तक कामयाब नहीं हो पाई; इन चीजों को भी देखना है। हार्टिकल्चर के बारे में, जैसा उपाध्याय जी ने कहा--मैं सहमत हूं। मेरी भी यह बात समझ में नहीं आई कि हार्टिकल्चर के दो हिस्से किये गये--एक हिस्सा पहाड़ में और एक मैदान में--इस तरह से हार्टिकल्चर में डुप्लीकेशन करना मेरी समझ में नहीं आया। एक नया डायरेक्टोरेट फ्रूट यूटिलाइजेशन का खड़ा कर दिया। यह बात भी समझ में आने वाली नहीं है। एक बात यह भी कहनी है कि आपने तराई फार्म में फ्रूट प्रजर्वेशन की कोई योजना बनाई है। आपकी एक फैक्टरी है अगर उसका एक्सपीरियन्स कोई ज्यादा अच्छा न हो तो उस तरफ पैसा लगाना ज्यादा मुनासिब न होगा।

एक चीज यह कहनी है कि जो रिसर्च स्टेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वहां बड़े अच्छे-अच्छे अनुसंधान हुए लेकिन एक शिकायत यह है कि उनका फल जो साधारण काश्तकार है उसके पास तक नहीं पहुंच पाता। मेरा यह सुझाव है कि रिसर्च स्टेशंस को एक्सटेंशन सेंटर्स भी बनाया जाय और उनके आस-पास के जो ३०, ४०, ५० गांव हैं उनको वे अनुसंधान बतलाये जायं। इससे ज्यादा आसानी से काश्तकार के पास हमारी सर्वेज पहुंच सकेंगी और वे उससे लाभ उठा सकेंगे।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कीमतों के सम्बन्ध में बहुत सी टिप्पणियां हुईं। एक प्राइस सपोर्ट स्कीम इस सम्बन्ध में सरकार ने चालू की थी। यह बात नहीं है कि ध्यान इस तरफ नहीं है लेकिन सिर्फ इतनी बात देखनी है कि जो एक्जीक्यूशन होता है वह ज्यादा एफिशियेंटली हो, ज्यादा सन्तोषप्रद हो।

श्री शारदाबख्श सिंह (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कृषि विभाग ने कुछ काम जरूर किया है और इस देश के आजाद होने के बाद कृषि विभाग का कार्य यहां होना भी चाहिए था। अब प्रश्न तो यह है कि जिस प्रगति से काम हो रहा है क्या उससे हमें सन्तोष है। आज भारत और हमारे प्रदेश की ८०-८५ प्रतिशत जनता गांवों में ही निवास करती है और यदि उसकी प्रगति हुई है तो उसी से सारे देश की प्रगति नापी जा सकती है। अभी यहां कहा गया कि खेती की उपज में यहां बहुत बड़ी उन्नति हुई है लेकिन हमें एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि कृषि विभाग अगर यह कहना चाहता है कि उसके कारण ही से गल्ला ज्यादा पैदा हुआ है तो मेरे खयाल से ऐसा कहना गलत होगा। आज कृषि विभाग ने उस काश्तकार के खेत में और उसकी खेती के काम में कितनी मदद पहुंचाई है, इसी से उसकी प्रगति की नाप हो सकती है। आज गांवों के काश्तकार इस कृषि विभाग से लाभ उठा कर क्या ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि यह विभाग हमारी हर प्रकार की सहायता कर रहा है? अगर एक काश्तकार पहले ४ बीघा की खेती करता था और अब उससे ५ बीघे की खेती करायी जाती है और इस तरह से उसकी उपज बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है कि इसमें किसी तरह से भी कृषि विभाग का अधिक श्रेय नहीं है। सवाल यह है कि आज जितनी पैदावार हो रही है उससे हमें सन्तोष नहीं है। हम जानते हैं कि जितनी उपज आज भूमि में होनी चाहिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी हमारे काश्तकार पिछड़े

हुए हैं और वे कृषि के वैज्ञानिक ढंगों को नहीं जानते। प्रगति तो इसमें है कि यदि एक किसान आज एक बीघा में २ मन, ३ मन, ४ मन या ५ मन पैदा करता है तो क्या आज वह उसी एक बीघा में ८ या दस मन गल्ला पैदा करने की स्थिति में हो गया है और अगर नहीं है तो कहना चाहिये कि अपने अपेक्षित उद्देश्य में हम सफल नहीं हुए हैं। आज हर तरह से, जिस नाम से भी हम कृषि विभाग की सफलता को देखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि उसका काम अभी ठीक दिशा में नहीं हुआ है और अभी तक हम इस कृषि विभाग को आम जनता का विभाग नहीं बना सके हैं। अगर कृषि विभाग ही आम जनता का विभाग नहीं बन सका तो फिर कौन सा विभाग बन सकता है? क्या आज गरीब और छोटा किसान समझता है कि कृषि विभाग हमारा सहारा है, जब सहसा उसकी खेती पर कोई आपत्ति आती है, कीटाणु आदि लगते हैं तो क्या कृषि विभाग वाले उसके पास जाकर उसकी तकलीफों को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं? क्या आज आम जनता अनुभव करती है कि ऐसा कोई विभाग है जो हमारे लिए बना है और हमारी जितनी भी विपदायें और कठिनाइयां हैं वह उसके द्वारा दूर हो सकती हैं? यह विभाग केवल दफ्तर और शहरों में रह कर गांवों की दशा को नहीं सुधार सकता। आज गांव के काश्तकार को पता नहीं कि कृषि का दफ्तर है कहां, तो कैसे लाभ उसको उससे हो सकता है? हो सकता है कि वहां अच्छे अनुसंधान हुए हों लेकिन सवाल यह है कि वह आम जनता को विभाग द्वारा सूचित हुये हैं या नहीं।

दूसरी बात कही गई कि गन्ना विभाग में बहुत सी कठिनाइयां हैं और उसमें कितनी सहायता विभाग द्वारा हुई है। तमाम गांवों में समय से गन्ने की पर्चियां मिलों के लिए नहीं मिलती हैं और उसके कारण हाहाकार मची हुई है, काश्तकार बड़े आदमियों के पास दौड़ रहे हैं, उनका गन्ना खड़ा हुआ है वह परेशान हैं लेकिन विभाग का कोई अधिकारी खड़े होकर यह नहीं कहता कि इसके लिए हमारा उत्तरदायित्व है गन्ना उत्पादक, वकीलों के पास जाकर अन्य दलों के पास जाकर अपने कष्ट रखता है लेकिन जिनका उत्तरदायित्व है वह कृषि विभाग वाले नहीं कहते कि हम तुम्हारा कष्ट दूर कर सकेंगे, अगर कोई सहायता यह विभाग उनकी करता तो जनता में विश्वास पैदा होता कि ऐसा कोई विभाग है जिसके द्वारा हमारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। मैं जानता हूं कि बराबर पिछले सालों में कहा जाता रहा है कि पर्चियां समय से न मिलने से किसानों को दिक्कत होती है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन होगा यह हमें देखना होगा। जो उनकी छोटी-छोटी कठिनाइयां हैं उनको देखकर अगर हम आम जनता को सहारा देते तो ८ वर्ष की जो अवधि बीती है, ८ वर्ष का काल बहुत होता है उसमें उनको कुछ न कुछ आत्म विश्वास अवश्य होना चाहिए था। कहा जा सकता है कि यह धीरे धीरे ही होगा लेकिन ८ वर्ष की अवधि थोड़ी नहीं होती ८ वर्ष में तो मूलभूत परिवर्तन करके दिखलाया जा सकता है। जिस उद्देश्य और जिस मिशन के साथ हमें काम करना चाहिए उसके लिये इस विभाग में वह स्फूर्त वातावरण और एक प्रकार का उत्साह उत्पन्न कराना होगा, अधिकारियों को बताना होगा कि आम जनता के साथ मिल कर कंधे से कंधा मिला कर, सहयोग की भावना उत्पन्न करके, उनकी कठिनाइयों को समझ कर, और अपनी जो कमियां हैं उनको ठीक करते हुए उन्नति करें, तो ऐसा लगेगा कि हमने आम जनता की सेवा की है और इस विभाग को हमने आम जनता का विभाग बना कर कुछ उन्नति प्राप्त की है।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से प्रथम मैं अपने मित्र श्री मदन मोहन जी का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मुझे आज एक सर्टिफिकेट अता फर्माया

[श्री हुकुमसिंह]

आज मैंने बहुत सी तकरीरें सुनीं। कुछ तकरीरों में मुझे रचनात्मक सुझाव भी मिले। उनके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना है कि सरकार उन पर अवश्य विचार करेगी। सरकार की मंशा यह है कि हम किस तरह से अपनी खेती के उद्योग को तरक्की दें और यही मंशा गालिबन माननीय सदस्यों का भी है। तो जहां तक उद्देश्यों का ताल्लुक है सरकार में और माननीय सदस्यों में कोई मुझे भेद नहीं प्रतीत होता। कुछ मित्रों ने कुछ इस ढंग की तकरीरें कीं जिसको समझने की मैंने कोशिश भी की लेकिन बावजूद कोशिश के कोई ऐसी बात मैंने नहीं पायी जो समझने के काबिल हो। हमारे मित्र रामसुन्दर जी ने फरमाया कि इस विभाग ने गन्ने के सम्बन्ध में कतई कुछ किया ही नहीं। और हमारे भाई खूबसिंह ने भी खूब कहा। उन्होंने यह भी फरमाया कि इसने कतई किया ही नहीं। इस तरह की तकरीरें सुनने के बाद दिल पर क्या असर होता है उसको मैं व्यक्त कर नहीं सकता। (एक आवाज) तकलीफ नहीं होती है। कुछ राय खिलाफ कायम होती है। तकलीफ कुछ मुझे होती नहीं। लेकिन उन माननीय सदस्यों की जानकारी के सम्बन्ध में मेरी राय कुछ गड़बड़ कायम हो जाती है उसको मैं बतलाना नहीं चाहता। गन्ने की तरक्की किसी छूमन्तर से नहीं होती। बल्कि कुछ साधन उपलब्ध करने होते हैं जिसके जरिये से तरक्की हुआ करती है। वे साधन हैं, सिंचाई का प्रबन्ध, अच्छे बीज का देना, खाद का देना यही सब साधन हैं। अगर इनकी कुछ तरक्की की जाय तो यह कहना कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और न ऐसे सुझाव पर कोई अमल करने को तैयार हूं क्योंकि वह इस काबिल नहीं। अगर हम १९५४–५५ के आंकड़े देखें तो ६,८७३ कुएं खुदवाये गये, और ३,८६३ कुओं में बोरिंग करवायी गयी, ३१५ ट्यूबवेल बनवाये गये, ३,३४३ कुओं में परशियन व्हील लगवायी गयी, ८२० पम्पिंग प्लान्ट्स लगवाये गये, १४.२३ लाख मन फर्टिलाइजर बांटा गया, फर्टिलाइजर मिक्सचर ८.९४ लाख मन बांटा गया। ऑइल केक्स ·३५ लाख मन बांटा गया। फैक्ट्री यार्ड कम्पोस्ट २९.६९ लाख मन बांटा गया। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि एक भी इम्प्रूव्ड इमप्लीमेंट नहीं दिया गया, यह कहा कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निहायत ही खराब और निहायत ही नाकाबिल है। इससे पता चला, इस बयान से मैंने यह नतीजा निकाला कि कुछ पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं की और न जानकारी की कोशिश की। ५३,३९५ इमप्रूव्ड ऐग्रीकल्चरल इमप्लीमेंट्स दिये गये। इतने तो इम्प्रूवमेंट्स हुये। और फिर टोटल प्रोडक्शन २५.७६ करोड़ मन से बढ़ करके ५० करोड़ मन हो गया, टार्गेट है ६० करोड़ मन, एरिया अन्डर केन ९.६ लाख एकड़ से बढ़ करके १३.१९ लाख एकड़ हो गया। ऐवरेज यील्ड फी एकड़ ३५० मन से बढ़ करके ५१५ मन हो गई जब कि ५६० मन हमारा टार्गेट है। यह तो सब बातें हुईं। लेकिन कुछ हमारे मित्रों को पता ही नहीं गालिबन। क्योंकि गलत बात वे कहेंगे नहीं, इस सदन में सही बात कहेंगे ऐसी बात कही कि कुछ हुआ ही नहीं, उससे यह बात मालूम होती है कि उनको जानकारी नहीं। अगर जानकारी नहीं है तो डिपार्टमेंट का क्या कसूर? कसूर उन्हीं का है जिन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की।

शारदाबक्श सिंह जी ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहां है और परचियों के बारे में भी बड़ी शिकायत की। क्या बताऊं! मैं तो कहता हूं कि पहले के मुकाबिले में अब की मर्तबा मेरे पास परची के बारे में शिकायत आयी नहीं। मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि परचियां पहले किसानों को मिलेंगी और उसके बाद बड़ों को मिलेंगी। और मैं अपने मित्र खूबसिंह को बता सकता हूं कि इनके साथ मैं जब बिजनौर गया था तो मीटिंग में मैंने यह कहा था कि बड़ों को परचियां बाद को और छोटों को पहले मिलेंगी।

कुछ सदस्य--ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री हुकुमसिंह--हो रहा है। क्योंकि मैं शहर का नहीं हूं, हमारा भी देहात से संबंध है और ऐसी जगह से संबंध है और ऐसे लोगों से सम्पर्क है जो गन्ना बोने वाले हैं। मेरे पास यह शिकायत अवश्य आयी कि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनकी यह शिकायत है कि परचियां उन्हें नहीं मिलीं, लेकिन छोटे हमारे पास नहीं आये कि उन्हें परची नहीं मिली। मेरे पास सब पहुंचते हैं, हमारा समाजवाद ऐसा है जिसमें सबके लिये दरवाजा खुला है।

हमारे रामसुन्दर पांडेय जी ने फरमाया कि कोई केन की वेराइटी नहीं बतायी जाती। यह जो रिसर्च हुआ करता है यह बिलकुल विफल हो गया क्योंकि एक भी नई वेराइटी नहीं बतायी। कितनी ही पैमफलेट और बुकलेट का छप करके वितरण हुआ करता है, अगर पढ़ने की तकलीफ गवारा करें। मैं कहता हूं कि हम किसान को बीज देते हैं नई वेराइटी के। हमारे किसान जानते हैं, जो बोता है वह जानता है कि कौन बोना है कौन नहीं बोना है। जो नहीं बोता, खेती से कोई वास्ता नहीं और उसका पेशा कोई दूसरा है उसको वाकई नहीं मालूम हो सकता है। तो हम नहीं बता सकते हैं। मेरा पेशा गन्ना बोना भी है। मैंने यहां मेम्बरी करके पेशा अपना छोड़ा नहीं है। पुराना पेशा मेरा अब भी है। लेकिन और लोगों ने पुराना पेशा छोड़ दिया है। यह पेशा बहुत दिन रहने वाला नहीं है। इसलिये उसे कायम रखिये।

एक सदस्य--घबड़ाइये नहीं।

श्री हुकुमसिंह--मैं घबड़ाता नहीं हूं इससे। हमारे मित्रों ने फरमाया इसकी शिकायत है कि सरप्लस केन कहां जाय। इधर तो यह भी कहते हैं कि गन्ना विकास के बारे में कुछ करती नहीं सरकार। मैंने किया, गन्ना की पैदावार बढ़ी। गन्ना बढ़ता जायगा। इसमें कुछ इकोनामिक फैक्टर भी इन्वाल्व्ड हैं जिसको समझने की कोशिश हमारे मित्रों को करनी चाहिये। जब गुड़ सस्ता होता है तो मिल में गन्ना ज्यादा जाता है और जब गुड़ महंगा होता है तो कम जाता है। गुड़ का भाव सस्ता है जिस पर कि हमारा और आपका कंट्रोल नहीं है, वह तो डिमांड और सप्लाई से गवर्न होगा। गन्ना पैदा भी हो जाय और ज्यादा से ज्यादा तादाद में फैक्ट्रियां उसे क्रश करें और तब भी सरप्लस रहे तो आखीर दवा क्या है? हमारे मित्रों ने फरमाया बहुत आसानी के साथ कि शुगर कंट्रोल बोर्ड ने यह कहा था कि १५ अक्टूबर से फैक्ट्रियां चलें तो सब गन्ना खत्म हो सकता है। लेकिन हमारे मित्रों ने यह नहीं सोचा कि अक्टूबर से चलाने पर रिकवरी इतनी कम हो जायगी कि जिसका जवाब नहीं। उस वक्त गन्ना कच्चा रहता है। तो मैं यह कहना चाहता था कि अरली सोइंग का इंट्रोडक्शन हमारा विभाग कर रहा है, जहां अक्टूबर सोइंग अगर रायज हो जाय, लोगों को हम सुझाव दे रहे हैं, और लोग करने भी लगे हैं। तो वह गन्ना पहले मैच्योर हो जायगा। उसके लिये पेरने के लिये फैक्ट्रियां पहले से चल सकती हैं। लेकिन जब तक वह गन्ना काफी मिकदार में हमको न मिले तो फैक्ट्रियों को चला देना एक नेशनल लास होगा। रिकवरी कम होगी, इस वजह से। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं, मुझे विश्वास है कि हमारा गन्ना एक-एक पिर जायगा। हां, अगर सब कोशिश करें कि मई के पहले ही सबका पेरा जाय तो नामुमकिन है। यह मैं साफ कह देना चाहता हूं। हम तो इस बात का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि हमारे देश में गन्ना ज्यादा पैदा हो और हम एक-एक गन्ने को पेर दें। उसके लिये हमारे सामने काफी योजनायें हैं। हम नैनीताल के जिले में दो फैक्ट्रियां और खोलने जा रहे हैं। वहां पर गन्ना बहुत पैदा होता है और वाकई हम तो चाहते हैं वह ऐसी जगह है जहां गन्ना को रायल क्राप के अलावा दूसरी चीज पैदा हो ही नहीं सकती और यही वजह है जैसा कि नवलकिशोर जी ने फरमाया, तराई के जो हमारे फार्म हैं उनको गन्ने की पैदावार बढ़ा लें तो जो वहां नुकसान होता है, वह नुक्सान न हो। लेकिन बढ़ा लें तो पेरें कहां? इन्हीं जरूरियात को पूरा करने के लिये दो फैक्ट्रियों की वहां व्यवस्था की जा रही है और मैं आशा करता हूं कि आइन्दा को हमारी वह फैक्ट्रियां तैयार हों

[श्री हुकुमसिंह]

जायंगी। इसके अलावा प्रांत में और भी फैक्ट्रियों के खोलने की योजनायें हैं जिन पर विचार सरकार कर रही है ताकि यहां फैक्ट्रियां इतनी काफी हो जायं कि गन्ना जो पैदा हो उसको हम ठीक वक्त तक पेर सकें। इसके साथ-साथ हम यह भी कह रहे हैं कि कुछ फैक्ट्रियों की क्रशिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहेड़ी और गोला में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। तो इन्तजाम करना सरकार का फर्ज हुआ करता है। यह कोई नहीं कह सकता कि सरकार ने जानकर कोताही की है। गन्ना ज्यादा हो गया तो इसका इन्तजाम होगा। लेकिन यह कहना कि २४ घंटे में सब क्रश कर दिया जाय, तो यह इस सरकार के काबू की बात नहीं है। जब कभी आपकी सरकार आये तो शायद आप ऐसा कर सकें। आये, इसमें भी लोगों को शक है और मुझे तो कतई शक है। तो आपको तो एडवांटेज है। आप यह कहेंगे कि हम होते तो २४ घंटे में सब कर देते। होना तो कभी आपको है नहीं। इसलिये मैं ऐसी बात कह नहीं सकता। मैं तो वही बात करूंगा जो संभव है और जिसको हम कर सकते हैं। उससे फाजिल कहने की हम कभी चेष्टा नहीं करते। तो ऐसे सुझाव से काम चलने का नहीं है। सुझाव ऐसा होना चाहिये जिससे हम कुछ सबक ले सकें। खाली यह कह देने से कि इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, काम नहीं चलेगा।

मेरे मित्र रामसुन्दर पांडेय जी ने फरमाया कि सीड स्टोर कोआपरेटिव के और बेसिक, दोनों एक ही जगह हैं और दोनों में बड़ी होड़ और बड़ी गड़बड़ी होती है। मैंने जानना चाहा कि माननीय सदस्य बतायें कि वह कौन सा मुकाम जहां ऐसा है, तो तकरीर खत्म हो गयी, अभी तक खामोश हैं, बताया नहीं। इससे मैंने यह नतीजा निकाला कि हमारे दोस्त एक हवाई बहस कर रहे थे। इधर उधर की उड़ा रहे थे और जब हमने पूछा कि वह कौन सा मुकाम है जहां ऐसी चीज है, तो बताने की मेहरबानी नहीं की। अब मैं क्या करूं, कहां पर अफसर भेज दूं इसको देखने के लिये, जिसको सजा दे दूं, किस से जवाब तलब कर लूं? तो ऐसे सुझाव से हमको कोई मदद नहीं मिल सकती। इसके साथ-साथ मैं यह मानता हूं कि हमारे सीड स्टोर के जो बीज हैं, कुछ तो ऐसे स्टोर हैं जहां बिल्कुल प्योर बीज मिलता है। लेकिन जहां किसानों से लेकर हम रखते हैं उसमें सेंट पर सेंट प्योरिटी की गारंटी हम नहीं कर सकते। अब मैं क्या बताऊं, मुझसे तो सब बात माननीय सदस्य कहने के लिये तैयार हैं और मालूम होता है कि उनका फर्ज यहीं खत्म हो गया। आखिर क्या हुकुमसिंह के कान में बात डाल देने से ही उनका फर्ज अदा हो गया? क्या उनका यह फर्ज नहीं है कि अपने-अपने हल्के के किसानों को यह शिक्षा दें कि वे जब बीज गोदामों से बीज लेकर उनको वापस करें, बढ़िया से बढ़िया बीज वापस करें? माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे किसानों को इस बात की शिक्षा दें। केवल यहीं कह कर उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आपके सहयोग के बगैर हम काम नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें आपके सहयोग की जरूरत नहीं है। उनको मैं न करूं तो कसूरवार हूं। लेकिन जिनमें आपके सहयोग की जरूरत है वे काम हम अकेले नहीं कर सकते। अभी तक तो हमारे किसान यह करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया बीज ले गये लेकिन वापस वह करते हैं जो बिलकुल रद्दी हो। यही वजह है कि बहुत सी जगह हमको उसे वैसे ही बेंच देना पड़ता है।

एक बात हमारे उपाध्याय जी ने यह फरमाई कि इस बजट में सारा रुपया अफसरान पर खर्च हो जाता है, जनता के पास नहीं जाता है। यह ठीक है कि जनता के पास वह रुपये की शक्ल में नहीं जाता। हमारे रिसर्च स्टेशन्स हैं उनमें जो अफसर काम करते हैं उनको तनख्वाह दी जाती है और जो रिसर्च का रिजल्ट होता है वह किसानों के पास पहुंचाने है की कोशिश की जाती है, रुपये की शक्ल में कैसे भेज दें। मेन्योर की शक्ल में जाता है, हल की शक्ल में जाता है, बीज की शक्ल में जाता है, रुपये की शक्ल में कतई नहीं जाता है और न जा सकता है। एक बात मैं और बताऊं। एजूकेशन होता है, कालेज में लड़के पढ़ते हैं वह रुपया की शक्ल में कैसे जायं। जनता के पास वे पढ़ कर जायेंगे तो या तो मुलाजिमत करेंगे या खुद

खेती करेंगे तो जो शिक्षा देंगे उस शक्ल में जनता के पास जायगा। डायरेक्शन है, मैनेजमेंट में जो अफसरान हैं वे कैसे जायं ? मैनेजमेंट की भी जरूरत हुआ ही करती है। तो सब रुपया रुपया की शक्ल में नहीं जायगा बल्कि दूसरी शक्ल अख्तियार करके जायगा। ऐसी सूरत में एक बात हमारे मित्र शिवस्वरूप जी ने फरमाया कि कृषि विभाग को तोड़ दें और ग्रोअर्स तथा फैक्ट्रीज सीधे सीधे डील करें। क्या १९३८ के पहले की बात वह भूल गये? उससे पहले काश्तकार सीधे फैक्ट्रीज से डील करते थे और साढे तीन आने मन गन्ना बिकता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से फैक्ट्रीज ने इन भोले भाले किसानों से फायदा उठाया उसे देखकर सरकार ने शुगर कंट्रोल ऐक्ट कायम किया और नियंत्रण किया और प्राइस फिक्स करने लगी। तभी से हमारा किसान पनपा है। हमारे दोस्त भले ही भूल जायं। लेकिन कृषि विभाग को कैसे भूल सकते हैं। हमारे मित्र शारदाबख्श सिंह तथा दोस्तों ने एतराज किया कि मूंग बड़ी खराब दी है। ज्यादा पक गई होगी तब तोड़ी होगी। यह तीन मर्तबा तोड़ी जाती है। अगर आप ने तोड़ने में देर कर दी तो वैसा ही होगा जैसा कि आप फरमाते हैं। यही हाल उर्द और मटर का होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त पर काम नहीं करते हैं उनको तलख तजुरबा होता है। सब लोगों ने मूंग की तारीफ की। इसमें एक फायदा यह है कि ग्रीन मेन्योरिंग भी हो जाता है और कुछ फसल भी मिल जाती है और जमीन के जोतने से जमीन की फर्टीलिटी भी बढ़ जाती है। इन सब कारणों को हमें देखना है। इन पर गौर करना है।

ऐसे कुछ वाकेयात होते हैं कि अगर कोई नजरबन्द करना चाहें तो कैसे करे। जो आंखें बन्द कर लेगा वह नहीं देखेगा। बाकी सब ऐसे नहीं हैं वह तो देखेंगे ही जो आंखें खोले हुये हैं। इस विभाग ने कितनी उन्नति की है यह इसी का ज्वलन्त उदाहरण है कि जो बाहर से गल्ला आता था वह नहीं आता है क्योंकि वह सब यहीं पैदा हो जाता है। हमारे मित्र ने फरमाया कि इस विभाग ने क्या किया। अगर विभाग ने कुछ नहीं किया तो फिर किस ने किया ? क्रौप कम्पटीशन की वजह से किसान ने पैदावार बढ़ाई है। उससे लोगों ने सबक लिया है। हरदोई के लोगों ने सबक न लिया हो लेकिन पश्चिमी जिले के लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है और उन्होंने नये नये तरीके अपनाये हैं। पहाड़ का मुश्किल रास्ता है, जरा देर में यह चीजों पहुंचेगी (एक आवाज—पहाड़ों में भी लोगों को कायम इनाम मिला है।) लीजिये जब पहाड़ों में यह पहुंच गया तो हरदोई क्यों नहीं पहुंचा ? नये नये खेती के ढंगों को अपनाकर हमारे किसानों ने पैदावार बढ़ाई है। यह प्रतियोगिता की भावना विभाग ने ही लोगों में पैदा की। फिर अपने मित्र का यह कहना कि विभाग ने कुछ नहीं किया गलत है। किसानों के नये नये ढंग अपनाने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है····

श्री उपाध्यक्ष—अनुदान का समय समाप्त हो गया है।

श्री हुकुमसिंह—एक मिनट में खत्म करता हूं। लाल बत्ती जली रही, इसलिये मैं बोलता रहा। हमारे किसानों ने और सरकार ने मिल कर काम किया तभी सफलता प्राप्त हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी को छोड़ कर जितने सदन के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, कुछ न कुछ कहा है और किसी न किसी रूप में उन्होंने इसका समर्थन ही किया है। श्रीमन्, सब से बड़ी खूबी की बात यह हुई कि माननीय कृषि मंत्री जी का सीन खत्म नहीं हुआ और समय खत्म हो गया।

श्री हुकुमसिंह—खत्म आपका समय हुआ, मेरा अभी बाकी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—कहा गया कि गन्ने के सम्बन्ध में बड़ी उन्नति हुई और यह भी कहा गया कि शुगर कंट्रोल बोर्ड की बात अगर हम मान लिये होते तो मिल मालिकों के चीनी उत्पादन में कमी हो जाती और नेशनल लास होता। श्रीमन्, इससे बड़ा सबूत किसानों में दिलचस्पी और मुहब्बत होने का सरकार के लिये और माननीय कृषि मंत्री के लिये और कोई दूसरा नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी तो दुहाई देते हैं कि मैं किसानों का सबसे बड़ा हितैषी हूं। नेशनल लास यह नहीं है कि लाखों मन गन्ना खेतों में सूख जाय। मैं यह जानना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि जितने किसानों ने मिलों में गन्ना भेजने के लिये गन्ना बोया था, क्या वह सब मिलों में खपत हो सकेगा? यदि नहीं हो सकेगा तो क्या यह नेशनल लास नहीं है? आज ९० लाख परिवार के किसान इस प्रदेश में ऐसे हैं जिनका सहारा गन्ना है, तो सरकार ने ९० लाख किसानों को छोड़ कर ६६ मिलमालिकों का ख्याल किया और उनकी सुविधायें अनुसार मंत्री जी ने कार्य किया, यह क्या है? श्रीमन्, कहा गया है कि हमने बहुत प्रबन्ध किया है। हमारे साथी हरिप्रसाद जी बैठे हैं, उनके पास रजिस्टर हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उनको बुला कर पूछें और जानें कि क्या हालत है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कम से कम चार करोड़ का फायदा सरकार को केन सेस से हुआ है, उसमें से इस सरकार ने गन्ना उत्पादन के लिये कितना रुपया खर्च किया है? अगर एक करोड़ रुपया भी खर्च किया होता तो मैं समझता कि सरकार ने गन्ना उत्पादकों के लिये, उनको प्रोत्साहन देने के लिये कुछ किया है। कहा जाता है कि माननीय खूबसिंह ने खूब कहा। मैं तो देहात का रहने वाला किसान हूं। मेरा ख्याल है कि माननीय कृषि मंत्री जी कृषि मंत्री होने के बाद गन्ना किसानों के खेतों को देखने नहीं जाते होंगे। वह नहीं जानते होंगे कि सैकड़ों किसान बैलगाड़ियां लेकर ६ दिन और ८ दिन तक पड़े रहते हैं और वह यह भी नहीं जानते होंगे कि मिलमालिक किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। उनके कृषि विभाग के कागजों में जो लिख कर आता है, मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी को वही दिखाई देता है और उससे उनको मालूम होता है कि हमारे विभाग में बहुत काम हुआ है और गन्ना उत्पादकों के हित में बहुत काम हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि काम जो हुआ है वह ऐसा काम नहीं है कि जिससे हमारे प्रान्त की जनता को प्रोत्साहन मिले।

इसी प्रकार ऊसर भूमि को तोड़ने का सवाल है। बहुत से जिले ऐसे हैं, आजमगढ़, जौनपुर आदि कि जहां पर ऊसर ही ऊसर पड़ा हुआ है। वहां मैं जानना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी ने जमींन को तोड़ने के लिये क्या किया है? भूमि संरक्षण विधेयक पास हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में इसके अन्तर्गत ८ जिलों में काम शुरू करने का विचार है। इतने ही से यह समस्या हल होने वाली नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि में संपूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज (लेखा शीर्षक ४०—कृषि) के अन्तर्गत २,९३,८४,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ७१ के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत ३,७०,२५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा

श्री हुकुम सिंह—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—पशु चिकित्सा (लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा) के अन्तर्गत १,७५,०४,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सारा समय हमारे मित्र जो इस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं उनको मिले ताकि उनके सुझाव सुन कर मुझे फायदा उठाने का मौका मिले। मैं आशा करता हूं कि सुझाव वैसे होंगे जो रचनात्मक होंगे जिससे इधर का भी और उधर का भी फायदा होगा।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं समस्त अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। श्रीमन्, इस अनुदान द्वारा सरकार ने पौने दो करोड़ रुपये की मांग इस सदन से की है। वैसे तो यह अनुदान कृषि प्रधान देश के लिये बहुत महत्व रखता है। मैं यह कह सकता हूं कि इसको महत्व देने की चेष्टा भी इस अनुदान द्वारा की गयी है जो कि गत साल से अधिक है। फिर भी इसमें कुछ त्रुटियां हैं। मैं उन त्रुटियों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यदि हम इस अनुदान को जो इस समय हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में पुस्तिका में विवरण को देखें और ध्यान से उसको देखें तो गत साल के बजट में कुछ बचत भी देखेंगे। जैसे स्टाफ पर कम रुपया लगाया गया, गोचर भूमि के सम्बन्ध में संरक्षण की कम व्यवस्था की गयी, कुछ मुहकमे जिनको चालू करना चाहिये था उनको देर से चालू किया गया। इस तरह से कुछ पैसा बच गया है। इस साल के बजट में हमको कुछ और बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है जो इस साल के बजट में की गयी है। कुछ नये कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है और कुछ नये विभाग को संरक्षण देने की जरूरत है और उनका संचालन भी करना है। पशु विकास के मातहत भी इसमें बढ़ोत्तरी है जिसके मुताल्लिक बहुत प्रसन्नता नहीं है। सदन को यह ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में भी ४७, ४८ धारा के अन्दर राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि खेती की पैदावार के लिये पशुओं की रक्षा की जाय और उसकी हत्या न करने दी जाय। इसके साथ-साथ जो भार उठाने वाले और कृषि का काम करने वाले पशु हैं उनकी रक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने गोबध बन्द करके इस ओर कदम उठाया है। यह हमारी शिकायत है कि बहुत से ऐसे पशु हैं संविधान के अनुसार जिनकी रक्षा होनी चाहिये। जो कृषि के काम के उपयोगी हैं उनकी हत्या बन्द की जाय।

मैं माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि जो सरकार ने प्रयत्न किया है उसके बाद दूसरा प्रश्न यह है कि उन पशुओं के लिये भी जो देश के लिये

[श्री रामेश्वर लाल]

उपयोगी हैं उनके लिये भी सचेष्ट कदम उठाया जाय । श्रीमन्, हमें जो पुस्तिकायें मिली हैं, उनसे हमें मालूम होता है कि सन् १९५२ में २३० पशु चिकित्सालय थे और आज २७२ हैं । २६३ पशु चिकित्सक और ७२९ स्टाकमैन हैं। अपने देश में, अपने प्रदेश में, पशुओं की संख्या को देखते हुये मैं यह कहूंगा कि ये संख्यायें बहुत नगण्य हैं। हम देखते हैं कि पंजाब के १३ जिलों में १९२ चिकित्सालय हैं और हमारे ५१ जिलों में केवल २७२ हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के बाद हमारे यहां १९६१ में ३२० चिकित्सालय बन सकेंगे और हर साल ५० के हिसाब से १९९१ में हम अपने ६०० चिकित्सालय खोलने का दावा पूरा कर सकेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों किसानों की खुशहाली बढ़ेगी त्यों-त्यों मवेशियों की संख्या बढ़ेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इधर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे चिकित्सालय अधिक हों।

जो स्टेट सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहती है उसके लिये जरूरी हो जाता है कि वह अपने यहां के लोगों को पुष्ट और मजबूत बनावे। इसके लिये सरकार को चाहिये कि पौष्टिक पदार्थों की पैदावार में वृद्धि करे और प्रोटीन के पदार्थ जैसे अंडे से हमें यह मिलता है, में भी वृद्धि करे। आज हमारे देश में एक आदमी को केवल २ छटांक दूध मिलता है जब कि अमेरिका में और दुनिया के दूसरे देशों में इससे कहीं अधिक मिलता है और कहा जाता है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। हम देखते हैं कि दुनिया के और भागों में जहां साढ़े दस सेर दूध प्राप्त होता है एक जानवर से, हमारे यहां केवल १०, १/२ छटांक प्राप्त होता है। यह हमारे लिये लज्जा की बात है फिर उस भूमि के लिये जिसे कहा जाता था गाथाओं में कि यहां दूध और दही की नदियां बहती थीं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह एक गोशाला विधेयक बनावें। हमारे प्रान्त में जो सरकारी और गैरसरकारी भेदभाव है, उसे मिटाने की चेष्टा करें। सरकार अपने गोसदनों की ओर तो ध्यान देती है लेकिन अन्य गोशालाओं की ओर और कुछ नहीं करती। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सरकारी रूप से पूर्ण तरीके से सारी असरकारी गोशालाओं का अपने संरक्षण में लाने की चेष्टा करें और इसके लिये विधेयक बनावें। मुझे मालूम है कि आज शहरों में दूकानदार लोग छोटे और बड़े, गोशालाओं के नाम से धरमादा काटते हैं और लाखों रुपया उनके यहां जमा रहता है लेकिन वह रुपया गोशालाओं के लिये नहीं मिलता है। तो जरूरत इस बात की है कि गोशालाओं के लिये सरकारी देखरेख में समितियां बनाई जावें और उधर ध्यान दिया जाय। एक और सुझाव मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। हमने देखा कि कृषि के उत्थान के लिये अपनी योजना में सिंचाई को प्रमुख स्थान दिया कि कृषि का विकास हो। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि काफी विकास इसमें हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे पशु-विकास को भी द्वितीय पंचवर्षीव योजना में प्रमुख स्थान दिया जाय। देश में यदि पशु-विकास नहीं हुआ तो ये बड़े-बड़े कारखाने जैसे सिन्दरी के हैं जितना लाभ उनसे होना चाहिये उतना नहीं हो सकेगा। हमारा किसान अपने घर पर इन पशुओं द्वारा फर्टीलाइजर तैयार करता है। यह कार्य वही किसान कर सकता है जो पुष्ट हो, जिसकी मवेशी पुष्ट हो तो इसलिये जरूरत इस बात की है कि उसे पौष्टिक पदार्थ काफी मात्रा में मिलें। चितरंजन जैसे बड़े-बड़े कारखानों की डींग सरकार भी हांकती है। लेकिन ये बड़े-बड़े कारखाने हर जगह तो काम नहीं कर सकते। हर जगह तो हमारे पशु ही सामान और बोझा ढोते हैं और हमारे खेती की पैदावार बढ़ाते हैं, चाहे कहीं बाढ़ हो या दुर्भिक्ष हो। इसलिए इन्हें पुष्ट बनाने की आवश्यकता है और इस कार्य को पूरा करने के लिये जरूरी है कि हर गांव में अच्छे चरागाह हों, सरकार हर गांव को मजबूर करे कि वह अपने यहां कम से कम एक अच्छा चरागाह रखे। इस अनुदान में कुछ अच्छी बातें हैं जैसे गोबर से काम लेना बिना खाद के तत्व को नष्ट किये, मछली इत्यादि का

कार्य। भेड़ों का कार्य भी इसी में है। हमारे प्रदेश में ऐसी भेड़ें हैं जो आधे समय मैदानी इलाकों में रहती हैं और आधे समय पहाड़ी इलाकों में तराई में चली जाती हैं। जो ऊन इनसे तैयार होता है उसे बड़े-बड़े लोग सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और कम्बल बनाने के समय उन्हीं को वह महंगे दामों पर देते हैं। वही उनका ऊन उन्हीं को जब जाड़े में कम्बल की आवश्यकता होती है तो महंगा मिलता है। तो जरूरत इस बात की है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के बेसिस पर इन भेड़िहारों का संगठन हो। ये लोग बहुत पिछड़े हुये हैं, इसे मानने में किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिये और न यह बुरा मानने की बात है। ये लोग स्वयं अपना संगठन नहीं कर सकते इसलिये जरूरत इस बात की है कि सरकार इस ओर कदम उठावे और इन लोगों की सोसाइटी बनावे। इस प्रकार इन लोगों का शोषण होने से रुकेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार गांधी आश्रम की खादी पर वह ३ आने रुपया छूट देती है उसी प्रकार गांवों में इन भेड़िहारों द्वारा बनाये माल पर भी वह छूट दे ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और वे दूसरे लोगों से कम्पीट कर सकें। यह भी ऐसा उद्योग है जिसे सरकार को सहारा देना चाहिये। इससे उनके साथ न्याय होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन की सेवा में प्रस्तुत करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कृषि–विकास के संबंध में कुछ अपने विचारों को प्रकट करना चाहता था लेकिन चूंकि इस मौजूदा अनुदान का संबंध भी खेती से है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जानवर उन्नतिशील हों क्योंकि खेती के लिये इनकी बहुत ही आवश्यकता है। हमें यह तय करना है कि हमे खेती किस ढंग पर करें आया मिकेनाइज्ड फार्मिंग या बैलों द्वारा। यह एक विचारणीय विषय है। वीरेंद्रशाह जी ने मिकेनाईज्ड फार्मिंग पर बहुत जोर दिया। वह तो इस समय नहीं हैं लेकिन उनके नेता बालेन्दुशाह जी हैं। मैं उनसे तथा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता था कि वे दूसरे देशों से मुकाबिला न करें, हमारे देश से उनका मुकाबला करना मुनासिब नहीं है। माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में बताया कि मिकेनाइज्ड फार्मिंग से और देशों ने बड़ी उन्नति की है। (माननीय मंत्री जी के कुछ कहने पर) मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वे उसको तरजीह नहीं देते हैं। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग पर जो पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है उसको कम किया जाय। मैं आंकड़ों के जरिये से यह सिद्ध करना चाहता हूं कि देश के लिये मेकेनाइज्ड फार्मिंग बिलकुल ही मुनासिब बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मेकेनाइज्ड फार्मिंग इस अनुदान के अन्तर्गत आती है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष––इस अनुदान से उसका कोई संबंध नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––अगर हमें अपनी देश की उन्नति करनी है तो हमें अपने बैलों की उन्नति करनी चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि उन्हीं के जरिये से खेती हो। अगर हम खेती मेकेनाइज्ड फार्मिंग के जरिये से करेंगे तो हमारे बैल बेकार हो जायेंगे। हमने अपने यहां गो बध निषेध विधेयक भी पास किया है। तो जिन लोगों का ध्यान, जैसे माननीय वीरेंद्रशाह जी का, मिगेनाइज्ड फार्मिंग की ओर है उनको यह ध्यान रखना चाहिये कि अपने देश की मौजूदा स्थित को देखते हुये हमें अपने बैलों के जरिये ही खेती करनी चाहिये और इसीलिये हमें बैलों की तरक्की है। जिस प्रकार इस अनुदान के अन्तर्गत अन्य पशुओं मछली और भेड़ों की तरक्की के लिये पैसा रक्खा गया है, हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति बैल के और गाय के लिये भी पैसा रक्खा जाना चाहिये। बैलों की तरक्की हम तभी कर सकते हैं जब हम उनको खेती के काम में लायें। अगर हमारा ध्यान मिकेनाइज्ड फार्मिंग की ओर होगा तो हमारे बैल बेकार हो जायेंगे। फिर उन बेकार जानवरों की तरक्की हम कैसे कर पायेंगे। हमारे देश में इंडस्ट्री

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

से ८ गुना ज्यादा एग्रीकल्चर है, यू० के० में एग्रीकल्चर से ५ गुना ज्यादा इंडस्ट्री है। इसी तरह से हमारे हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चर पर ६७ परसेंट हैं जबकि इंडस्ट्री में ९.३ हैं और यू० के० में एग्रीकल्चर में ११.६ हैं जबकि इंडस्ट्रीज में २६.८ हैं। फ्रांस में ४०.७ एग्रिकल्चर में है और इंडस्ट्री में ३५.२ हैं और तालिका में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन सब जगह से एग्रीकल्चर में हमारे यहां ज्यादा हैं और मुल्कों में इंडस्ट्री में ज्यादा। जो हमारे यहां साइज आफ होलडिंग है दुनिया के हर मुल्क से हमारे यहां छोटी है। उत्तर प्रदेश की २.५ है और डेनमार्क में ४० एकड़ है। ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि हमारी छोटी खेती बैलों के जरिये से होनी चाहिये तभी किसानों की गुजर हो सकती है। बड़े-बड़े फार्म्स को खत्म करना चाहिये और मैकेनाइज्ड फार्मिंग और ट्रैक्टर्स के जरिये से जो खेती होती है यह हमारे देश के लिये फायदेमंद नहीं है।

*महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग का यह एक दुर्भाग्य है पैसे की कमी के कारण सरकार इस विभाग के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कर पाई। समय कम होने के कारण मैं मंत्री महोदय के सामने अपने विचार और सुझाव क्रमानुसार रक्खे देता हूं।

सबसे पहले मैं उनका ध्यान बोर्ड आफ ऐनिमल हस्बैन्डरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह एक उत्तम और बहुत ही आवश्यक बोर्ड है और इसका महत्व बढ़ाना सरकार और मंत्री महोदय दोनों के लिये अति आवश्यक है। हर एक विभाग के संबंध में एक नई प्रथा चली आ रही है। सेल्स टैक्स में अभी हाल में एक कंसलटेटिव कमेटी बनाई गई जिससे सरकार का और जनता का सम्पर्क बढ़े। यह बोर्ड आफ ऐनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट जो है उसका भी यही एक मतलब और महत्व होना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार इसके डेवलपमेंट के लिये एक सब कमेटी बना दे और सरकार यह नीति बना ले कि जो प्लानिंग इस संबंध में हो वह बोर्ड से राय लेने पर ही निर्धारित हो। मैं मानता हूं कि इस बजट में कुछ धनराशि एक प्लानिंग सेक्शन हेडक्वार्टर में खोलने के लिये रक्खी गयी है और वह भी बहुत कुछ हद तक इस ओर इस काम में सहायता देगी। आगे टेक्निकल पर्सनल के संबंध में कुछ इसी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिस व्यक्ति के साथ जनता का अधिक से अधिक सम्पर्क है वह मेरे विचार से वेटेरिनरी असिस्टेंट सरजन है। मैं समझता हूं कि पहले इस व्यक्ति की टेक्निकल एबिलिटीज को बढ़ाना चाहिये। जो पाये जाते हैं उनसे बहुत से बड़े काबिल हैं लेकिन उस मात्रा के अधिकांश काबिल नहीं मिलते कि वे जनता के बीच इस विभाग के प्रति विश्वास पैदा कर पायें। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि चाहे वह एक हाइली टेक्निकल न होने पाये लेकिन जो वर्तमान टेक्निकल योग्यता है उससे अधिक की जाय और साथ ही साथ उसको अपग्रेड भी किया जाय। उनका वेतन हो सके तो ३०० से ५०० वाला ग्रेड कर दिया जाय। वे इस योग्य भी बन सके कि उनमें से ही भविष्य में भी वे डिप्टी डायरेक्टर्स बन सकें। अगर इसे ऊंचा ग्रेड समझा जाय तो जो इंस्पेक्टर्स का ग्रेड सरकार ने एक बार सोचा था और काम में नहीं आया २०० से ३५० का ग्रेड उसमें इनको ले आया जाय। वेटिरिनरी असिस्टेंट सर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इसके साथ सरकार इस विभाग में बहुत से योग्य और टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं लेकिन उनका जनता से सम्पर्क बहुत कम रहता है। लिहाजा इसको अपग्रेड किया जाय और वेतन बढ़ाया जाय। आगे अध्यक्ष महोदय मैं इस बात में जरा शोक प्रकट करना चाहता हूं कि इस साल फाडर एन्ड ग्रेजिंग के लिये कोई धन राशि नहीं रखी गई है। पिछले साल बजट एस्टीमेट में इसके लिये १ लाख ४२ हजार की रकम रखी गई थी लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में वह नहीं रही और इस वर्ष भी उसके लिये कुछ नहीं रखा गया है। मेरे ख्याल में की विलेज स्कीम के लिये जो धन दिया गया है वह बहुत कम है यद्यपि उससे कुछ काम जरूर बन जायगा। अन्त में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में सरकार का ध्यान एक विशेष विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हार्स ब्रीडिंग के संबंध में, उसमें हम को जितना ध्यान देना चाहिये था वह नहीं दे रहे हैं, हालांकि मौर्य जी का भाषण कुछ हद तक असंगत था लेकिन उन्होंने सही कहा कि अभी देश में मेकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं होना चाहिये। वह हो या न हो लेकिन यह सही है कि जहां भी कृषि का विकास हुआ है सर्वप्रथम वहां मैनुअल लेबर ही लगा है, उसके बाद बैल आये, फिर घोड़े या दूसरे बड़े पशु आये और अन्त में मेकेनाइज्ड फार्मिंग आया। इसलिये यह कहना कि मनुष्य का कृषि में स्थान न रहे या बैल या घोड़े हटा दिये जायं ठीक नहीं है। मैं मौर्य जी से सहमत हूं कि यह संभव है कि मैकेनाइज्ड होने के बाद भी हमारे यहां बगैर बैल और घोड़ों के काम नहीं चल सकता। इसलिये घोड़ों के लिये जो सरकार ने रकम रखी है वह बहुत ही कम है। इसके लिये २८,२०० की धनराशि बहुत कम है और जब कि बैलो के लिये और दूसरी चीजों के लिये ५०,००० रखा गया है। जो यह ५० हजार रुपया आगे रखा गया है यह भी अगर घोड़ों के लिये ही काम में लाया जाय तो ठीक होगा और उत्तम घोड़ों की ब्रीडिंग हो सके।

*श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई इसलिये देता हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी स्वयं इस खेती के उत्पादन के विशेषज्ञ हैं। इस विषय में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है केवल अपने सुझाव, जो कुछ मैं अनुभव कर चुका हूं वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमारा प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिस में लगभग ढाई करोड़ पशु हैं परन्तु हम देखते हैं कि हमारे यहां केवल २७२ पशु चिकिलसालय हैं जब कि हमारे यहां आवश्यकता लगभग १,००० पशुचिकित्सालयों की उस समय है जब कि दस मील पर एक पशुचिकित्सालय हो। मैंने इसी बजट में देखा है कि अगले ५ वर्षों में ५० और पशुचिकित्सालय खोले जायेंगे लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि जहां १,००० पशुचिकित्सालयों की आवश्यकता हो वहां इस काम के लिये बहुत कम रुपया रखा गया है और इस वर्ष तो केवल ५ चिकित्सालय ही खोले जायेंगे और ४५ अगले ४ वर्ष में खुलेंगे। यह ६०० की जो आवश्यकता है वह कब पूरी होगी यह तो सदन विचार करे लेकिन शीघ्र से शीघ्र यह चिकित्सालय खुलने चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस स्थान पर यह पशु चिकित्सालय खोले जायं वह गांव में ही होने चाहिये क्योंकि वह गांव के किसानों के लिये ही है और वह उन से लाभ उठा सकें। और उठाने के लिये हमारी सरकार को कदम भी इस संबंध में आगे बढ़ाना चाहिये। मैंने एक बात इसमें और देखी है। एक पशु चिकित्सालय खोलने के लिये ३५ हजार रुपये की आवश्यकता होगी। परन्तु उसमें से आधा रुपया वहां की जनता को देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर दूं कि उनके पास कहां से १७, १८ हजार रुपया आयेगा? इसलिये सारा खर्चा गवर्नमेंट को देना चाहिये। गवर्नमेंट अपने खर्च से यह पशु चिकित्सालय सब स्थानों पर खोले। मैं देखता हूं कि पंजाब में जब कि १३ जिले हैं १९२ पशु चिकित्सालय हैं। इस प्रकार एक जिले में १५ के औसत उनका पड़ता है। हमारे यहां एक जिले में पांच के लगभग है। इसका अर्थ यह है कि पंजाब में हमारे यहां से तिगुने पशु चिकित्सालय हैं।

एक और विशेष बात है, जिसके कारण हमारी यह सब कमियां हैं। हमारे पशु चिकित्सा महाविद्यालय में हम देख रहे हैं पहले लगभग साठ लड़कों के भरती किये जाते थे और वहां का कोर्स इतना कठिन है और व्यय भी इतना ज यादा पड़ता है कि एक-एक किताब के खरीदने में पचास-पचास रुपये लग जाते हैं। इसलिये यहां का कोर्स हलका किया जाय और कम से कम ३३ प्रतिशत नम्बर वहां उत्तीर्ण होने के लिये रख दें। हम यह इसलिये चाहते हैं कि जहां पहले ६० लड़के दाखिल होते थे, वहां मुश्किल से सात आठ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीचन्द्र]

लड़के निकलते हैं। यही दशा रही तो कभी हमारे डाक्टरों की संख्या पूरी नहीं हो रही है मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आगामी वर्षों में एम० बी० एस० सी० की कक्षा खोली जा रही है जिसके लिये हमारे विद्यार्थियों को दूसरे देशों में जाना पड़ता था। मैं फिर कहूगा कि वहां के लड़कों के लिये ३३ प्रतिशत नम्बर रखे जायं। एक और भ्रामक बात फैली हुई है कि अब तक दो सौ से ग्रेड शुरू होता है। अब यह खबर है कि १२० से ग्रेड शुरू होगा, मैं यह कह नहीं सकता कि यह कहां तक ठीक है। लेकिन इससे लड़कों और जनता में बड़ी बेचैनी है। अगर यह दशा हो गयी तो कोई पढ़ने नहीं जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि २ सौ के बजाय कम से कम ढाई सौ उनका वेतन रखा जाय। किसानों के लड़के जो इतनी मुसीबत उठा कर, इतनी कठिनाई उठा कर पहुंचते हैं, अधिक से अधिक सुविधा देने की आवश्यकता है। जब तक उनको सुविधा नहीं दी जायगी, पारितोषिक इत्यादि को तब तक काम नहीं चलेगा पहले पांच रुपया फीस थी। अब साढे १२ रुपया है। उससे अधिक फीस कर दी गई है। इससे कुछ सरकार की अधिक आमदनी नहीं बढ़ गयी है। इससे एक त्रुटि पैदा हो गयी है। बहुत कम खर्च में वहां लड़कों को पढाने की आवश्यकता है जिससे वहां लड़के पढ़ सकें।

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों का आभारी हूं जिन्होने कुछ ऐसे सुझाव दिये हैं जिन पर मैं विचार कर सकूं। इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि अस्पतालों की संख्या कम है। उसमें इजाफा किया जाय। मैं इसको तसलीम करता हूं कि २७२ की तादाद अपने सूबे के लिये बहुत कम है। लेकिन हमारे मित्र हमसे इत्तफा करेंगे कि अगर हम अस्पताल खोल दें और डाक्टर न रखें तो कुछ लाभ होगा जनता को या नहीं होगा। मैं समझता हूं कि खोलना नहीं के बराबर होगा। उससे बजाय लाभ होने के बदनामी हो सकती है आपकी सरकार कैसी सरकार है अस्पताल तो खोले डाक्टर नदारद। माननीय सदस्य जानते हैं कि क्वालीफाइड डाक्टरों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिये मथुरा में हमारा एक कालेज है।

उसमें हमको और स्टेटों के भी कुछ लड़के लेने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये से हम तक पहुंचते हैं। तो अभी तक ५० या ६० लड़के लिये जाते थे हर साल। तो तादाद यह कम थी और जरूरियात हमारी बहुत और ऐसी प्रेसिंग जरूरियात हैं कि हम उनको मुल्तवी कर नहीं सकते। इसलिये इस साल से हमने १०० लड़कों को ऐडमिट करना शुरू कर दिया है। और उसमें से करीब ७० या ६८ हमको मिलेंगे बाकी और जगह जायेंगे। हमने सुपरवाइजर का भी एक नया काडर खोला है, उनकी भी ट्रेनिंग यहां कर रहे हैं गंजरिया फार्म में। उनका दो वर्ष का कोर्स हमने रखा है और स्टाक मैन को भी ट्रेन्ड कर रहे हैं। हमको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आशा यह की जाती है कि ३३० डाक्टर और ३०० सुपरवाइजर और ५६१ स्टाकमैन मिल जायं। इस तरह से ऐसी जानकारी रखने वालों की तादाद काफी मिल जायगी तो हमको अस्पताल खोलने में कोई अड़चन न होगी। आपकी सरकार भी इस जरूरत को समझती है और जो माननीय सदस्य कहते हैं कि अस्पतालों की बड़ी कमी है वह सही है। तो हमारे सामने यह दिक्कत है।

हमारे भाई श्रीचन्द जी ने कहा कि मथुरा में कोर्स हल्का कर दिया जाय मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर हम कोर्स हल्का कर दें तो ऐसे नाकाबिल लोग निकलेंगे कि बजाय अच्छा करने के जानवर को मार न दें और अगर हमको इतनी जल्दी है तो हम वैसे ही सर्टिफिकेट दे दें, तो इससे तो काम चलने का नहीं। हम कहते हैं कि काबिल से काबिल आदमी हों और एक तरफ से हमारे बालेन्दुशाह ग्रेड बढ़ाने को कहें और इधर क्वालिफिकेशन भी कम करें, तो यह दोनों बातें मिलती नहीं। ऐसी सूरत में यह दिक्कत है। हमारे रामेश्वरलाल जी ने जो कहा अस्पतालों के बारे में वह ठीक

है और हम काफी कोशिश कर रहे हैं। गोशाला ऐक्ट बनाने की मैं समझता हूं कोई इतनी जरूरत नहीं है। हमने एक ऐसी योजना रखी है कि जो गोशाला हमारे प्रदेश में हैं, उनको हम सहायता देंगे और उनसे हम ब्रीडिंग का काम भी लेना चाहते हैं। दूध भी उनसे पैदा कराना चाहते हैं। खाली वह टूटे फूटे जानवर न रखें, उचित ब्रीडिंग के भी जानवर ब्रीडिंग का अगर वह काम करें तो देंगे। हम उनको एक बुल और १० गाय देना चाहते हैं और उनके मेंटेनेन्स के लिये भी हम रकम देंगे और ५ हजार रु० तक साल में उनके मकानों की रिपेयर और कांस्ट्रक्शन वगैरह के लिये भी देंगे। ऐसी योजना हमने रखी है। लेकिन उनको जो मैनेजिंग बोर्ड बनाना पड़ेगा या कमेटी कहिये उसमें सरकार के भी कुछ मुनाइन्दे होंगे और उनके जरिये से सरकार उनको ठीक तौर से चलाने की कोशिश करेगी। इस तरह से हमने रखा है। तो हमारे देश में कुछ गोशालायें हैं लेकिन अभी कुछ की तो माली हालत गड़बड़ है, कुछ का मैनेजमेंट गड़बड़ है। इस वजह से जो काम होना चाहिये वह अभी तक ठीक तरह से होता नहीं। काऊ स्लाटर बन्द कर देने के बाद हमारे आपके सामने एक समस्या और है, जो टूटे फूटे जानवर हैं इनका क्या करें? उनके लिये गोसदन खोलने की तो हमारी योजना यह है कि हम पंचवर्षीय योजना में हर जिले में एक एक गोसदन खोलना चाहते हैं और कुछ बड़े बड़े गोसदन खोलेंगे तथा प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करेंगे कि वह भी खोलें। तो इस तरह से हमें प्रबन्ध करना है। जैसा हमारे मौर्य जी ने कहा बात तो उनकी न्याय संगत नहीं थी और गुन चुका और घड़ा ढरकाने वाली मसल मैंने देखी कि जिस वक्त वह रेलीवेंट ग्रान्ट थी जिसमें मैकेनाइज्जड फार्मिंग का बजट भी था जब वह पेश थी, तो गालिबन हमारे मित्र कुछ दूसरी बात सोच रहे थे। ख्याल जौनपुर की तरफ था और अब उसके बाद इस बजट में इस वेटेरनरी के बजट में वह बात लाने की कोशिश उन्होंने की। वैसे मुझमें और उनमें कोई अन्तर नहीं है। वह भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि हमारे देश में ऐसी हालत है जिसमें बैलों की बड़ी आवश्यकता है और मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि कतई मेकैनाइज्ड कर दिया जाय। बैलों की कतई जरूरत न रखी जाय। आज भी ऐसा करते हैं जो, जो बड़े किसान ऐसा करते हैं वह धोखा खाते हैं। ऐन मौके पर तेरह कातिक और तीन असाढ़ का जब मौका होता है तो एक कील ट्रैक्टर की अगर निकल गई तो कानपुर और लखनऊ दौड़ते दौड़ते रह जाते हैं और फिर बोवाई पिछड़ गई, अक्टूबर बीत गया, नवम्बर हो गया तो फिर उसके बाद जो बोया जाता है उसकी क्या हालत होती है वह आज कल फागुन की जब हवा चलेगी तो पता चलेगा। तो तनहा ट्रैक्टर से भी काम नहीं चल सकता। एक वजह और है जो मैं ऐसी राय रखता हूं। यह गोबर की खाद ट्रैक्टर नहीं दे सकता और सब से अच्छी खाद, मैं कोई साइंस वाइंस जानता नहीं, लेकिन जो अनुभव है हमारा, उससे मैं यह कहता हूं कि सबसे अच्छी खाद गोबर की होती है। कोई खाद हो या न हो अगर गोबर की खाद काफी मात्रा में हम इस्तेमाल करें तो हमारी जमीन की फर्टिलिटी काफी बढ़ सकती है और यह मेरा जाती अनुभव है किसी रिपोर्ट के आधार पर मैं ऐसी बात नहीं करता। तो बैलों का होना जरूरी है और इसी ख्याल से सरकार ने इसमें ऐसी योजना रखी है कि हमारे देश में जैसा माननीय रामेश्वर लाल जी ने कहा दूध की कमी है उस कमी को भी हम पूरा करना चाहते हैं। जब हम गौशालाओं को दस दस अच्छी गायें देंगे और सांड़ देंगे तो अच्छी गायों के जरिये से दूध भी होगा और अच्छे अच्छे बैल भी होंगे। एक बात मैं मौर्य जी को बता देना चाहता हूं वह हमारे मित्र हैं और मैं सभी मित्रों से बता देना चाहता हूं उनसे खास तौर से कि अच्छे बैलों को पैदा करने की जो हमारी नीति है उसमें काफी हमें दिक्कत पड़ रही है। हमारे पास उन्नतिशील सांड़ बहुत कम हैं। इस वक्त तो हम छः हजार.....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जौनपुर से मंगा लीजिये।

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं। वहां गायें अच्छी मिलती हैं।

छः हजार सांड़ हमारे सूबे में सर्विस कर रहे हैं लेकिन यह भी कम हैं। इस वजह से इस बजट में हमने ऐसी योजना रखी है कि आर्टिफिशल इंसीमिनेशन सेंटर भी खोलें और काफी तादाद में खोलें। लेकिन उनके खोलने में भी हमें दिक्कत यह थी कि अभी तक तीन दिन तक सीमैन प्रिजर्व किया जा सकता था और उसके बाद वह उतना कारगर नहीं रहता जैसी कि रिपोर्ट मुझे जौनपुर से मिली है। तो हमारे मथुरा कालेज में इस पर रिसर्च किया गया और अब यह हुआ कि एक महीने तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो एक अच्छा नतीजा उस रिसर्च का हुआ है लिहाजा अब सरकार की तरफ से इसमें एक बजट में योजना है कि हम सीमेन बैंक खोलने का इन्तजाम कर रहे हैं ताकि एक महीने तक सीमेंट हम रिजर्व कर सकें और उसके जरिये से गायों को गर्भित करायें, तो जो साड़ों की कमी है वह कमी हम पूरी इस तरह से करना चाहते हैं। इधर अच्छे बैल पैदा करने के लिए हम फाइनेंशल इन्करेजमेंट भी दे रहे हैं कि अच्छे अच्छे बुल पैदा करके हमारे हाथ बेंचे ताकि हम पंचायतों को ५० रुपये की नामिनल प्राइस पर अच्छे बुल दे सकें जैसे हरियाना बुल वगैरह जो जिस रीजन के लिए मुकर्रर किये गए हैं। लेकिन तब भी वह काम पूरा होता नहीं। एक बुल से, वह एग्जैक्ट फिगर नहीं है, प्रायः दस, पचास गायों को ही गर्भित कराया जा सकता है लेकिन आर्टिफिशल इंसीमिनेशन के जरिये से एक बुल हजार गाय के लिए या सौ गायों के लिए काफी है, कुछ ऐसा ही है। एग्जेक्ट फीगर मैं नहीं बता सकता हूं। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि इससे भी खामी पूरी होगी और हमारे देश में अच्छे अच्छे बैल होंगे। यह मैं मानता हूं और माननीय सदस्य मेरे विचारों से बिल्कुल वाकिफ हैं, क्योंकि काऊ स्लाटर बैन बिल के सम्बन्ध में मैंने अपने विचार साफ तौर से व्यक्त किये थे। खेती और मवेशियों का चोली दामन का साथ है। बिला खेती के मवेशी रखना नामुमकिन और बिला मवेशी के खेती करना मेरे नुक्ते निगाह से नामुमकिन सा दिखलायी पड़ता है भले ही ट्रैक्टर चलें, लेकिन जैसा मैंने कहा, जो चीजें हमको बैलों के जरिये से दस्तयाब हो सकती हैं वे ट्रेक्टर के जरिये से नहीं हो सकतीं। ऐसी सूरत में यह लाजिमी और जरूरी है कि यदि हम और आप यह चाहते हैं कि हमारे देश की खेती उन्नति करे और पैदावार में वृद्धि हो तो हमको अच्छे बैल भी रखना जरूरी है। और जब कि हमारे सूबे में अधिकांश किसान गरीब हैं जो ट्रेक्टर नहीं खरीद सकते वे बैलों के लिये इन्तजाम कर सकते हैं; तो हमको और आपको ऐसे बैलों का इन्तजाम करना चाहिये जिससे कि अच्छे बैल उनको मिल सकें और उनके जरिये से अच्छी खेती कर सकें। ऐसे बैलों से क्या फायदा कि दिन भर जोता और साढ़े तीन बिस्वा खत्म किया। हमारे पश्चिमी जिलों में बहुत अच्छी खेती होती है। मुझे तमाम जिलों में जाने का सौभाग्य हुआ है और वहां किसानों के सम्पर्क में आने का भी मुझको मौका मिला और उनको अपने खेत जोतते हुये देखने का मुझे मौका मिला। तो वहां मैंने हजार हजार, डेढ़ डेढ़ हजार और दो-दो हजार रुपये तक की गायें देखी। वहां का किसान भी अच्छा, खुशहाल किसान है और समझदार किसान है। ऐसे बैलों से जोतने में भी एक लुत्फ आता है और किसान अपना गौरव समझता है। इन बैलों को तो डंडा लगाने से बजाय आगे के पीछे जाते हैं। उसमें तो किसान को भी शर्म लगती है और देखने वालों को भी तरस आता है। तो इस तरह के बैल पैदा करने की इस डिपार्टमेंट में पूरी योजना है कि उनकी ब्रीड बढ़ायें और उनकी बीमारी को भी रोकें, जिसके लिये दवा यहीं लखनऊ में ही बनती है। मैं तो प्रार्थना करूंगा अपने माननीय मित्रों से कि कोई दिन निकाल कर बादशाहबाद में देखें कि आखिर इस विभाग के बायोलाजिकल सेक्शन में क्या हो रहा है। उसे देखने से पता चलेगा कि नयी नयी तरह की दवाइयां निकाली गयी हैं, इन्जेक्शन्स निकले गये हैं और जो हमारी इम्यूनाइजेशन की स्कीम है

वह ३०, ३१ जिलों में हमने फैला दी है और सारे मवेशियों को टीका लगा कर उनको बीमारियों से मुक्त कराने की चेष्टा की गयी है और अगली पंचवर्षीय योजना में सूबे के सारे जिलों को कवर करना चाहते हैं ताकि हमारे यहां बीमारी में जो काफी क्षति हो जाती है जानवरों की उससे बचत हो। दूध की समस्या वाकई बड़ी जटिल समस्या है। उसके लिये प्रयास हो रहा है। लेकिन यह कहना कि हम फौरन, साल या छः महीने में उसे पूरा कर देंगे, बड़ा मुश्किल है। इस सिलसिले में हम यह भी कर रहे हैं कि लोग अच्छी अच्छी हीपर, कलोरें पालें और उनकी परवरिश के लिये हम ५ रुपये महीना सबसिडी देना चाहते हैं ताकि अच्छी गायें यहाँ तैयार हों। मेरी तो यह कोशिश होगी कि हम पहाड़ों में भी सब योजनायें करें। हम ऊन की योजना भी रख रहे हैं क्योंकि ऊन का काम वहां बहुत अच्छा होता है कताई और बुनाई का काम भी अच्छा होता है और वहां पर इस काम के जानने वाले लोग भी काफी तादाद में हैं, वहां गरीबी भी बहुत काफी है और उनको कोई न कोई आल्टरनेटिव काम देना हमारा कर्तव्य है।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)–– योजनाओं में रुपया लेप्स हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह––शुरूआत थोड़े से ही होती है तो काम अच्छा होता है। पहले हम अगर बड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो गिर पड़ते हैं। पहाड़ बहुत ऊंची जगह है। मैं कदम ब कदम आपको लेकर तिब्बत की सरहद तक पहुंचा दूंगा और इसको व्यापक बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह शुरूआत हमने पशुलोक में की है। मैं उनका नाम उच्चारण नहीं कर सकता। उनके पीछे टेढ़े मेढ़े नाम हैं। हमने हर्षबहादुर सिंह साही को इंचार्ज बना दिया है। वह कमिश्नर हैं। वह इसी प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके रहते हुये पहाड़ों को नुकसान हो या कोताही हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सारी योजनायें रखी हैं, उनकी सलाह हमें मिलती है और हम भी काफी फायदा उठाते हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सेक्रेटेरियट के लेबिल पर एक ऐसा अनुभवी मिल जाय जिसे इस विषय की काफी जानकारी हो। वरना हमारा ऐसा अनाड़ी जो इस विज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है और आपने बना कर बिठाया है, मैं किधर जाऊं। हमें सलाह और मशविरा की जरूरत होती है। इसीलिये हमने उनको रख छोड़ा है और हमें उनकी मदद मिलती है।

हमारे मित्र बालेन्दुशाह जी ने फरमाया था कि ऐनीमल हस्बेंडरी बोर्ड को काफी अखतियार दिये जायं और इससे लाभ उठाने की चेष्टा की जाय। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह जो सारी योजना है, इसके लिये हमने इस बोर्ड को छः सब कमेटियों में तकसीम कर रखा है–– (१) ब्रीडिंग सब कमेटी, (२) फिशरीज सब कमेटी, (३) डिजीजेज ऐंड पेस्ट्स सब कमेटी, (४) पोल्टरी सब कमेटी, (५) डेरी सब कमेटी और (६) फाडर ऐंड फीडिंग सब कमेटी। हर एक के सिपुर्द जो काम हुआ वह उनकी देख रेख कर रही है। इस बोर्ड के काफी मेम्बर्स हैं। आपके पैलेस में हम मिले थे। मुझे इस समय बिड़ला जी के महल की याद आ गई थी।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि हम मछलियों का भी इन्तजाम कर रहे हैं। रोहू, ट्राउट और मिरर काक वगैरा मछलियों का भी विकास किया जा रहा है और उनको मैदानों में पालने का इन्तजाम हो रहा है। जैसा कि रामसुन्दर जी ने आजमगढ़ के मछुओं के बारे में कहा था कि उनकी कोआपरेटिव नहीं बनाई गई तो उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह अपने मछुओं को राजी करेंगे कि वह ठेकेदारों के असर से बाहर निकल आयें और हम उनको माली सहायता

[श्री हुकुम सिंह]

देंगे। हम दस हजार रुपये की उनको सहायता देंगे ताकि वह जाल वगैरा सबका प्रबन्ध कर लें। इस तरह से हमारी यह भी योजना है और इसको भी मैं कार्यान्वित करना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने मित्रों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस मद के सिलसिले में हमको रचनात्मक सुझाव दिये हैं।

श्री रामेश्वर लाल—मान्यवर, मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव के संबंध में जो भाषण इस सदन में अन्यान्य सदस्यों द्वारा और माननीय मंत्री जी द्वारा हुये, उनको बड़े गौर से सुना और मैंने यह समझा कि अन्ततोगत्वा अधिकतर मेम्बरों ने मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन ही किया है। जहां तक माननीय मंत्री जी का संबंध है उन्होंने मेरे इस सुझाव पर कि गोशाला विधेयक पेश हो, जो सुझाव दिये विरोध में, मैं उनसे श्रीमन्, सहमत नहीं हूं और मैं पुनः आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस अनुदान में जो गोशालायें रजिस्टर्ड होंगी उन्हीं को अनुदान देने की व्यवस्था है। तो अपने प्रांत में गोशालाओं की संख्या को देखते हुये और विशेषकर रजिस्टर्ड गोशालाओं की संख्या को देखते हुये यह कहना पड़ता है कि बहुत सी ऐसी गोशालायें हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और जनता की भलाई के लिये कार्य करती हैं। ऐसी सब गोशालायें आपके इस अनुदान की सहायता से वंचित रह जायंगी। तो या तो इस तरह की व्यवस्था की जाय कि गोशाला तभी स्थापित की जायगी जब कि वह रजिस्टर्ड हो या ऐसा किया जाय कि रजिस्टर्ड हो या न हो सबको सरकार की तरफ से सहायता दी जाय, प्रतिबन्ध यह हो कि वे गोशलायें जनता की भलाई के लिये काम करती हों। श्रीमन्, गोशालायें अमूमन शहरों में हैं और शहरों में जो वहां के स्थानीय निकाय हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं या कारपोरेशन हैं वह वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिये जिम्मेदार हुआ करते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि गोशालाओं का यदि वे विधेयक नहीं पेश करना चाहते हैं तो उनको वह भंग करा दें और म्युनिसिपैलिटीज के हाथ में यह ताकत दें कि वह म्युनिसिपैलिटी की हद के अन्दर रहने वाले या निकाय या शहर की हद के अन्दर वाले लोगों के स्वास्थ्य के जिम्मेदार होने के नाते उनको दूध जो पौष्टिक पदार्थ है, पहुंचाने की व्यवस्था करें। इसके वह ठेकेदार हैं और यह उनका कर्त्तव्य है। यदि माननीय मंत्री जी इसको मान लें तो मैं अपना यह सुझाव कि गोशाला विधेयक लाया जाय, वापस लेने को तैयार हो सकता हूं। लेकिन श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यदि पौष्टिक तत्व, दूध को पहुंचाते के ठेकेदार वह निकाय, म्युनिसिपैलिटी या कारपोरेशन नहीं होते तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये और यह तभी हो सकता है कि जब उन गोशालाओं पर सरकार का संरक्षण हो। इसलिये श्रीमन्, मैंने यह सुझाव रखा है।

जहां तक माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में बातें बताईं श्रीमन्, यह ही है कि इससे लगों को फायदा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ आपके द्वारा एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसके खिलाफ देहातों का वातावरण बड़ा क्षुब्ध है, और मेरा दावा है, मेरी अपनी जानकारी है और माननीय मंत्री जी चलें तो मैं इसकी पुष्टि करा सकता हूं कि अधिकतर स्थानों में देहातों के किसान गायों को गर्भाधान के लिये इन केंद्रों पर नहीं लाते हैं और जो रिपोर्ट भेजी जाती है वह ज्यादातर फरजी रिपोर्टें होती हैं अपने पद को सुरक्षित रखने के लिये। असल में गाय न भेज कर वह कृत्रिम गर्भाधान के लिये भैंस भेज देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि एक ऐसी अवस्था प्रचारात्मक बनाई जाय कि जो किसानों को यह बता सके कि इससे क्या लाभ है। और किसान उससे लाभ समझ कर भैंसों के एवज में गायों को भी इन केंद्रों पर लाने को तैयार हों।

श्रीमन्, जहां तक माननीय मंत्री जी के मछली और ऊन आदि बातों का संबंध है इस पर मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। मैंने उन मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और मैंने चाहा था कि वे उनका एक सरवे करायें कि कितने भेड़िहार हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं और वह किस प्रकार उन्नति कर सकते

है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं चाहता हूं कि इस पर वह प्रकाश डालें ताकि मैं जान सकूं कि माननीय मंत्री जी के इस संबंध में विचार क्या हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—— लेखा शीर्षक ४१ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३——लेखा शीर्षक ४१——पशु चिकित्सा के अन्तर्गत १,७५,०४,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८–लेखा शीर्षक ५७–विविध व्यय

श्री हुकुम सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८——लेखा शीर्षक ५७——विविध व्यय के अन्तर्गत ३,४९,१३,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक दो लफ्ज इस संबंध में कहना चाहता हूं। यह वह मद है जिसमें वह तमाम चीजें रखी गयी हैं जितना ठिकाना और किसी ग्रांट में नहीं था। जो चीज और ग्रांट में नहीं आयीं उनको इस विविध व्यय की ग्रांट में रखा गया है। इसमें ईस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों का और वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों का भी मसला है। इसमें सेलर्स सोल्जर्स बोर्ड के लिये भी रकम है। जो पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन फंड था उससे २५ फीसदी जो रकम मिलती थी उसको उसने बन्द कर दिया है वह भी इसमें शामिल की गयी है। वह रकम भी इसमें शामिल कर दी गयी है। इसी तरह से नजूल के मैनेजमेंट की भी इसमें रकम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें काफी अनेक प्रकार की मदें है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)——मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान पर एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इसमें विविध व्यय के लिये रुपया रखा गया है। समय की कमी है और इसमें विषय बहुत हैं जिनके ऊपर पूरा प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। ज्यादा कहना संभव नहीं है किन्तु जैसा कि हमने पिछले साल भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था इस साल भी उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं। इसमें ९ मदों का जिक्र किया गया है। उसमें प्रमुख डि० सेलर्स सोलजर्स एयरमेन बोर्ड के बारे में विषय है। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट सेलर्स सोलजर्स एयरमेन बोर्ड था और उसका जो खर्चा होता था वह हिस्सा तीन हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो भारत सरकार देती थी और दूसरा हिस्सा प्रांतीय सरकार यानी हमारी यू० पी० सरकार देती है और तीसरा पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड से मिलता था। लेकिन यू० पी० रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड ने अपना अंश देना बन्द कर दिया है। हम यह भी देखते हैं कि बिहार और दूसरे सूबों से अभी तक पोस्टवार रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड से डिस्ट्रिक्ट सेलर्स और सोलजर्स बोर्ड को रुपया दिया जाता है। लेकिन हमारे यहां यू० पी० में नहीं दिया जाता है। इस करण से हमारी यू० पी० सरकार ने उस अनुदान को बढ़ाकर ५० परसेंट कर दिया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जैसे कि इस बोर्ड के लिये हमारे यहां से मद का ५० फीसदी रुपया दिया जाता है तो इसमें सदन का हाथ होना चाहिये कि उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है। और यह बात जानने की बड़ी आवश्यकता है कि पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन फंड का जो ट्रस्ट बनाया गया था वह सिपाहियों का रुपया था और उनके फायदे के लिये ही बनाया

[श्री गंगाधर मैठाणी]

था कि यह रुपया उनके लिये ही खर्च किया जाय तो यह मालूम होना चाहिये कि वह रुपया उनके वैलफेयर में किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है। एक छोटी सी बात है। यहां पर सरोजनी नाइडू नगर बनाया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है उससे यू० पी० के गरीब सोलजर्स को कोई लाभ नहीं हो रहा है। बहुत से गरीब तबके के सिपाही हैं। हमारे यहां गढ़वाल में बहुत से ऐसे गरीब सिपाही हैं जिन्हें १०,२० रुपया पेंशन मिलती है। जिस समय वे लड़ाई में थे उस समय रुपया जमा किया जा रहा था कि उनके लड़कों को सहूलियतें सरकार देगी और उनके लिये अन्य कामों में वह रुपया खर्च किया जायगा। यद्यपि उसके संचालन का बोर्ड भारतीय सरकार की अनुमति से बनाया गया होगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वह रुपया किस प्रकार से खर्च होता है। जिन्हें सहायता मिलनी चाहिये उन्हें वह मिलती है या नहीं, यह इस सदन के सदस्यों को जानकारी करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की है। लखनऊ और बनारस इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को कुछ रुपया दिया गया है। जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कानपुर और आगरा साइड के हैं वे अक्सर कहा करते हैं कि उन्हें कोई रुपया नहीं मिल रहा है। तो यह रुपया देने का कोई आधार होना चाहिये। एक बात शरणार्थियों के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने उनके लिये क्वार्टर्स बनाये हैं और वे लोग उनमें ८,१० साल से रहते हैं। सरकार को वे काफी किराया दे चुके हैं। अब सरकार उन क्वार्टरों को उन लोगों को दे रही है। उनके कहा जाता है कि तुम इतना रुपया जमा करो। बहुत से लोगों के क्लेम्स हैं जो भारतीय सरकार से उन्हें मिलेंगे। बहुत से उनमें ऐसे हैं जो एक मुश्त रुपया नहीं दे सकते। इसलिये आवश्यक है कि उन लोगों को किस्त के रूप में मासिक अदायगी करने की छूट होनी चाहिये। मकानों की कीमत ओरीजनल लगायी गयी है और जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया वे लोग उनका ८,८ या १०,१० साल तक किराया दे चुके हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसका ध्यान रखना चाहिये।

एक दूसरी बात कैनाल रेट्स की है कि जब वह बढ़ाया गया था तो एक स्पेशल डेवलपमेंट फंड बनाया था। शायद मैं अधिक साफ नहीं हूं लेकिन वह फंड अब बन्द हो गया है। यह रुपया डेवलपमेंट में लगने वाला था और वह फंड चलता रहता तो अच्छा होता। नजूल का रुपया जो किसी बोर्ड को दे दिया जाता है, जैसे लखनऊ को या बनारस को, तो उसे देने का भी कुछ आधार होना चाहिये। समय कम है, इसलिये मैं संक्षेप में अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहा हूं। यह नहीं होना चाहिये कि जिसे सरकार फेवर करना चाहे उसे ही रुपया मिले। एक फंड गरीब तबके के लिये इसमें रखा गया था, वह मद भी इसमें खत्म कर दी गयी है। बहुत से ऐसे विभाग हैं, जैसे फारेस्ट और दूसरे भी होंगे जिनमें छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है जैसे चौकीदारों का। उनके लिये अगर इस फंड में रुपया रहता तो उनकी वेतन वृद्धि हो सकती थी इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भी कुछ रुपया दिया गया है। उसमें किस बोर्ड को किस आधार पर रुपया दिया गया है यह बात दिखायी नहीं पड़ती। बहुत बोर्डों के प्राइमरी स्कूलों को गवर्नमेंट ने स्वयं ले लिया है। मिसाल के तौर पर बरेली के प्राइमरी स्कूल्स को बहुत ज्यादा तादाद में गवर्नमेंट ने ले लिया है और उससे उन बोर्डों का काम सरल हो गया है। दूसरे बोर्डों को भी जिस आधार पर रुपया दिया गया है वह आधार भी ठीक नहीं है। पहाड़ों की तरफ हम चलें तो गढ़वाल और अल्मोड़ा को ढाई लाख रुपया दिया गया है। देहरादून और नैनीताल के लिये डेढ़ डेढ़ लाख रुपया दिया गया है। देहरादून और नैनीताल की आबादी ३, साढ़े ३ लाख के करीब है। वहां की आधी पापुलेशन करीब करीब शहर में ही रहती है। वहां पर गवर्नमेंट जो ग्रान्ट देती है अगर उसका कलकुलेशन किया जाय तो देहातों में जो लोग रहते हैं उनको प्रति व्यक्ति डेढ़ रुपया पड़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत गढ़वाल और अलमोड़ा में ज्यादातर लोग देहात में ही रहते हैं और उनको जो ग्रान्ट मिलती है उसका हिसाब प्रति व्यक्ति ६ आना ही पड़ता है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कुछ बेसिस अवश्य

होना चाहिये। वहां के बोर्डों की बहुत ही बुरी हालत है। उसको सुधारने के लिये कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये कि जिससे गढ़वाल और अलमोड़ा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का जो डेफिसिट है वह पूरा हो जाय। अगर गवर्नमेंट उन स्कूलों को स्वयं ले ले तो बोर्ड का डेफिसिट काफी मात्रा में खत्म हो जायगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ४ मिनट दे दिये हैं। मैं इन्हीं चार मिनट में अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। मैं केवल पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट सेलर्स एन्ड सोल्जर्स बोर्ड के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इसके सम्बन्ध में जो काम हुआ है वह सैटिसफैक्ट्री नहीं है। उस फंड से स्कालरशिप द्वारा उन लोगों को राहत नहीं मिली है जिन लोगों के लिये वह फंड बनाया गया था। जिन लोगों की तनख्वाहों से मंथली रुपया काट कर यह फंड करोड़ों की तादाद में बनाया गया था, उन लोगों को बड़ी तो क्या छोटी सी भी राहत नहीं मिल रही है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मतलब साधने के लिये किसी कानून को हर वक्त नहीं बदलना चाहिये। एक एक स्कूल को २०-२०, २५-२५ हजार रुपया ग्रान्ट का दे दिया, लेकिन जब दूसरों ने दरख्वास्तें दीं तो नहीं कह दिया। इस मामले को मैंने भारतवर्ष के कमान्डर इन-चीफ जनरल कैरिअप्पा और माननीय जवाहर लाल नेहरू को लिखा कि गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूल को ग्रान्ट दी जाय। तब कहीं जाकर ५-६ हजार की मद मंजूर हुयी। तो मेरा कहना यह है कि कानून यूनीफार्म होना चाहिये और उस कानून को वक्तन फवक्तन बदलना नहीं चाहिये, लेकिन जिस तरह से किसी का हित साधन होता है उसी के अनुसार वह कानून बदल दिया जाता है तो उसमें तकलीफ होती है। मैं समझता हूं कि कानून की जो व्यवस्था की जाती है वह खास मतलब से होती है न कि जनहित के लिये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सोल्जर्स बोर्ड के रुपये से जो इम्दाद दी जाती है वह पहाड़ों की बेवाओं और बच्चों के लिये नहीं मिलती। उसका कारण यह है कि सोल्जर बोर्ड के जितने आफिसर्स हैं वे दौरा कम करते हैं। यह उनकी कानूनी ड्यूटी है कि वे अपने इलाके के अन्दर वे खास खास मुकामात पर, अपना टूर प्रोग्राम पहले भेज कर जनता को इंवाइट करें उनसे और दरख्वास्तें मांगें और पूंछें कि उनको क्या दुख और तकलीफें हैं और उनकी रिपोर्ट करके जो कुछ इमदाद हो सकती है वह इमदाद दिलाने का प्रयास करें। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इस प्रकार के कानून के, बावजूद इस प्रकार की ड्यूटी के जबकि उनको तनख्वाहें मिलती हैं ड्यूटी ड्यूटी की तरह नहीं पर्फार्म की जाती है और बैठे बैठे उनको तनख्वाहें मिलती हैं और तनख्वाहें वे इस तरह से हजम करते हैं। हमें इस सदन में मुल्क की व्यवस्था के लिये भेजा गया है। वह यह न समझें कि यह उनकी शिकायत है। अगर मुल्क की व्यवस्था नहीं होनी है तो जाहिर है कि एम० एल० एज० साहबान की क्या जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस पर उचित ध्यान दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी यह ग्रान्ट विविध व्यय की है वैसे ही विविध प्रकार की तकरीरें भी सुनने में आयीं। पोस्टवार रिकांस्ट्रक्शन फंड के बारे में काफी आलोचना की गयी। जहां तक पोस्टवार रिकांस्ट्रक्शंस फंड का ताल्लुक है एक पैसे का इसमें प्राविजन नहीं है। सिर्फ हवाला यों आया कि २५ परसेंट का खर्चा इसमें सोल्जर्स बोर्ड करता था और जब उन्होंने नहीं किया तो सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। उसके इन्तजाम के बारे में इससे ज्यादा जूरिस्डिक्शन नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--दैट इज प्रापर्टी आफ दि हाउस।

श्री हुकुम सिंह--मेरी बात आप सुनिये। आई० एम० इन पजेशन आफ दी हाउस। जहां तक उसके कांस्टीट्यूशन वगैरह की बात है मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता कि उस बहस में जाऊं। जहां तक कि सेलर्स, सोलजर्स एंड एयरमेन का ताल्लुक है एक प्राविंशियल लेविल पर वह बोर्ड है और हर जिले में उसकी शाखायें है और जब मैं रेवेन्यू का इंचार्ज था तो उसका भी इंचार्ज था। और उस सिलसिले में कुछ थोड़ी सी जानकारी थी और जिलों को जाने के सिलसिले

[श्री हुकुम सिंह]

में इन बोर्डों में भी मैं जाने का प्रयत्न हमेशा किया करता था। तो वहां काफी तादाद में हमारे एक्स-सोलजर्स और सेलर्स आते थे और उनके जितने मुख्तलिफ प्रश्न होते थे वे भी सब मेरे सामने आते थे। एक यहां सेक्रेटरी भी रहते हैं स्टेट लेविल पर उनका यह फर्ज है कि चारों तरफ दौड़ कर इंफार्मेशन इकट्ठी करें और कलेक्टर हर जिले में चेयरमैन होता है। और यह मैं दावा नहीं कर सकता कि इंतजाम बिल्कुल परफेक्ट है और जरा भी उसमें कोई संशोधन करने की गुंजाइश नहीं और यह भी मेरा दावा नहीं कि कोई उसमें खामियां नहीं हो सकतीं। पहाड़ पर आने जाने की मुझे सुविधा भी नहीं है और डाक्टर भी जाने से मना करते हैं तो ऐसी हालत में मेरी जानकारी उतनी तो हो नहीं सकती जितनी कि मेरे मित्र रावत जी और मैठाणी जी को हो सकती है, लेकिन जो कुछ खाराबियां होंगी, इस सदन में उस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये हैं उनको नोट कर लिया गया है और उन पर विचार होगा और उनको दूर करने की चेष्टा की जायगी।

रिफ्यूजीज के बारे में कहा गया कि जो मकानात हैं उनमें बहुत छोटे छोटे-गरीब तबके के लोग हैं, वे कीमत अदा नहीं कर सकते, तो उसके लिये यह सुविधा उनको दी गयी है कि पांच वर्ष में वे किश्तवार भी कीमत अदा कर सकते हैं। और जहां तक कि कीमत का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं क्या अर्ज करूं, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता, वह कीमतों का असेसमेंट तो केन्द्रीय सरकार की एजेंसी ने किया है। उससे स्टेट की रिलीफ एन्ड रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस तरह से उन्होंने असेस कराया है वह ज्यादा है या कम है उसमें तब्दीली या परिवर्तन तो केवल केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कयास कर सकते हैं कि उन्होंने तो देखभाल करके ठीक ही किया होगा। हां, उसमें दो राय हो सकती हैं, जैसे एक मकान का २०,००० का तखमीना किया गया, उसको अगर कोई गरीब आदमी देखता है तो समझता है कि दाम बहुत ज्यादा है और कोई लखपति देखता है तो वह झट जेब से रकम निकाल कर खरीद लेता है। इस तरह से कीमत के बारे में २ रायें हो सकती हैं। उन्होंने किसी आधार पर ही किया होगा आर्बिट्रेरी ढंग से तो किया न होगा और ऐसा कयास हम कैसे कर सकते हैं जब तक हमारे सामने उसके पूरे वजूहात न आ जायं।

जिला बोर्ड के बारे में मैठाणी जी को शिकायत है कि गढ़वाल का भाग औसतन कम पड़ता है और नैनीताल और देहरादून को ज्यादा मिला है। यह झगड़ा तो गढ़वालियों का बहुत पुराना है मुझे क्यों इस झगड़े में फंसाते हो। यह जो अनुदान दिया जाता है उसमें आप और मदन मोहन जी तय कर लेंगे लेकिन यहां पर यह अनुदान दिये जाते हैं लेकिन पर हेड किस जिले को कितना मिलता है यह तो हम देखते नहीं, वह तो हर बोर्ड को उसकी जरूरत को देखते हुये दिये जाते हैं। इसमें कोई फेवर का सवाल भी पैदा नहीं होता। जिसकी जरूरत जैसी होगी उसको उतना मिलेगा, आइन्दा गढ़वाल की जरूरत ज्यादा होगी तो उसको और अधिक मिल सकता है। तो एक शिकायत यह थी। मैं तो दूसरी शिकायत से डरता था लेकिन वह किसी ने की नहीं कि पहले २० लाख दिया जाता था और अब २ लाख लिखा दिया गया है, यह मैथाणी जी ने भी नहीं कहा। अब मैं भी खत्म करता हूं कोई बात किसी ने ऐसी नहीं कही है कि जिसका जवाब देना लाजमी हो। मैं जानता हूं कि मेम्बरान इस अनुदान को पास करने के लिये बहुत उत्सुक हो रहे हैं और अब घर जाना चाहते हैं इसलिये मैं खत्म करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—विविध व्यय (लेखा शीर्षक ५७—विविध) के अन्तर्गत ३,४९,१३,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
५ मार्च, १९५६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

३१ मार्च, १९५६ को खत्म होने वाले सामुदायिक विकास क्षेत्रों की सूची

ब्लाक का नाम	जिले का नाम
१—गरुड़-बैजनाथ	अलमोड़ा
२—कपकोट	अल्मोड़ा
३—बेनोली (बराली)	गढ़वाल
४—सुल्तानगंज	मैनपुरी
५—अलीगंज	एटा
६—मुहम्मदाबाद	फर्रुखाबाद
७—मोठ	झांसी
८—गुरसराय	"
९—मऊ रानीपुर	"
१०—बीकापुर	फैजाबाद
११—कूरेभार	सुल्तानपुर
१२—जैसिंहपुर	"
१३—मट्ठ	गोरखपुर
१४—कसिया	देवरिया
१५—सलीमपुर	"
१६—घोसी	आजमगढ़
१७—कासिमाबाद	गाजीपुर
१८—रतनपुर	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ५ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न २९ उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

क्रम-संख्या सड़क का नाम		बसों की संख्या
१—जौनपुर-प्रतापगढ़	..	१
२—जौनपुर-बादशाहपुर	..	१
३—जौनपुर-आजमगढ़	..	२
४—जौनपुर-सिंगरामऊ	..	२
५—जौनपुर-मछली शहर	..	१
६—जौनपुर-चीलघाट	..	५
७—जौनपुर-इलाहाबाद	..	४
८—जौनपुर-बनारस	..	२
९—बादशाहपुर-सुजानगंज	..	१
१०—बादशाहपुर-प्रतापगढ़	..	१
११—आजमगढ़-बनारस वाया जौनपुर	..	२
१२—आजमगढ़-इलाहाबाद वाया जौनपुर	..	४
१३—बादशाहपुर-इलाहाबाद	..	१
१४—शाहगंज-सुरापुर	..	५
१५—शाहगंज-आजमगढ़	..	३
जौनपुर जिले में संबंधित सड़कों पर चलने वाली सरकारी बसों की कुल संख्या	..	३५

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २५२ एल० ए०—१९५६—७९६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश